MASK-UP INDIA

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 67 अंक : 9 पृष्ठ : 56 जुलाई 2021 मूल्य : ₹ 22

ग्रामीण अवसंरचना

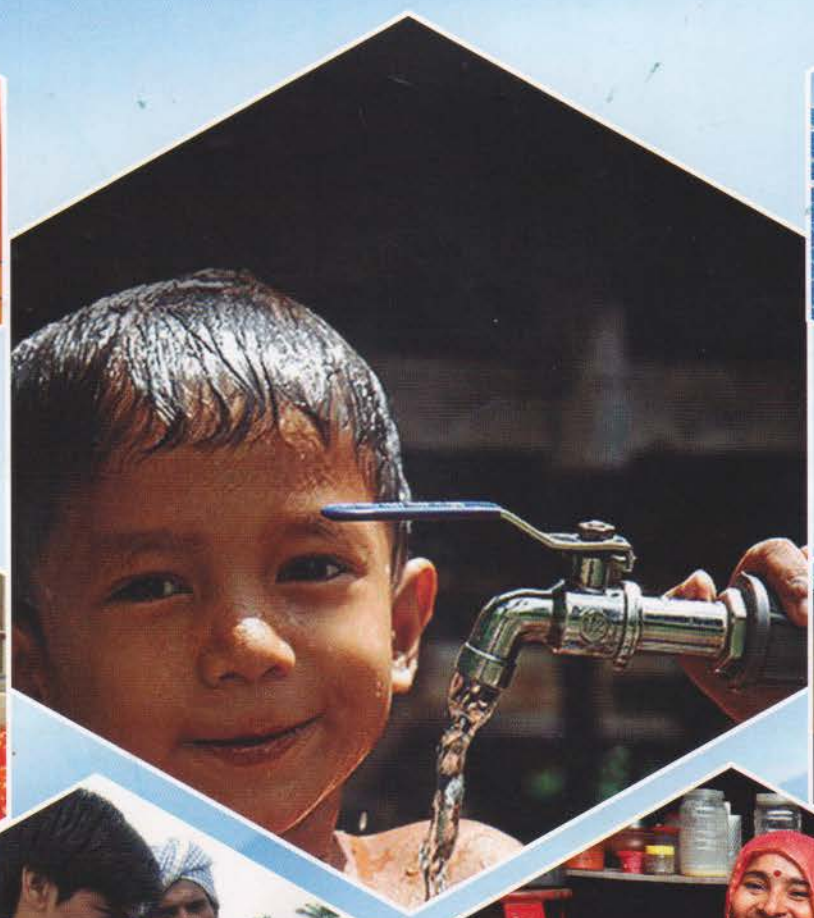

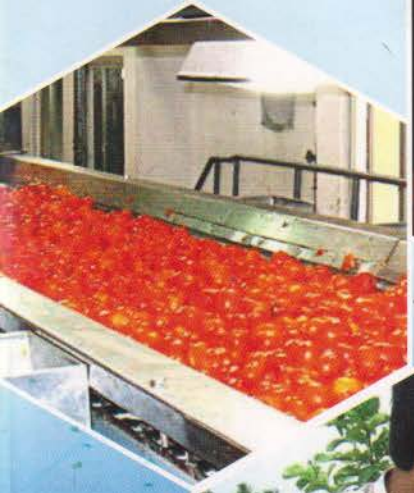

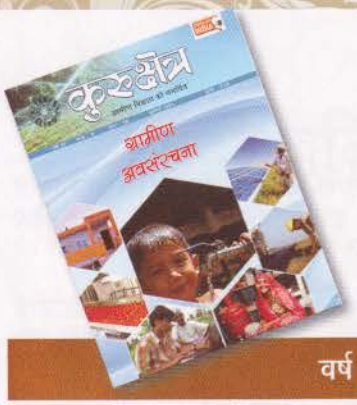

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

इस अंक में

वर्ष : 67 ★ मासिक अंक : 9 ★ पृष्ठ : 56 ★ आषाढ़–श्रावण 1943 ★ जुलाई 2021

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

उत्पादन अधिकारी : के. रामालिंगम

आवरण : राजिन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें
एक प्रति: ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230,
द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही पत्रिका प्राप्त न होने की शिकायत करें।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पते पर मेल करें ई-मेल : pdjucir@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई-मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–

गौरव शर्मा, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

सुदृढ़ बुनियादी ढांचे से ग्रामीण भारत का विकास –डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी	5	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना –डॉ. के.के. त्रिपाठी	10	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा –डॉ. नीलम पटेल और रणवीर नगाइच	16	
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : समृद्धि की ओर –डॉ. देबब्रत सामंत	20	
ग्रामीण भारत की मज़बूत होती बुनियाद –देविका चावला	26	
मनरेगा से गांवों का कायाकल्प –अरविंद कुमार सिंह	31	
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का विस्तार –समीरा सौरभ	35	
मानव संसाधन विकास –विजय प्रकाश श्रीवास्तव	39	
ग्रामीण अवसंरचना विकास हेतु समावेशी मॉडल –डॉ. श्याम सुन्दर प्रसाद	43	
2022 तक उत्तर-पश्चिम भारत में सभी घरों में नल से जल	49	
मिशन बीसी सखी : हर घर तक बैंक सुविधा –अभिषेक आनंद	52	

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669

संपादकीय

"मैं जानता हूं कि आदर्श ग्राम निर्माण का काम उतना ही कठिन है जितना कि सारे हिंदुस्तान को आदर्श बनाना। स्वतंत्र भारत के सामने सबसे मुख्य समस्या उसके नवनिर्माण की है। चूंकि भारत गांवों में बसता है इसलिए बिना गांवों को उन्नत किए देश का उठना कठिन है।" राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कई दशकों पहले का यह कथन आज भी प्रासंगिक है। ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने और उसके नवनिर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का विकास बेहद जरूरी है।

निःसंदेह किसी भी देश की प्रगति और आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता किसी देश की प्रगति का मापदंड होती है। बुनियादी ढांचा निजी और सार्वजनिक, भौतिक और सेवाओं संबंधी और सामाजिक व आर्थिक किसी भी तरह का हो सकता है। आर्थिक बुनियादी ढांचे के अंतर्गत परिवहन, संचार, बिजली, सिंचाई और इसी तरह की अन्य सुविधाएं शामिल हैं। सामाजिक अवसंरचना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि आते हैं।

आवागमन हेतु बेहतर सड़कों की उपलब्धता किसी भी शहर, ज़िला या गांव की अर्थव्यवस्था की धुरी है और विकास के केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। इसके जरिए माल और कृषि पदार्थों की ढुलाई, पर्यटन और संपर्क जैसे कई महत्त्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। देश में सभी मौसमों में चालू रहने वाले मज़बूत सड़क नेटवर्क को बढ़ावा देने से तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकास के साथ–साथ, व्यापार के सुचारू रूप से संचालन तथा देश भर के बाज़ारों के समन्वयन में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 से लागू है और दूरदराज के इलाकों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कर रही है।

ग्रामीण भारत के विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की कई योजनाएं चल रही हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा। मौजूदा कोरोना संकट में भी ग्रामीण भारत के लिए जो योजना वरदान बनी, वह भी 'मनरेगा' ही है। शहरों से पलायन कर गांवों में लौटे लाखों मज़दूरों को इसने जीवनयापन के लिए राह दिखायी और साथ ही, गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन भी हुआ।

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण भी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। कई ग्रामीण आवासीय योजनाएं काफी पहले से चल रही थीं लेकिन उनमें कई कमियां थीं, जिनको दूर करते हुए 1 अप्रैल 2016 से इस योजना को लांच किया गया। इसमें मनरेगा से 90 से 95 दिन तक अकुशल श्रमिकों की मदद लेने के साथ शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक मदद भी शामिल है। योजना के पहले चरण में एक करोड़ मकानों को बनाने का लक्ष्य रखा गया था। दूसरे चरण में 2022 तक 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के साथ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से तालमेल बना कर एलपीजी कनेक्शन और सौभाग्य योजना से तालमेल कर बिजली कनेक्शन प्रदान करने की व्यवस्था भी है। अच्छे ग्रामीण आवास बनाने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनके परिणाम काफी सकारात्मक रहे।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई का अत्यंत महत्व है। इसी के बूते हरितक्रांति आई। फिर भी अभी देश के निवल बोए गए क्षेत्र में से 48 फीसदी सिंचित और 52 फीसदी वर्षा सिंचित है। हर खेत को पानी देने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015–16 में आरंभ की गई। इसमें सतही लघु सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के साथ भूजल योजना भी शामिल है। 'प्रति बूंद अधिक फसल' इस योजना का महत्वपूर्ण घटक है जिसके क्रांतिकारी परिणाम सामने आ रहे हैं। इन योजनाओं के साथ सरकार किसान ऊर्जा सुरक्षा महाभियान यानी कुसुम के तहत 2022 तक देश के तीन करोड़ डीजल या बिजली पंपसेटों को सौर ऊर्जा से ऊर्जित करने की दिशा में भी आगे बढ़ी है और जल संचय के तहत ड्रिप सिंचाई से लेकर कई क्षेत्रों में काम हो रहा है।

भारत सरकार ने मई 2019 में दो मंत्रालयों– जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया। सरकार ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन भी आरंभ किया है, जिसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन मुहैया कराना है। पांच उत्तर–पश्चिमी राज्यों में 2022 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण भी ग्रामीण भारत के कायाकल्प और रोज़गार में अहम भूमिका निभा रहा है। 28 अप्रैल, 2018 तक देश की सभी आबादी वाले गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। फिलहाल सरकार का फोकस सभी ग्रामीण आवासों तक बिजली पहुंचाने का है जिसके लिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत ऐतिहासिक काम हुआ है। अक्तूबर 2017 में आरंभ की गई इस योजना से मार्च 2019 तक 2.62 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया। सरकार अब 2022 तक गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने सभी गांवों में एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी और खेती के लिए बिजली उपलब्धता से लागत कम हुई है और ग्रामोद्योगों को नई ताकत मिली है। बिजली पहले शहरी इलाकों की ज़रूरत मानी जाती थी, वह ग्रामीण अर्थतंत्र को मज़बूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। सिंचाई, मड़ाई, ओसाई, चारा काटने, पशुपालन, मुर्गीपालन और कई दूसरे क्षेत्रों में बिजली बेहद कारगर साबित हो रही है। खेती पर आधारित तेलघानी, चावल मिल. दाल मिल और आटा चक्की भी बिजली पर निर्भर हैं। पंपसेट हर गांव की ज़रूरत बने हुए हैं और सिंचाई में बेहद कारगर साबित हो रहे हैं।

ग्रामीण भारत में आज सूचना और संचार क्रांति नया इतिहास रच रही है। देश की सभी ढाई लाख गांव पंचायतों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारत नेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। डिजिटल संचार को सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का केंद्रीय हिस्सा बना दिया है, जिसका सकारात्मक असर ग्रामीण भारत पर भी दिख रहा है। ग्रामीण भारत में इंटरनेट तक पहुंच मुख्यतया मोबाइल बेतार प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रही है। देश के अधिकतर गांव मोबाइल सेवाओं से जुड़ चुके हैं। बाकी बचे गांव बेहद कठिन और दुर्गम भूभाग वाले हैं, वे भी जल्दी ही संचार क्रांति से जुड़ने वाले हैं। देश में संचार अवसंरचना के विकास से ई–गवर्नेस, बैंकों, वित्तीय सेवाओं, व्यापार, शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, परिवहन और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में नकदी विहीन लेन–देन में जबर्दस्त तेजी आई है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रगति से स्टार्टअप इंडिया, स्टैण्डअप इंडिया जैसी पहल के जरिए नवसृजन और उद्यमिता को बढ़ावा मिला है।

संक्षेप में, ग्रामीण अवसंरचना के विकास के बिना आत्मनिर्भर गांवों और नए भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सरकार इस बात से भलीभांति परिचित है और इसीलिए अपने निर्धारित लक्ष्य को साधते हुए कोरोना काल में भी बुनियादी ढांचे के निर्माण के काम में ढील नहीं आने दी बल्कि मनरेगा के तहत रिकॉर्ड परिसंपत्तियों का निर्माण गांवों में हुआ। अगर इसी गति से गांवों में विकास की प्रक्रिया जारी रहती है तो वह दिन दूर नहीं है जब आत्मनिर्भर गांवों का स्वप्न साकार होगा।

सुदृढ़ बुनियादी ढांचे से ग्रामीण भारत का विकास

–डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी

एक मज़बूत ग्रामीण बुनियादी ढांचा अपने बहुआयामी प्रभाव से ग्रामीण परिवर्तन में योगदान देता है। इसलिए विपरीत पलायन करने वाले प्रवासियों सहित करोड़ों ग्रामीण निवासियों की आय और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करने की सख्त आवश्यकता है। हालांकि मुख्य चुनौतियां निवेश को आकर्षित करने, गुणवत्ता बनाए रखने और भारत सरकार के कई संबंधित मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्रमों और योजनाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करने से जुड़ी हैं।

आत्मनिर्भर भारत के मिशन को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़ ग्रामीण बुनियादी ढांचा अत्यावश्यक है। अपने प्रणालीगत लिंकेज प्रभावों– बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों के माध्यम से मज़बूत हुआ ग्रामीण बुनियादी ढांचा कृषि और गैर–कृषि उत्पाद विपणन के बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम है और इस तरह ग्रामीण व्यवस्था में विभिन्न गतिविधियों में संलग्न किसानों, निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त पारिश्रमिक देने में सक्षम है। घर–घर तक वस्तुओं की उपलब्धता और सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करके मज़बूत बुनियादी ढांचा कठिनाइयों को भी कम करता है और उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करता है। अध्ययनों से भी यह भली–भांति सिद्ध हुआ है कि एक सुविकसित ग्रामीण बुनियादी ढांचा समावेशी विकास में सकारात्मक योगदान देता है क्योंकि यह न केवल शेष अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है बल्कि उत्पादन और संभरण की कम लागत और रसद के माध्यम से आर्थिक विकास, उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, बड़े पैमाने पर किफायतों में सुधार, रोज़गार में वृद्धि, बेहतर अर्थव्यवस्था, और ग्रामीण कृषि और गैर–कृषि गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश में वृद्धि भी सुनिश्चित करता है।

बुनियादी ढांचा आत्मनिर्भर भारत के पांच अंतर्निहित स्तंभों में से एक है। अन्य चार हैं– अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी–संचालित कार्य व्यवस्था, स्पंदनशील जनसांख्यिकी और मांग। 'बुनियादी ढांचा' शब्द के व्यापक अर्थ हैं। यह अनेक खंडों और विषय क्षेत्रों में फैला हुआ है। नतीजतन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वांछित कार्यक्रम कई संबद्ध मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को एक बहु–आयामी कार्यनीति के रूप में लिया गया है जिसमें विशेष क्षेत्रों जैसे सड़कों के निर्माण और रखरखाव (जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) से लेकर बुनियादी ढांचे की सुविधाओं (श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन) के लिए क्लस्टर विकास तक की केंद्रित पहलें शामिल हैं। बुनियादी ढांचा एक

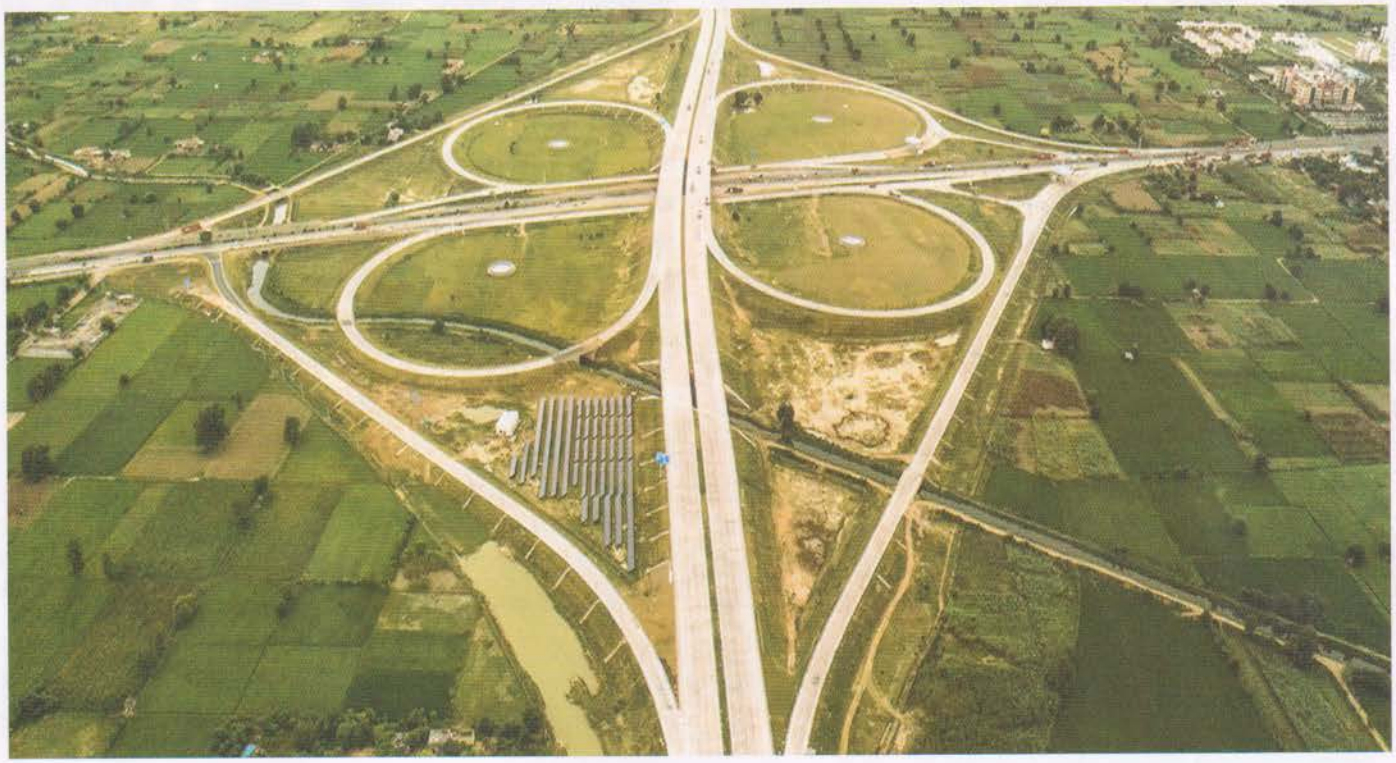

तालिका–1: सड़क नेटवर्क और सड़क दुर्घटनाएं

सड़क की श्रेणी	सड़क की लंबाई वर्ग किमी. में (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या (2019)
राष्ट्रीय राजमार्ग	1,26,350 (2.03)	1371919 (30.55)
राज्य राजमार्ग	1,86,908 (3.01)	108976 (24.27)
ग्रामीण सड़कों सहित अन्य सड़कें	59,00,858 (94.96)	202835 (45.17)
कुल	**62,15,797 (100.00)**	**449002 (100.00)**

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।
स्रोतः 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं: 2019', सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार।

सार्वजनिक सुविधा होने के कारण इसकी परिसम्पत्तियों के निर्माण और रखरखाव में सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संदर्भ में लेख में भौतिक बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ हालिया पहलों का आकलन करने का प्रयास किया गया है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक हैं, विशेष रूप से कोविड–19 महामारी और उसके फलस्वरूप लगे लॉकडाउन और विपरीत प्रवास की पृष्ठभूमि में।

कुछ नई पहलें

बजट 2021–22 ने इस क्षेत्र के लिए बड़ी संख्या में घोषणाएं करके महामारी की पृष्ठभूमि में बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इनमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से लेकर मेगा टेक्सटाइल पार्क; राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को मज़बूत करने से लेकर विकास से सम्बंधित वित्तीय संस्थान की रचना का प्रस्ताव; परिसंपत्ति मुद्रीकरण से लेकर पूंजी बजट बढ़ाना तक शामिल हैं। महामारी और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों के बंद होने के कारण बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कई कदम उठाने पड़े थे। ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाने और ग्रामीण उत्पादों के विपणन को सुविधाजनक बनाने के संदर्भ में इनका दोहरा प्रभाव पड़ता है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पूर्ण होने की आमतौर पर एक लंबी अवधि होती है और इसमें हमेशा उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों के माध्यम से टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति की रचना और ग्रामीण मांग को प्रेरित करने के लिए रोज़गार पैदा करने के संदर्भ में दिसंबर 2020 में भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच एक महत्वपूर्ण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

स्थायी ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर सार्वजनिक नीति में ज़ोर कोई नई बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना देश की पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजना पहलों का अभिन्न अंग रहा है जिसका एकमात्र उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, आय और आजीविका की असुरक्षा के मुद्दों का समाधान खोज कर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है। भारत सरकार ने 1995–96 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) की स्थापना की थी, जिसकी आरंभिक समग्र निधि 2,000 करोड़ रुपये थी। आरआईडीएफ का संचयी आवंटन 2020–21 में 3,78,348 करोड़ रुपये था। आरआईडीएफ के तहत कृषि क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों से लेकर सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण कनेक्टिविटी तक विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं।

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान जून, 2020 में विशेष रूप से महामारी से उत्पन्न मुद्दों से निपटने के लिए शुरू किया गया था। यह अभियान फ़ौरन रोज़गार प्रदान करने और विपरीत पलायन करने वाले प्रवासियों के लिए 125 दिनों की अवधि तक आजीविका के अवसर पैदा करने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान में भारत सरकार के 12 मंत्रालयों/विभागों की 25 चालू योजनाओं के प्रयासों को सम्मिलित किया गया। अभियान के तहत 50 करोड़ से अधिक मानव दिवस रोज़गार सृजित किए गए।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) आजीविका सुरक्षा प्रदान करने और टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करती है। मनरेगा मजदूरी दर संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कीमतों के उतार–चढ़ाव के अनुसार 2019–20 की मज़दूरी दर को संशोधित करके अधिक निर्धारित की गई और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया। 1 अप्रैल, 2020 से 6 फरवरी, 2021 तक 326 करोड़ से अधिक व्यक्ति–दिवस उत्पन्न हुए जो कि 2019–20 में इसी अवधि के दौरान उत्पन्न रोज़गार से लगभग 44 **प्रतिशत** अधिक था। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना –(ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण–शीर्ण घरों में रहने वाले सभी ग्रामीण बेघर परिवारों और परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत 2020–21 में 24.44 लाख घरों का निर्माण पूरा हुआ।

परिवहन को सशक्त बनाना

भारत में लगभग 59 लाख किलोमीटर का विशाल सड़क नेटवर्क है जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें से 71 प्रतिशत ग्रामीण सड़कें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं (तालिका–1)। नेटवर्क का 2 **प्रतिशत** से अधिक भाग परिवहन प्रणाली का प्रमुख अंग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग

हैं जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों से होकर गुज़रते हैं और देश के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं। महामारी और लॉकडाउन के बावजूद 2020–21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्ग बनाने की उल्लेखनीय उपलब्धि रही। बेहतर सड़कें बनाना सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में की गई पहलें वास्तव में पथ–प्रवर्तक रही हैं। इनमें से एक निर्णय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नेटवर्क सर्वे व्हीकल को तैनात करने का है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 के दौरान देश में सभी सड़क दुर्घटनाओं में से 36 **प्रतिशत** राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुईं। ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का ब्यौरा दर्शाता है कि सभी सड़क दुर्घटनाओं में से 60.34 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं। ज़ाहिर है इस स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई की ज़रूरत है। इस दिशा में एक कदम और रहा गोल्डन ऑवर यानी दुर्घटना के बाद पहले अहम् घंटे के दौरान घायलों को समय पर सहायता सुनिश्चित करवाना जिसके लिए अप्रैल, 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जीवनरक्षक सहायता प्रणाली के साथ 90 बेसिक केयर एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई।

महामारी से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपयोगकर्ताओं के लिए अनेक सक्रिय कदम उठाए गए हैं जिससे सेवाओं की उपलब्धता सुगम हो। इनमें से कुछ हैं ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना जैसे लर्नर लाइसेंस आदि और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए अनुग्रह अवधि प्रदान करना, आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों/लॉरियों के अंतर–राज्यीय सीमा से आवागमन की सुविधा आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐप–आधारित दोपहिया टैक्सियों के संचालन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सुझाव से खेतिहर और अन्य ग्रामीण समुदायों को अपनी गतिविधिओं के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी। सड़क–ट्रेनों की सुरक्षा आवश्यकताओं के मसौदे को जारी करना माल की कुशल आवाजाही की दिशा में प्रयास के साथ–साथ पर्यावरण हितकारी विसंकुलता की ओर एक कदम है।

व्यापक नेटवर्क के कारण रेलवे लंबी दूरी की यात्रा के लिए परिवहन का पसंदीदा साधन है। महामारी के दौरान जिसमें लॉकडाउन भी शामिल है, रेलवे ने यह सुनिश्चित रखा कि आवश्यक वस्तुएं, जिनमें खाद्यान्न, फल और सब्जियां शामिल हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचे। लोगों को महामारी के प्रसार से बचाने के उद्देश्य से रेलवे ने वृहद् उपायों की घोषणा की जिनमें गैर–ज़रूरी यात्रा न करने का आग्रह और चरणबद्ध तरीके से यात्री सेवाओं को बहाल करना शामिल है। 1 मई से 31 अगस्त, 2020 के बीच कुल 4,621 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें 63.19 लाख विपरीत पलायन करने वाले प्रवासियों को ले जाया गया। इसके अलावा, उत्पादन और खपत केंद्रों को जोड़कर जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए कृषि रेल का विस्तार और किसानों को किसान रेल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और उत्पादकों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किसान रेल को अक्टूबर, 2020 से अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी सीधे दी जा रही है। ये महत्वपूर्ण पहलें हैं जिनका उद्देश्य निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना और जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की बर्बादी को कम करना है।

अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा माल ढुलाई लागत (1.06 रुपये/टन–किलोमीटर) रेलवे (1.36 रुपये/टन–किलोमीटर) और राजमार्ग (2.50 रुपये/टन–किलोमीटर) की तुलना में सबसे कम है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से विभिन्न घरेलू बाज़ारों में कृषि और गैर–कृषि उत्पादों के सुचारू, समय पर और किफायती ढुलाई के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग एक सक्षम लॉजिस्टिक विकल्प तैयार कर सकता है। यह कम लागत वाले अंतर्देशीय जल परिवहन संचालन की शुरुआत कर सकता है। उदाहरण के लिए फरवरी, 2021 से अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से तरलीकृत प्राकृतिक गैस की ढुलाई की जा सकती है। अंतर्देशीय जलराशि पर पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित हालिया प्रोटोकॉल में नए मार्गों आदि

तालिका–2: कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि और सहायता प्राप्त गोदामों/भंडारों की संख्या

वित्तीय वर्ष	फंड आवंटन (करोड़ रुपये में)	कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किए गए फंड (करोड़ रुपये में)	सहायता प्राप्त गोदामों/भंडारों की संख्या
2017–18	486.89	378.32	1,325
2018–19	104.45	55.13	122
2019–20	79.04	56.13	432
2020–21 (31 अगस्त, 2020 तक)	213.83	37.60	219

स्रोत: लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 432 जिसका उत्तर 15 सितंबर, 2020 को दिया गया।

दूरसंचार सेवाएं और ग्रामीण पहुंच

दूरसंचार सेवाओं के लाभकारी प्रयोग सभी क्षेत्रों में हैं। यह अब कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक किसान अपने मोबाइल की अपडेट पर भरोसा करते हुए यह तय करता है कि कौन–सा बाज़ार उसे सबसे अधिक लाभकारी कीमतें दिलाएगा।

महामारी से निपटने के लिए विभिन्न स्थानों पर भौतिक स्कूल कक्षाओं को ऑनलाइन कक्षाओं में बदल दिया गया है और टेली–मेडिसिन 'नए सामान्य' का एक अभिन्न अंग है। लेकिन देश में अभी भी इंटरनेट की पहुंच कम है। मार्च, 2021 में जारी यूनिसेफ की 'यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड' रिपोर्ट[1] का अनुमान है कि भारत में इंटरनेट की पहुंच केवल 8.5 प्रतिशत छात्रों के पास है जो महामारी और इसके परिणामस्वरूप स्कूलों के बंद होने से उत्पन्न दुर्दशा को बढ़ाता है। जिन छात्रों के पास डिजिटल साधन नहीं हैं, उनकी मुश्किलों को दूर करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2020–21 के दौरान रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट, टोल फ्री नंबर, मिस्ड कॉल, ऑडियो सामग्री के लिए एसएमएस–आधारित अनुरोध, एडुटेनमेंट के लिए स्थानीयकृत रेडियो सामग्री आदि उपलब्ध कराई गई।

अभी भी 25,067 ऐसे गांव हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है[2]। ब्रॉडबैंड की पैठ, जो प्रति 100 जनसंख्या पर ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 29.2 और 93.03 प्रतिशत है।[3]

नई तकनीक को अपनाने के लिए और दूरसंचार सेवाओं के रखरखाव में निरंतर निवेश के लिए पूंजी की विशाल आवश्यकताओं को पूरा करने की दोतरफा चुनौती है; और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच दरार न बने। कोविड–19 की स्थिति ने मानवता के समक्ष गंभीर आपदाओं को पैदा किया है लेकिन भारत के दूरसंचार सेक्टर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की निर्बाध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कई मुद्दों का सामना करने और समाधान ढूंढने की क्षमता है।

1. यूनिसेफ (2020) "COVID-19 and School Closures: One year of education disruption".
2. लोकसभा (2021) "BSNL Network in Rural Areas" अतारांकित प्रश्न सं. 4626, 24 मार्च, 2020
2. राज्यसभा (2020) "Broadband Penetration in Urban and Rural Areas" अतारांकित प्रश्न सं. 493, 17 सितंबर, 2020

को शामिल करने का प्रस्ताव है जो भीतरी इलाकों को विकसित करने में मदद करेगा।

विपणन को बढ़ावा और भंडारण सुरक्षा उपाय

ग्रामीण बुनियादी ढांचे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर उपेक्षित पहलू कृषि उपज का विपणन है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि बाज़ार, जिसे ई–नाम भी कहा जाता है, ने एक आभासी (वर्चुअल) मंच (प्लेटफॉर्म) उपलब्ध कराया है जो पूरे देश में थोक मंडियों को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य कृषि और बागवानी वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करके किसानों के लिए लाभकारी कीमत सुनिश्चित करना है। इस प्लेटफॉर्म पर 1.69 करोड़ किसान और 1,820 किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत हैं। यह मंच फ़सल का मूल्य पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के साथ–साथ मंडियों में भीड़–भाड़ से बचने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए, जो वर्तमान महामारी के समय में आवश्यक हैं, एक प्रभावकारी ज़रिया है। इससे पहले 2018–19 में 2,000 करोड़ रुपये के कार्पस फंड के साथ एक कृषि बाज़ार अवसंरचना कोष की घोषणा की गई थी। यह फंड कृषि विपणन के बुनियादी ढांचे के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा, मनरेगा के माध्यम से पंचायतों के नियंत्रण में ग्रामीण हाटों के भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास और उन्नयन ग्रामीण कृषि बाज़ारों के विकास को सुनिश्चित करता है।

कृषि उत्पादों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मालगोदामों और भंडारों का निर्माण या नवीनीकरण महत्वपूर्ण है। महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद कृषि विपणन अवसंरचना

तालिका –3: बसावटें और आबादी जिनको पेयजल उपलब्ध है

ग्रामीण बसावटों की संख्या जिन्हें 40 एलपीसीडी या अधिक पेयजल उपलब्ध कराया गया है		ग्रामीण बसावटों की संख्या जिन्हें 40 एलपीसीडी से कम पेयजल उपलब्ध कराया गया है		ग्रामीण बसावटों की संख्या जिनके जल–संसाधन दूषित हैं	
बसावटें	जनसंख्या (लाख में)	बसावटें	जनसंख्या (लाख में)	बसावटें	जनसंख्या (लाख में)
13,49,723 (79 प्रतिशत)	7,437.73 (78 प्रतिशत)	3,04,343 (18 प्रतिशत)	1,831.92 (19 प्रतिशत)	48,219 (3 प्रतिशत)	236.24 (3 प्रतिशत)

स्रोतः लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3783 जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया गया।

(एएमआई) के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई धनराशि और 2020–21 के दौरान एएमआई के तहत सहायता प्राप्त गोदामों/भंडारों की संख्या पिछले वर्षों की संख्या से तुलनीय है (तालिका–2)। कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी हेतु एकीकृत विकास मिशन और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

जल आपूर्ति और बिजली सुनिश्चित करना

एक संसाधन जिसके कई उपयोग हैं और जो लगभग हर प्रकार के उत्पादन और खपत के लिए आवश्यक है– वह है 'जल'। निसंदेह जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। 15 मार्च, 2021 तक 79 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) पेयजल था। घटते जल संसाधनों और कम होते जलस्तर को देखते हुए जल प्रबंधन का कौशल बहुत बड़ा हो जाता है जिसमें बुनियादी चुनौती शेष घरों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने की होती है अर्थात 18 प्रतिशत ग्रामीण बसावटें जिनमें 40 एलपीसीडी से कम पीने योग्य पानी है और 3 प्रतिशत ग्रामीण बसावटें जिनके पास दूषित जल संसाधन हैं (तालिका–3)।

अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 'सौभाग्य' –गरीब घरों जिनमें ग्रामीण परिवार भी शामिल हैं, के विद्युतीकरण के लिए शुरू की गई थी। लगभग 281 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। अब चुनौती उन घरों में गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की है।

सर्वव्यापी दूरसंचार

सामाजिक दूरी के नियम बन जाने के साथ भौतिक दूरियों को पाटने में दूरसंचार की भूमिका और अधिक बढ़ गई है (बॉक्स–1)। दुनिया में दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार नेटवर्क के साथ जनवरी, 2021 में भारत का ग्रामीण टेली घनत्व 59.16 प्रतिशत था। ढाई लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। आसान और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अगस्त 2020 में यह घोषणा की गई कि आने वाले 1,000 दिनों में देश के सभी 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा जिसमें लक्षद्वीप द्वीपसमूह भी शामिल है। ये पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े होंगे। 8 मार्च, 2021 तक 1,03,400 ग्राम पंचायतों में वाई–फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जा चुके थे। इसके अलावा, सामरिक महत्व के स्थानों, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में 354 अछूते गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने की पहल की गई है। अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पहली लॉकडाउन अवधि के दौरान 'आरोग्य सेतु' और 'किसान रथ' सहित विभिन्न एप लांच किए गए थे। संचार बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है। दूरदराज के क्षेत्रों में

भारत नेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। आसान और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अगस्त 2020 में यह घोषणा की गई कि आने वाले 1,000 दिनों में देश के सभी 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा जिसमें लक्षद्वीप द्वीपसमूह भी शामिल है। ये पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े होंगे। 8 मार्च, 2021 तक 1,03,400 ग्राम पंचायतों में वाई–फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जा चुके थे।

आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने में इसके विभिन्न साधनों की भूमिका तब और अधिक बढ़ गई जब भारतीय डाक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सहायता से देशभर की प्रयोगशालाओं को कोविड–19 परीक्षण किट की डिलीवरी और उनकी आपूर्ति की गई।

निष्कर्ष

संक्षेप में कहें तो सशक्त ग्रामीण बुनियादी ढांचे के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के मिशन को पूरा किया जा सकता है। बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचा, चाहे वह सड़क, वायु या जल परिवहन हो या फिर दूरसंचार, ग्रामीण विपणन, गोदामों का निर्माण या जल और बिजली आपूर्ति हो, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के बेहतर अवसर प्रदान करने और किसानों, निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को उत्पादन से संबद्ध गतिविधियों की उचित मूल्य अदायगी में सक्षम है। भौतिक दूरी के कारण वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच अक्सर बाधित होती है। नवाचार और प्रौद्योगिकी ने भौतिक दूरी को सफलतापूर्वक लांघ लिया है जैसा कि अभी जारी महामारी की शुरुआत से ही स्पष्ट है। एक मज़बूत ग्रामीण बुनियादी ढांचा अपने बहुआयामी प्रभाव से ग्रामीण परिवर्तन में योगदान देता है। इसलिए विपरीत पलायन करने वाले प्रवासियों सहित लाखों ग्रामीण निवासियों की आय और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करने की सख्त आवश्यकता है। हालांकि मुख्य चुनौतियां निवेश को आकर्षित करने, गुणवत्ता बनाए रखने और भारत सरकार के कई संबंधित मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्रमों और योजनाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करने से जुड़ी हैं। बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक आपूर्ति समयबद्ध तरीके से अपने निर्धारित गंतव्यों तक पहुंचती रहे। महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को सफलतापूर्वक दूर करने में ऐसे उपायों की प्रभावशीलता देश के हितधारकों की दक्षताओं और अनुपालन के स्तर पर निर्भर करती है जिसमें राज्य और केंद्र सरकारें तथा समुदाय शामिल हैं।

(लेखिका डीसी–एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अतिरिक्त विकास आयुक्त हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)

ई–मेल : igtripathy@gmail.com

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

–डॉ. के.के. त्रिपाठी

रोज़गार, आय और संपदा में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि कृषि अवसंरचना सुविधाएं कितनी टिकाऊ हैं और किस प्रकार देश स्वयं को बेहतर अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उन्नत कृषि पद्धतियों, जलवायु अनुकूल किस्मों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए तैयार करता है। इस लेख में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)–एकीकृत ग्रामीण सिंचाई बुनियादी ढांचा पहल, जिसमें बेहतर जल उपयोग कुशलता के माध्यम से कृषि उत्पादकता में योगदान करने की अपार क्षमता है, के विशेष संदर्भ में सिंचाई के बुनियादी ढांचे की स्थिति की समीक्षा की गई है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उर्ध्वगामी दृष्टिकोण को अपनाने के महत्व को उचित रूप से रेखांकित किया था और उनके कथन "असली भारत अपने गांवों में बसता है" को बहुधा विभिन्न विकास मंचों में दोहराया जाता है। आज भारत की लगभग 69 प्रतिशत आबादी (88 करोड़) ग्रामीण है और 6.45 लाख से अधिक गांवों में बसी है। विशाल ग्रामीण आबादी, उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सर्वांगीण विकास की मांग करती है। नीति निर्माता सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास के मिशन को हासिल करने के लिए इसे बहुत महत्त्व देते हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाओं और कई वार्षिक बजट संचालित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत सरकार और राज्यों द्वारा अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम उन्मुख विकास पद्धतियों का पालन किया गया। योजना और लोकतंत्र के सात दशकों के दौरान आर्थिक विकास के लिए युक्तिपूर्ण पहलों की शृंखला का भारत साक्षी है। देश के अर्थशास्त्रियों, योजनाकारों और नीति निर्माताओं ने हमेशा एक जीवंत ग्रामीण भारत की कल्पना की है और वे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सुधार और विस्तार के पक्षधर रहे हैं जैसे कृषि–बुनियादी ढांचा, पेयजल और सिंचाई, सड़क और इंटरनेट कनेक्टिविटी, आवास, स्वच्छता, बिजली, विपणन, संभरण गतिविधियां आदि।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा: पिछली पहलें

समावेशी विकास प्रक्रिया सुविधा में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने चार वर्षों (2005–2009) में कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध व्यापार योजना के रूप में 'भारत निर्माण' नामक एक विशिष्ट ग्रामीण बुनियादी ढांचा

कार्यक्रम शुरू किया था। कार्यक्रम के तहत शामिल छह प्राथमिकता वाले घटक–सिंचाई, पेयजल, विद्युतीकरण, सड़क, आवास और ग्रामीण टेलीफोन सेवा थे। यह कार्यक्रम जो एक मिशन मोड पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तत्काल निष्पादन के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी पर निर्भर था, अपने कुछ पूर्व–लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। इसने सरकारी तंत्र को बारहवीं योजना अवधि (2012–17) में लक्षित गतिविधियों को पूरा करने के लिए समय–सीमा को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य किया। ग्रामीण आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत–सी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी शेष हैं। इसलिए वर्तमान सरकार ने विषय विशिष्ट योजनाबद्ध और कार्यक्रम संबंधी पहलों के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान देना जारी रखा।

सिंचाई अवसंरचना

एक हालिया सरकारी अनुमान के अनुसार देश में औसत वार्षिक जलक्षमता 1,869 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है जबकि उपयोग योग्य जल उपलब्धता केवल 1,137 बीसीएम प्रति वर्ष है जिसमें 690 बीसीएम सतही जल और 447 बीसीएम पुनःपूर्ति योग्य भूजल शामिल है। जनसंख्या में वृद्धि और जल के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। वर्ष 2001 और 2011 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता क्रमशः 1,816 क्यूबिक मीटर (सीएम) और 1,545 सीएम के रूप में आंकी गई थी जो वर्ष 2025 और 2050 में क्रमशः 1,340 और 1,140 सीएम तक घट सकती है। यह अधिकतम जल उपयोग दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत जल संरक्षण और उपयोगकर्ता– अंतरावस्था (यूजर इंटरफ़ेस) सिंचाई योजना की आवश्यकता दर्शाता है। इसके अलावा, पीएमकेएसवाई अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला यानी जलस्रोत, वितरण नेटवर्क और कृषि–स्तर में उपयोग में शुरू से अंत तक समाधान प्रदान कर सकती है बशर्ते इस योजना का अमल प्रभावी ढंग से हो।

पीएमकेएसवाई–हर खेत को जल के लिए सरकार की बजटीय और नीतिगत पहलें सिंचाई–वंचित ज़िलों में संभावित मामलों को उठाकर भूजल सिंचाई आवश्यकताओं की पहचान, समीक्षा, पुनरुज्जीवन और शीघ्र निष्पादन पर केंद्रित हैं। सरकार के नीतिगत दृष्टिकोण ने द्रुत कार्रवाई के महत्व पर गौर किया है और सभी हितधारकों के साथ प्रभावी परामर्श के बाद ही सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके सिंचाई में जल के कुशल उपयोग की हिमायत की है। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य भारत में एकीकृत जल उपयोग दक्षता हासिल करना रहा है।

सिंचाई योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए समयबद्ध योजना तैयार करके सिंचाई प्रयासों का समेकन, वृद्धिशील सिंचाई क्षमता का निर्माण और स्थापित क्षमता का विस्तार भारत की

2014 में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से मेसर्स ग्लोबल एग्री सिस्टम लिमिटेड द्वारा आयोजित सूक्ष्म सिंचाई की प्रभावशीलता पर एक हालिया अध्ययन में निम्नलिखित पर प्रकाश डाला गयाः

- एक ही जलस्रोत से सिंचित क्षेत्र में औसत 8.41 प्रतिशत की वृद्धि;
- 32.3 प्रतिशत की औसत से सिंचाई लागत 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है;
- बिजली की खपत लगभग 31 प्रतिशत कम हो जाती है;
- उर्वरकों की बचत 7 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक है;
- फलों और सब्जियों की औसत उत्पादकता में लगभग 42.3 प्रतिशत और 52.8 प्रतिशत की वृद्धि;
- किसानों की कुल आय वृद्धि 20 प्रतिशत से 68 प्रतिशत तक है और औसत 48.5 प्रतिशत है।

विकास योजना के महत्वपूर्ण नीतिगत उद्देश्य रहे हैं। वर्ष 2016–17 तक बड़ी संख्या में सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था और उनमें किए गए निवेश को 'डूबा हुआ निवेश' माना जाता था। वर्ष 2016–17 के दौरान 99 चालू प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने को प्राथमिकता दी गई थी। वर्ष 2016–17 के दौरान पीएमकेएसवाई के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) घटक के तहत 99 चालू प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था जिसका उद्देश्य एआईबीपी के 151.33 लाख हेक्टेयर के कुल लक्ष्य के मुकाबले 111.09 लाख हेक्टेयर की वृद्धिशील सिंचाई क्षमता का निर्माण करना था। एआईबीपी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं में से 44 या तो पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने वाली हैं। अखिल भारतीय स्तर पर एआईबीपी की कुल लक्षित सिंचाई क्षमता का 73.4 प्रतिशत मार्च 2020 तक बनाया गया था। कम से कम 12 राज्य राष्ट्रीय औसत से ऊपर थे जबकि दो राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश ने अपने निर्धारित लक्ष्यों का 103.7 प्रतिशत और 100 प्रतिशत हासिल किया। 25 राज्यों में सभी प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के तहत उत्पन्न राज्यवार सिंचाई क्षमता का विवरण तालिका–1 में प्रस्तुत किया गया है।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल पहल ने सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन तकनीकी पहलों के माध्यम से कृषि–स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने को बहुत अधिक महत्त्व दिया जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई, पिवोट्स और रेन–गन आदि। इसी तरह, पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक का लक्ष्य रिज–एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेनेज जैसे मरम्मत और नवीनीकरण कार्य, मिट्टी और नमी संरक्षण, वर्षाजल संचयन, नर्सरी बनाने, वृक्षारोपण और वनीकरण आदि के माध्यम से

कृषि क्षेत्र और कृषि योग्य बंजर भूमि के वर्षा–आधारित हिस्सों को विकसित करना है जिसका उद्देश्य ड्राउट प्रूफिंग (सूखारोधन) और मिट्टी के कटाव को रोकना, पेड़–पौधे लगाना, वर्षाजल संचयन और भूजल का पुनर्भरण सुनिश्चित करना है।

31 मार्च, 2020 तक, लगभग 125 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है जिसमें से 59.62 लाख हेक्टेयर ड्रिप सिंचाई के तहत है और 6.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई है। तालिका–2 सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक कवर किए जाने वाले क्षेत्रों का राज्यवार विवरण देती है।

जल के महत्त्व और सिंचाई के लिए इसके कुशल उपयोग को समझने का समय आ गया है। लघु सिंचाई पहलों का न केवल जल की बचत और संरक्षण अभियान पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है बल्कि वे फसल विशिष्ट जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)– प्रति बूंद अधिक फसल सटीक या सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर ऑन–फार्म जल प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से खेत–स्तर पर जल उपयोग

तालिका–1. पीएमकेएसवाई के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत उत्पन्न सिंचाई क्षमता – सभी प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं (प्रति हज़ार हेक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य	एआईबीपी के तहत लक्ष्य	एआईबीपी के तहत उत्पन्न क्षमता					मार्च 2020 तक एआईबीपी के तहत उत्पन्न क्षमता	एआईबीपी के तहत लक्ष्य के मुकाबले उत्पन्न क्षमता का प्रतिशत
			2000-01	2005-06	2010-11	2015-16	2019-20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	788.9	0.4	26.8	60.1	29.1	0.0	330.8	41.9
2	असम	162.3	7.5	2.7	6.2	0.0	0.0	123.9	76.3
3	बिहार	684.7	13.5	174.6	0.0	0.0	1.9	480.2	70.1
4	छत्तीसगढ़	213.7	2.7	11.6	2.8	1.1	0.0	208.7	97.7
5	गोवा	23.8	0.1	0.3	0.8	0.0	0.0	20.7	86.9
6	गुजरात	1,830.2	40.6	34.1	28.9	185.9	28.7	1,897.1	103.7
7	हरियाणा	201.0	11.2	6.9	0.0	0.0	0.0	115.2	57.3
8	हिमाचल प्रदेश	37.5	0.3	0.5	5.0	0.0	0.0	37.5	100.0
9	जम्मू और कश्मीर	105.7	0.9	1.3	8.9	1.0	5.3	64.1	60.6
10	झारखंड	293.8	1.8	0.0	1.7	0.0	0.0	121.6	41.4
11	कर्नाटक	953.5	4.8	50.5	24.7	88.4	1.9	845.2	88.6
12	केरल	57.5	1.6	0.6	2.6	0.5	1.0	52.1	90.7
13	मध्य प्रदेश	1,028.5	9.5	21.1	89.7	52.0	11.2	975.2	94.8
14	महाराष्ट्र	1,215.2	21.5	34.5	34.8	24.3	66.2	906.2	74.6
15	मणिपुर	52.0	0.0	0.0	4.0	2.0	0.0	40.4	77.7
16	मेघालय	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	ओडिशा	649.9	13.0	4.2	36.2	7.3	15.2	320.8	49.4
18	पंजाब	337.6	14.2	18.0	25.0	2.9	0.0	212.8	63.0
19	राजस्थान	1,605.2	12.7	81.2	396.0	6.3	0.1	1,161.1	72.3
20	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-
21	तेलंगाना	827.9	8.4	34.7	8.1	69.2	3.7	633.3	76.5
22	त्रिपुरा	24.5	0.8	2.1	0.5	0.0	0.0	16.8	68.5
23	उत्तर प्रदेश	3,213.9	351.2	111.3	175.3	63.8	182.0	2,398.2	74.6
24	उत्तराखंड	270.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
25	पश्चिम बंगाल	551.0	16.2	5.2	15.3	0.0	0.0	147.5	26.8
कुल		533.1	622.1	926.7	533.7	317.2	11,109.4	73.4	

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।

दक्षता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, कृषि के लिए जल की मांग घटाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों की पहलें सिंचाई के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में केंद्र सरकार के अभियान की पूरक हैं। मसलन जहां हरियाणा और पंजाब द्वारा धान की जल्दी बुवाई पर प्रतिबंध है, वहीं हरियाणा की 'जल ही जीवन है', योजना के माध्यम से कम जल खपत वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसी तरह गन्ने की खेती आदि के लिए ड्रिप सिंचाई के अनिवार्य उपयोग पर महाराष्ट्र के नीति निर्देश राज्य के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल की बचत और जल संसाधनों के संरक्षण में मदद करते हैं।

पीएमकेएसवाईः 2021–22 बजट लक्ष्य

भारत में सिंचित कृषि के लिए जल उपयोग दक्षता अपेक्षाकृत कम रही है। परिणामस्वरूप अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रति इकाई फसल उत्पादन में जल की अधिक मात्रा का उपयोग होता है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021–22 के अपने निर्गम परिणाम मैट्रिक्स में ज़मीनी–स्तर पर सिंचाई क्षमता और उनके उपयोग में दक्षता बढ़ाने के अपने प्रयासों में तेज़ी लाने का प्रयास किया। बजट 2021–22 में परिणामों के साथ परिभाषित प्रमुख प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं:

- अतिरिक्त 20 लाख हेक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई के तहत लाना, फसल विविधीकरण के साथ सटीक सिंचाई 6 लाख किसानों द्वारा अपनाना।
- जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को जल गहन फसलों के लिए लघु सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि के सूखारोधन के उद्देश्य से 25,000 अतिरिक्त सूक्ष्म जल संचयन संरचनाएं बनाई गई।
- उपज और आय बढ़ाने, भूजल पुनर्भरण और जल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत 54 परियोजनाओं को पूरा करके 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण।
- क्षमता और उपयोग के बीच के अंतर को कम करने के लिए दो लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि योग्य कमांड क्षेत्र को कवर किया गया।
- भागीदारी प्रबंधन को मज़बूत करने के लिए 400 अतिरिक्त जल उपयोगकर्ता संघों का गठन और जल उपयोगकर्ता संघों को अतिरिक्त 300 परिसंपत्तियां सौंपना।
- पांच लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा करने के लिए 100 अतिरिक्त जल निकायों और सतही लघु सिंचाई

तालिका–2: सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किए जाने वाले राज्यवार क्षेत्र (31.03.2020 तक)

(हेक्टेयर)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ड्रिप	स्प्रिंकलर	कुल
1	आंध्र प्रदेश	138,8126	519,165	1,907,291
2	अरुणाचल प्रदेश	613	0	613
3	असम	2,374	11,320	13,694
4	बिहार	12,488	106,979	119,467
5	छत्तीसगढ़	27,504	316,456	343,960
6	गोवा	1,336	1,264	2,600
7	गुजरात	800,720	728,843	1,529,563
8	हरियाणा	35,812	592,221	628,033
9	हिमाचल प्रदेश	6,900	5,386	12,286
10	जम्मू और कश्मीर	93	57	150
11	झारखंड	25,081	17,298	42,379
12	कर्नाटक	723,178	1,048,906	1,772,084
13	केरल	23,954	8,922	32,876
14	मध्य प्रदेश	322,181	249,036	571,217
15	महाराष्ट्र	1,314,779	561,647	1,876,426
16	मणिपुर	358	2,584	2,942
17	मेघालय	308	307	615
18	मिज़ोरम	5,088	1,688	6,776
19	नागालैंड	2,424	5,855	8,279
20	ओडिशा	26,134	105,095	131,229
21	पंजाब	36,025	13,704	49,729
22	राजस्थान	264,298	1,685,006	1,949,304
23	सिक्किम	6,350	5,260	11,610
24	तमिलनाडु	686,572	252,573	939,145
25	तेलंगाना	195,831	71,009	266,840
26	त्रिपुरा	444	1,651	2,095
27	उत्तर प्रदेश	32,442	178,624	211,066
28	उत्तराखंड	10,965	7,944	18,909
29	पश्चिम बंगाल	10,329	78,182	88,511
कुल		5,962,707	6,576,982	12,539,689

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।

परियोजनाओं की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार किया गया।

पीएमकेएसवाई: आउटपुट, परिणाम और अवरोध

पीएमकेएसवाई का उद्देश्य न केवल सिंचाई की उपलब्धता और विस्तार करके कृषि जल उत्पादकता को बढ़ाना है बल्कि दोनों–सिंचित और बारानी कृषि गतिविधियों में जल उपयोग दक्षता भी सुनिश्चित करना है। सिंचाई दक्षता के साथ–साथ लघु सिंचाई पर अधिक से अधिक ज़ोर देने से मिट्टी के जल की कमी और सूखे के मुद्दों को दूर करके कम जल और कम क्षेत्र में बेहतर उपज सुनिश्चित होगी और देश में मृदा–जल पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी। पीएमकेएसवाई के प्रभावी कार्यान्वयन से भविष्य में कृषि में स्थिरता आएगी। पीएमकेएसवाई घटकों के आउटपुट, परिणाम और अवरोध विश्लेषण को तालिका–3 में समझाया गया है।

निष्कर्ष

जल जो कृषि की जीवनरेखा है, सभी सजीव प्राणियों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है और साथ ही, खाद्यान्न उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। बार–बार आने वाले शुष्क दौर, सिंचाई के लिए भूजल की कम उपलब्धता और परिणामवश सूखा और सूखे जैसी स्थितियां भारतीय कृषि उत्पादन और उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। इसके कारण देश में सिंचाई की आधुनिक और

तालिका 3: सतत कृषि के लिए प्रमुख पीएमकेएसवाई घटकों का आउटपुट, परिणाम और अवरोध विश्लेषण

घटक	आउटपुट	परिणाम	समस्याएं / अवरोध
प्रति बूंद अधिक फसल (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)	• कुशल जल प्रवाह और सटीक जल प्रयोग उपकरण उपलब्ध कराना–स्प्रिंकलर, ड्रिप, पिवट, रेन–गन, आदि। • वर्षा सिंचित कृषि में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान	• फसल उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि • बेहतर जल उपयोग दक्षता	• उप–योजना के तहत सृजित और प्रदान की गई परिसंपत्तियों की स्थायित्वता • रखरखाव की चुनौतियां और लागत का दबाव • किसानों में पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान, प्रशिक्षण और जागरूकता का अभाव • फसल विविधीकरण के बारे में जानकारी का अभाव
वाटरशेड विकास (भूमि संसाधन विभाग)	• रिज क्षेत्र प्रशोधन, जल निकासी लाइन प्रशोधन, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षाजल संचयन, नर्सरी बनाना, वनारोपण, बागवानी, चारागाह विकास, परिसंपत्ति विहीन व्यक्तियों आदि के लिए आजीविका के माध्यम से कृषि क्षेत्र और कृषि योग्य बंजर भूमि के वर्षा आधारित भागों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना	• सूखा प्रूफिंग • भूक्षरण की रोकथाम, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, वर्षाजल संचयन और भूजल स्तर का पुनर्भरण। • स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए बहुफसली खेती	• वर्षा की अनिश्चितता, किसानों की खराब आर्थिक स्थिति और बारानी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर भूमि क्षरण • प्रवाह के विपरीत दिशा में वाटरशेड के अनुचित विकास के कारण प्रवाह की दिशा में बने जलाशयों में जल का प्रवाह कम होना • ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, वन आदि विभागों के बीच योजना अभिसरण और समन्वय का अभाव।
हर खेत को पानी (जल शक्ति मंत्रालय)	• स्रोत संवर्धन, वितरण, भूजल विकास, लिफ्ट सिंचाई, जल की अधिकता से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जलप्रवाह को मोड़ना, मरम्मत, जीर्णोद्धार, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	• फसल की पैदावार में वृद्धि • किसानों की आय में बढ़ोतरी • भूजल की पुनःपूर्ति • जल की उपलब्धता में सुधार • 2019 तक वित्तीय अवरोधों के कारण रुके हुए उन्नत चरण की सिंचाई परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन	• योजना और कार्यान्वयन में अंतराल • सिंचाई कार्यक्रम के लाभों के बारे में किसानों की जागरूकता का स्तर। • चालू सिंचाई कार्यों को पूरा करने में देरी के कारण समय और लागत में वृद्धि। • वन / पर्यावरण मंजूरी का न मिलना • स्थानीय लोगों के बीच आम सहमति की कमी के कारण विरोध और टकराव।
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (जल शक्ति मंत्रालय)	• राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित जारी प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना		

स्रोत: लेखक द्वारा संकलित

उन्नत अवसरंचनाओं के नेटवर्क स्थापित करके जल उपयोग दक्षता के उच्च–स्तर को हासिल करने की दरकार है।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों की व्यापक और निरंतर पहलों और प्रयासों ने निसंदेह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आगत उपयोग दक्षता, और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से कृषि के जलवायु के प्रहार झेलने में सक्षम ढांचा तैयार करने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार की अपनी प्रमुख सिंचाई योजना – पीएमकेएसवाई, लोक निर्माण कार्यक्रम और जल शक्ति मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सार्वजनिक जल संरक्षण कार्यों के माध्यम से की गई पहलें हालांकि प्रशंसनीय हैं पर साथ ही, यह वांछनीय है कि इतने वर्षों में सृजित की गई सिंचाई क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए और सृजित क्षमता और वास्तविक उपयोग के बीच अंतर को कम किया जाना चाहिए।

जल की कम उपयोग दक्षता के मुख्य कारणों में कृषि जलवायु परिस्थितियों, सिंचाई गतिविधियों में नवाचार और क्षेत्र में जल की उपलब्धता को ध्यान में रखे बिना फसलों की खेती करना शामिल है। सरकार की खरीद नीति, बाज़ार पहुंच आदि फसलचक्र के पैटर्न में बदलाव को प्रभावित करते हैं और निशुल्क या सब्सिडी वाली बिजली, पारंपरिक कृषि पद्धतियां और बाढ़ सिंचाई पर निर्भरता आदि कृषि में जल के असंगत उपयोग को बढ़ावा देते हैं। यह नई और नवीन सिंचाई और फर्टिगेशन तकनीकों के उपयोग के माध्यम से जलवायु–स्मार्ट कृषि को लोकप्रिय बनाने के लिए एकीकृत जल प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है।

कार्यान्वयन के मुद्दों और ज़मीनी–स्तर पर इन योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि राज्यों में कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियां सुशासन लाएंगी और इस तरह की विकास पहलों के लाभों को अधिकतम करने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित सर्वोत्तम प्रणालियों का पालन करेंगी। सिंचाई पहलों की योजना और क्रियान्वयन के चरणों में किसानों, किसानों के समूहों, स्वयंसहायता समूहों, जल उपयोगकर्ता संघों, किसान उत्पादक संगठनों की पर्याप्त और समय पर भागीदारी की भी आवश्यकता है जिससे पीएमकेएसवाई के अधिकतम अपेक्षित लाभों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी।

(लेखक कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में आर्थिक सलाहकार हैं। ई–मेल : tripathy123@rediffmail.com लेख में प्रस्तुत विचार निजी हैं।)

योजना का जुलाई 2021 अंक

पूर्वोत्तर

भारत पर केंद्रित है

अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, असमिया, बांग्ला, ओडिया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, पंजाबी और कन्नड़ भाषाओं में एक साथ प्रकाशित

आज ही अपनी प्रति सुरक्षित कराएं

वेबसाइट-www.publicationsdivision.nic.in

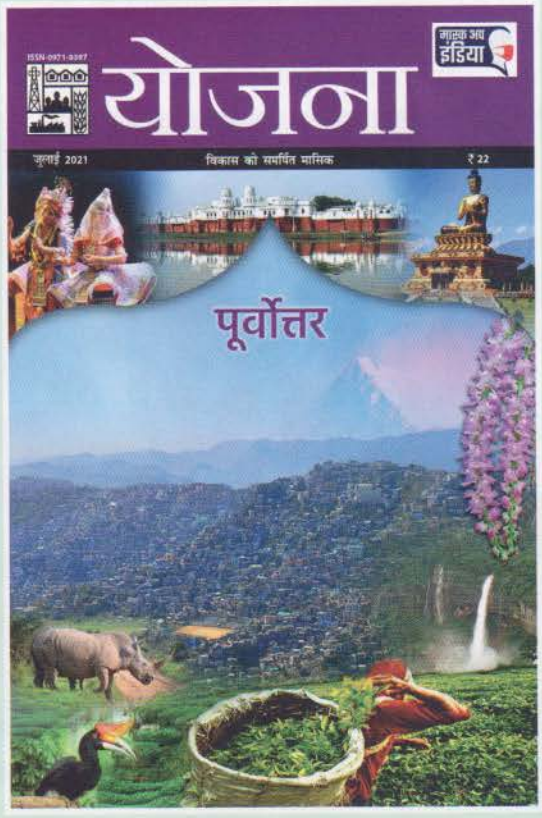

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा

–डॉ. नीलम पटेल और रणवीर नगाइच

ग्रामीण विकास में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व को नज़रंदाज नहीं किया जा सकता। इस उद्योग में विकास और रोज़गार पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार को प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों रूपों से प्रभावित करता है। इस उद्योग में भारत अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहा है। इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की भी ज़रूरत है।

ग्रामीण विकास में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व को नज़रंदाज नहीं किया जा सकता। इस उद्योग में विकास और रोज़गार पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। मौजूदा समय में विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 8.98 प्रतिशत और 11.11 प्रतिशत है। यह पंजीकृत कामगारों के 12.38 प्रतिशत भाग वाले औपचारिक क्षेत्र के अलावा अनौपचारिक उद्यमों में भी सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला क्षेत्र है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व को इसलिए भी कम करके नहीं आंका जा सकता चूंकि यह कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के बीच की कड़ी है। खेत के स्तर पर, खासतौर से बुनियादी और प्राथमिक प्रसंस्करण क्षमताओं के निर्माण से, आय में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक विकास में भी समावेशन को बढ़ाने के लिए यह एक मज़बूत तर्क है। एक अनुमान के अनुसार 70 से 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं खेती से जुड़ी हैं। वे खेती में कृषक, उद्यमी और मजदूर की भूमिका निभा रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मुताबिक पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों में रोज़गार में महिलाओं का हिस्सा कुल नियोजन का 12.6 प्रतिशत है। अपंजीकृत उद्योगों में तो महिलाओं का हिस्सा पंजीकृत उद्यमों की तुलना में लगभग दोगुना यानी 24.7 प्रतिशत है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र महिलाओं के लिए उद्यमिता और रोज़गार के अवसर पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की क्षमता रखता है। हालांकि इस क्षेत्र में भी विभिन्न संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच और आसान बनाने की ज़रूरत है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार को प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों रूपों से प्रभावित करता है। इस उद्योग में भारत अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहा है। इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की भी ज़रूरत है।

उपभोक्ताओं में प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। बढ़ती आय के साथ ही खपत बढ़ने के अलावा ब्रांडेड उत्पादों

की मांग में भी इज़ाफा हो रहा है। स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की मांग और संगठित खुदरा व्यापार में वृद्धि भी इस उद्योग में बढ़ती उपभोक्ता मांग को प्रदर्शित करती है। विश्व–स्तर पर विकसित बाज़ारों में मूल्य संवर्धित और प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग ज़्यादा है। निर्यात के लिए कच्चे उत्पादों के परिवहन के दौरान ताज़गी बनाए रखने के मकसद से भी उनके कुछ हद तक प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लेकिन एक विचार यह भी है कि भारत महामारी के बाद खाद्य निर्यात केंद्र बनने की अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहा है। भारत अनाजों, फलों, सब्जियों और मछलियों का दूसरा सबसे बड़ा और दूध का पहले नंबर का उत्पादक है। लेकिन देश अपने कुल खाद्य उत्पादन का 10 प्रतिशत से भी कम हिस्सा प्रसंस्कृत करता है। फलों और सब्जियों के मामले में यह संख्या 2 प्रतिशत और मुर्गीपालन के क्षेत्र में 6 प्रतिशत से भी कम है। लेकिन मांस उत्पादों (21 प्रतिशत) और समुद्री खाद्य उत्पादों (23 प्रतिशत) में यह संख्या अधिक है। वैसे, इस स्थिति में प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण के बीच अंतर करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में गेहूं की पिसाई जैसा प्राथमिक प्रसंस्करण ज़्यादा विकसित है। लेकिन टमाटर से केचप निर्माण जैसा माध्यमिक प्रसंस्करण क्षेत्र तुलनात्मक रूप से कम विकसित है। वस्तु का मूल्य संवर्धन ज़्यादातर माध्यमिक प्रसंस्करण क्षेत्र में ही होता है। अन्य देशों की तुलना में भारत में खाद्य प्रसंस्करण का स्तर स्पष्ट रूप से कम है। भारतीय रिज़र्व बैंक के एक आधारपत्र के अनुसार चीन में कुल खाद्य पदार्थों के 30 प्रतिशत हिस्से का प्रसंस्करण किया जाता है। अमेरिका में फलों और सब्जियों के 65 प्रतिशत और चीन में 23 प्रतिशत उत्पादन का प्रसंस्करण किया जाता है। थाईलैंड में 30 प्रतिशत, फिलीपींस में 78 प्रतिशत और मलेशिया में 80 प्रतिशत खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाता है। इससे पता चलता है कि भारत में प्रसंस्करण का स्तर अपने प्रतिद्वंद्वी देशों से काफी कम है।

भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से निर्यात भी क्षमता से काफी कम है। विश्व के 5 सबसे बड़े निर्यातक देशों की खाद्य उत्पादों के निर्यात में हिस्सेदारी 34 प्रतिशत है। विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देशों में भारत का स्थान 14वां है। लेकिन खाद्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 2 प्रतिशत है। विश्व में कृषि उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के बावजूद भारत का निर्यात कम है। इस समय भारत से कृषि उत्पाद के रूप में मुख्य तौर पर कच्चे माल का निर्यात होता है। इस कच्चे माल को बाद में अन्य देशों में प्रसंस्कृत किया जाता है। प्रसंस्करण किसी भी उत्पाद के मूल्य को बढ़ाने की अगली कड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय उत्पाद निर्यात बाज़ार में, कीमत और गुणवत्ता, दोनों के लिहाज से गैर–प्रतिस्पर्धी हैं।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संभावनाओं के दोहन के लिए मूल्य श्रृंखला में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। खेती के स्तर पर उत्पादकों में जागरूकता की कमी के कारण उत्पादन में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अभाव है। प्रसंस्करण योग्य किस्मों की कमी भी एक बड़ी अड़चन है। खेतों और बागों के पास ही संग्रह केन्द्रों का अभाव है। कई सरकारी समितियों की रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रचलित कृषि विपणन नियमों से बड़े पैमाने पर उपज की खरीद और संग्रह को हतोत्साहित किया गया। निजी निवेश कम होने की वजह से कोल्डचेन में काफी कमियां हैं। कई शीतगृह विकसित किए जाने के बावजूद मध्यवर्ती अवसंरचना का अभाव है। पैकिंग हाउसों की संख्या भी अपर्याप्त है। उत्पादों की छंटाई कर उन्हें श्रेणीबद्ध और क्रमबद्ध करके अलग–अलग किए जाने का काम पैकिंग हाउसों में ही होता है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पैकिंग हाउस बहुत महत्वपूर्ण हैं। जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के परिवहन के लिए एयर कंडिशंड वाहनों की उपलब्धता भी कम है। खेतों के स्तर पर उपज के बाद का प्रबंधन अकुशल और अप्रभावी है। इस वजह से सालाना 90000 करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम के उत्पादों का नुकसान हो जाता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीएचईटी) के अनुसार कुल उत्पादन में फलों और सब्जियों का 4.6 से 15.9 प्रतिशत तक, समुद्री खाद्य पदार्थों का 10.5 प्रतिशत और पोल्ट्री उत्पादों का 6.7 प्रतिशत हिस्सा बर्बाद हो जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र में विकास और रोज़गार को बढ़ावा देने वाले कई कदम उठाए गए हैं। फसल की खरीद और निर्यात के रास्ते में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए 2020 में कृषि सुधारों की घोषणा की गई। किसानों द्वारा सीधे बिक्री और अनुबंध खेती से खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात के बीच सामंजस्य बनाया जा सकता है। कृषि बाज़ारों को उदार बनाने के लिए उठाए गए इन कदमों को कई अन्य उपायों के साथ देखा जाना चाहिए जो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए एक समग्र नज़रिए का संकेत देते हैं।

प्रसंस्करण के सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए अलग से कोष बनाया गया है। एक लाख करोड़ रुपये के इस कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) का उद्देश्य खेतों के पास ही बुनियादी ढांचे को विकसित करना और पूर्व–प्रसंस्करण और प्राथमिक प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ावा देना है। इस वर्ष के बजट में कृषि उत्पाद विपणन समितियों की मंडियों तक एआईएफ के विस्तार की बात कही गई है। साथ ही, मंडी प्रणाली में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी ज़ोर दिया गया है। इसी तरह 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत एक समर्पित पशुपालन विकास कोष और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इस दिशा में दस हज़ार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन भी एक महत्वपूर्ण कदम है। एफपीओ एक आधुनिक कॉरपोरेट संरचना के साथ किसानों को उनकी फसल का लाभ प्रदान करते हैं जिससे श्वेतक्रांति के समय में बनाई गई सहकारी समितियों में दिखाई देने वाली पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना इन

संगठनों में भी बनी रहती है। एफपीओ के माध्यम से किसानों को उनकी उपज (आउटपुट) को सही दाम में बेचने और फसल उगाने के लिए आवश्यक वस्तुओं (इनपुट) की खरीद की शक्ति मिलती है। छोटे और सीमांत किसानों में फसलों की बिक्री और खेती के सामानों की खरीद के स्तरों पर सौदेबाज़ी का आत्मविश्वास नहीं होता है। उन्हें इन संगठनों के माध्यम से सशक्त बनाया जा सकता है। भारत में 85 प्रतिशत किसान छोटे और मझोले कृषक हैं और उन तक लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है।

बड़े पैमाने पर क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में कुछ साल पहले 'किसान संपदा योजना' शुरू की गई थी। वर्ष 2020 में सिर्फ 46 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं काम कर रही थीं। दस हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पीएम फॉर्मेलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइज़ेज (पीएमएफएमआई) योजना शुरू की गई है। एक ज़िला–एक उत्पाद (वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रोडक्ट) योजना को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 अन्य जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों को भी शामिल किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बिना पूर्व अनुमति के शत–प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है। खाद्य उत्पादों के उत्पादन और व्यापार में (ई–कॉमर्स सहित) भी शत–प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। अप्रैल 2000 और दिसंबर 2020 के बीच खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 10 अरब डॉलर का एफडीआई किया गया। एफडीआई मूल्य श्रृंखला में आवश्यक तकनीकी बदलाव ला सकता है जिससे खाद्य प्रसंस्करण में होने वाली बर्बादी को कम करने, गुणवत्ता बनाए रखने और उत्पादों को लंबे समय तक ताज़ा रखने में मदद मिलेगी। स्वदेशी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी आयकर में रियायत और पूंजी निवेश में सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं।

उत्पादन की प्रक्रिया में संवहनीयता को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। मिट्टी के क्षय और जलस्तर में गिरावट से उत्पादन के साथ ही खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होती है। कृषि उत्पादन को ज़्यादा संवहनीय बनाने के लिए हस्तक्षेप की ज़रूरत है। प्रवाह सिंचाई की जगह सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी तरह उर्वरकों के संतुलित उपयोग और कीटनाशकों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को भी प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। हरितक्रांति के जरिए भारत ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलने से भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के मकसद से अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों, सिंचाई के विस्तार तथा उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। इसका लक्ष्य खाद्यान्नों की कमी से जूझ रहे देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। लेकिन इन उपायों के कुछ परिणाम अनुकूल नहीं भी रहे हैं। गैर–कृषि आय की तुलना में कृषि से आमदनी धीमी गति से बढ़ी है। इससे गैर–कृषि और कृषि क्षेत्र में आय में अंतर बढ़ा है। भारत में 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत कृषक हैं। हरितक्रांति का फायदा छोटे किसानों की तुलना में बड़े किसानों को ज़्यादा मिला, जिसका एक बड़ा कारण मशीनीकरण है।

पानी के अकुशल उपयोग के कारण देश के कई हिस्सों में जल संकट पैदा हो गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के 2017 के आंकड़ों के अनुसार कुल सालाना भूजल दोहन का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा कृषि में होता है। भारत वार्षिक दोहन योग्य भूजल संसाधन के 63.3 प्रतिशत हिस्से का उपयोग कर रहा है। कई राज्यों में स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है। पंजाब अपने वार्षिक दोहन योग्य जल संसाधन का 166 प्रतिशत पानी निकाल रहा था। इससे इस राज्य का जलस्तर तेज़ी से घटने लगा। इसी तरह हरियाणा दोहन योग्य भूजल का 137 प्रतिशत हिस्सा पानी निकाल रहा है। उर्वरक उपयोग का असंतुलन एक अन्य समस्या है जो पर्यावरण की क्षति का कारण बन रहा है। फॉस्फोरस और पोटेशियम की तुलना में नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। उर्वरक प्रतिक्रिया अनुपात में 1970 से अब तक साढ़े तीन गुना से अधिक की गिरावट आई है। इसलिए उर्वरक उपयोग के और विस्तार की ज़रूरत पैदा हो गई है। इससे किसानों की खेती की लागत बढ़ रही है।

हरितक्रांति के बाद से हमारी खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित हुई लेकिन पोषण नहीं। मौजूदा समय में 39 प्रतिशत भारतीय कुपोषित हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए कृषि उत्पादों का विविधीकरण और कोल्डचेन में निवेश महत्वपूर्ण है। इस तरह के उपायों से कृषक परिवारों की आय में बढ़ोत्तरी होगी। टाटा–कॉर्नेल इंस्टीट्यूट के एक शोध के अनुसार पारिवारिक आय में वृद्धि से आहार में विविधता तथा स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतरी आने के परिणामस्वरूप पोषण की स्थिति में भी सुधार आता है।

बढ़ती आबादी की बदलती हुई मांगें पूरी करने के लिए उत्पादकता में वृद्धि और कृषि उत्पादों के विविधीकरण की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन का असर भी कृषि पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर–शासकीय समिति (आईपीसीसी 2014) ने 2050 तक फसलों की पैदावार में 10 से 25 प्रतिशत तक की कमी की भविष्यवाणी की है। अगर अनुकूल और राहत देने वाली नीतियों को नहीं अपनाया गया तो हमारी कड़ी मेहनत से हासिल की गई खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के लाभ खत्म हो सकते हैं। वर्तमान कृषि पद्धतियों में उत्पादकता अक्सर संवहनीयता और पर्यावरणीय प्रभाव की कीमत पर आती है। लेकिन हमारे सामने कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धांत पर आधारित ऐसे मॉडल भी हैं जो संवहनीयता के साथ उत्पादकता से किसानों की आय बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। इन मॉडलों की पहचान कर इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

यदि खेती में जलवायु परिवर्तन के अनुरूप बदलाव करते हुए इसके दुष्परिणामों को दूर नहीं किया गया तो खाद्य उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

के लिए कच्चे माल की उपलब्धता में भी कमी आएगी जो इस क्षेत्र में निवेश को भी घटाएगा। लिहाज़ा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी संवहनीयता का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सरकार को और निजी क्षेत्र को कृषि पारिस्थितिकीय तरीकों से प्रसंस्करण योग्य किस्मों के विकास के बारे में मिल कर अनुसंधान करना चाहिए।

तकनीक आधारित नवोन्मेषी समाधान किसी भी क्षेत्र की प्रगति सुनिश्चित करने में बेहद उपयोगी हैं। सब जानते हैं कि कृषि और खाद्य क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। डिजिटलीकरण भी इन चुनौतियों से निपटने का एक तरीका हो सकता है। भारत में एक जीवंत कृषि तकनीक पारिस्थितिकी मौजूद है। कई स्टार्टअप समूची मूल्य श्रृंखला में समाधान मुहैया करा रहे हैं। वे फसलों के बारे में सलाह से लेकर सेवा के रूप में कृषि और खेती के तंत्र से लेकर वित्तीय सेवाओं तक के बारे में सलाह प्रदान करते हैं। यदि प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को अपनाया जाता है तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में ज़बर्दस्त विकास किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी संसाधनों का पूरी तरह उपयोग और अनुकूल प्रबंधन में मदद करती है। इन समाधानों को अपनाने में कॉरपोरेट और सरकार के बीच साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मांग पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आज की भागदौड़ वाली जीवनशैली में ज़्यादा–से–ज़्यादा उपभोक्ताओं का प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की ओर झुकाव देखा जा सकता है। उपभोक्ताओं में स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। उनमें बेहतर उत्पादों का पता लगाने की क्षमता है। इसलिए उपभोक्ता को केंद्र में रख कर ही उत्पादों का विकास किया जाना चाहिए।

इस समय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग काफी हद तक स्वदेशी उपभोग तक ही सीमित है। इसे निर्यातोन्मुख बनाने की भी आवश्यकता है जिसके लिए वैश्विक गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा। विश्व–स्तर पर कोडेक्स एलिमेंटेनियस जैसे कई स्वीकृत गुणवत्ता मानक हैं। विकासशील देशों की तुलना में कई विकसित राष्ट्रों में अपेक्षाकृत कड़े स्वास्थ्य मानक हैं। वे देश अपने नागरिकों को विकासशील देशों से किए गए आयात से होने वाले संभावित खतरों से बचाना चाहते हैं। इसका एक अन्य पहलू ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करना भी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पता लगाने की क्षमता (ट्रेसेबिलिटी) में सुधार न केवल खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करता है बल्कि इस व्यवसाय को अनुकूल भी बनाता है। प्रसंस्करण की प्रक्रिया में एकरूपता लाने और बर्बादी को घटाने के लिए पारंपरिक खाद्य पदार्थों की उत्पादन तकनीकों का मानकीकरण किया जा सकता है। इससे इन उत्पादों की मांग में इज़ाफा होगा।

उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी भी इस उद्योग में आने वाली अड़चनों में से एक है। कुछ खाद्य पदार्थ जैस काएल, ओट्स आदि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं लेकिन उनके बारे में कुछ ही लोगों को जानकारी है। इस संबंध में प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों के विकल्प के रूप में भारतीय सुपर फूड को बढ़ावा दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए चौलाई को किनवा के विकल्प के रूप में प्रचारित किया जा सकता है। इसी तरह, ओट्स का विकल्प कुट्टू का आटा हो सकता है। इससे भारतीय सुपर फूड्स की मांग बढ़ेगी और इस उद्योग को गति मिलेगी। ग्रामीण भारत को बड़े स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ने में निजी निवेश की अहम भूमिका होगी।

अर्थव्यवस्था पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का काफी व्यापक असर हो सकता है। यह क्षेत्र किसानों और खासतौर से महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण से किसानों को अपने उत्पादों को बेचने में आसानी होगी और वे अपनी उपज की बेहतर कीमत हासिल कर सकेंगे। यह क्षेत्र सरकारी योजनाओं के समर्थन के अलावा किसानों को औपचारिक ऋण देने की सुविधा भी प्रदान करता है। यह क्षेत्र उन्हें खेतों पर ही पूर्व–प्रसंस्करण और प्रसंस्करण गतिविधियों के माध्यम से उचित मूल्य हासिल करने में सक्षम बनाता है। इससे उनकी फसलों की बर्बादी भी घटती है। इस क्षेत्र के विकास के साथ देश में रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। निर्यात के अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ने के साथ ही स्वदेशी उद्योग में भी वृद्धि होगी और समग्र आर्थिक विकास का रास्ता खुलेगा। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में इस क्षेत्र में संवहनीयता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

(डॉ. नीलम पटेल नीति आयोग में सीनियर एडवाइज़र (कृषि) हैं; रणवीर नगाइच पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : neelam.patel@gov.in

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : समृद्धि की ओर

–डॉ. देबब्रत सामंत

गांवों के लोगों का जीवन–स्तर बेहतर बनाने और गरीबी कम करने में ग्रामीण सड़कों की अहम भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने साल 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरुआत की थी। पिछले 20 सालों में गांवों को सड़कों से जोड़ने, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने और गरीबी कम करने में यह योजना बेहद कारगर रही है। साथ ही, आजीविका के अवसर पैदा करने और ग्रामीण भारत का जीवन–स्तर बेहतर करने में भी इस योजना से मदद मिली है।

देश के विकास के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क की आवश्यकता है, यह बात काफी पहले से चर्चा का विषय रही है। सड़कों को पांच श्रेणियों में बांटा गया है– राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), राज्य राजमार्ग (एसएच), प्रमुख ज़िला सड़क (एमडीआर), अन्य ज़िला सड़क (ओडीआर) और ग्रामीण सड़कें (वीआर)। इनमें से अन्य ज़िला सड़क और ग्रामीण सड़कों को ग्रामीण सड़क की श्रेणी में रखा गया है। तीसरी सड़क विकास योजना (1981–2001) में ग्रामीण सड़कों के लिए कुछ शर्तें तय की गईं। साथ ही, ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए कई तरह के सुझाव पेश किए गए।

ग्रामीण सड़कें न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में लोगों का जीवन–स्तर बेहतर करने के लिहाज से अहम हैं, बल्कि इससे लोगों का अलगाव कम करने और आय बढ़ाने में भी मदद मिलती है। सड़कें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की रीढ़ मानी जाती हैं। ग्रामीण सड़कों का न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी आर्थिक और आजीविका संबंधी गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ता है, बल्कि लोगों की आय पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है। सड़कों में सार्वजनिक निवेश से गरीबी में भी कमी आती है।

यह पाया गया है कि भारत में ग्रामीण सड़कों में 100 अरब रुपये के निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 0.87 प्रतिशत की कमी आई। सड़कों में प्रति 10 लाख रुपये के निवेश पर गांवों के 165 लोगों को गरीबी–रेखा से बाहर निकाला जा सकेगा। यह भी माना जाता है कि ग्रामीण सड़कों में निवेश गरीबी कम करने में कृषि क्षेत्र के मुकाबले दोगुना कारगर है। इसके अलावा, ग्रामीण सड़कें गैर–कृषि क्षेत्र में भी रोज़गार के अवसर बढ़ाती हैं। इस तरह, गैर–कृषि रोज़गार में बढ़ोत्तरी के साथ–साथ गांवों में रहने वाले गरीब लोगों की आय में भी बढ़ोत्तरी होती है और गांवों में गरीबी कम होती है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में भी ग्रामीण सड़कों की भूमिका बेहद अहम है। इससे लोगों

को अपने ठिकाने से कम दूरी पर काम चुनने का विकल्प भी मिलने की संभावना होती है।

हालांकि, दो दशक पहले देश के 6,00,000 गांवों में से आधे गांवों में सड़कों की सुविधा नहीं थी। इस समस्या को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। ग्रामीण भारत को सड़कों से जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य मकसद 1,000 की आबादी से ज़्यादा वाले सभी गांवों को साल 2003 तक पक्की सड़क से जोड़ना था। योजना के तहत साल 2007 तक मैदानी इलाकों में 500 और पहाड़ी, रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों में 250 लोगों से ज़्यादा आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया। लोगों को संपर्क की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई सड़कों के निर्माण के साथ–साथ पुराने सड़कों के नवीनीकरण की भी अनुमति दी जाती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने की रणनीति

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किसी बस्ती या गांव के आधार पर लागू किया जाता है, ताकि वहां के लोगों का सड़कों से जुड़ाव हो सके। इस योजना के लिए गांव या बस्ती का चुनाव करते समय 2001 की जनगणना को आधार बनाया जाता है। आबादी का निर्धारण करने के लिए 500 मीटर के दायरे में मौजूद सभी बस्तियों (पहाड़ी इलाकों में 1.5 किलोमीटर) की जनसंख्या को एक साथ जोड़ा जा सकता है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पहाड़ी क्षेत्रों (गृह मंत्रालय द्वारा तय) में इस योजना के लिए 10 किलोमीटर का दायरा तय किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य के सभी ज़िलों के 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद आबादी को मिलाकर योजना के लिए क्लस्टर बनाया गया है (www.pmgsy.nic.in)।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने की ज़िम्मेदारी मुख्य तौर पर केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। इस योजना को लागू करने में राज्यों को प्रबंधन और तकनीक संबंधी सहयोग के लिए 10 जनवरी, 2002 को राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) की स्थापना की गई। राज्य–स्तर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निगरानी राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियां (एसआरआरडीए), ग्रामीण विकास विभाग या ऐसी अन्य एजेंसियां करती हैं। देश के अलग–अलग हिस्सों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए अलग–अलग एजेंसियों/ठेकेदारों को चुना जाता है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई–टेंडर और ई–प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को ज़रूरी बनाया गया है। साथ ही, ठेका लेने के लिए बोली लगाने की अनुमति सिर्फ ऐसी एजेंसियों को दी जाती है, जिनके पास ज़रूरी योग्यता और क्षमता हो।

सभी सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए ठेकेदार को हर पैकेज में फील्ड प्रयोगशाला स्थापित करनी पड़ती है। साथ ही, काम कराने वाली एजेंसी की निगरानी में सामग्री और अन्य चीजों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया में एक और जहां संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से निगरानी की जाती है, वहीं केंद्र सरकार भी नेशनल क्वॉलिटी मॉनीटर (एनक्यूएम) के जरिए निर्माण कार्यों की निगरानी करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौजूद दिशा–निर्देशों में समय–समय पर बदलाव होता रहता है। निगरानी के आधार पर मिले सुझावों के आधार पर यह बदलाव होता है। ठेकेदारों के काम में बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, संविदा से जुड़े समझौते में खास प्रावधान किए जाते हैं, ताकि सड़क निर्माण पूरा होने के 5 साल बाद तक किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर वह उसे ठीक कर सकें।

पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल–प्रभावित इलाकों के लिए विशेष पहल

पूर्वोत्तर राज्यों की रणनीतिक अहमियत और जलवायु को देखते हुए इन राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। दरअसल, इन राज्यों का वित्तीय बोझ थोड़ा कम किया गया है। नक्सल–प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिसंबर 2016 में विशेष प्रावधान किए गए थे। इसके तहत नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित 9 राज्यों के 44 ज़िलों और इनसे सटे अन्य ज़िलों में ऐसी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया जो सभी मौसम के लिहाज से उपयुक्त हों। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। इन इलाकों में इस पहल के दो मकसद हैं– सामाजिक–आर्थिक विकास और बेहतर संपर्क के जरिए नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को बेहतर तरीके से अंजाम देना।

लोगों की भागीदारी और शिकायतों का निपटारा

इन सड़कों का मालिकाना हक स्थानीय लोगों को मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सड़क निर्माण के 5 साल पूरा होने के बाद इसकी ज़िम्मेदारी स्थानीय पंचायती राज संस्थान को भी सौंपने का प्रावधान किया गया है। पांच साल तक सड़क की देखरेख की ज़िम्मेदारी परियोजनाओं पर काम करने वाली इकाई की होती है। इन सड़कों की निगरानी में स्थानीय स्वयंसहायता समूहों को शामिल करने के लिए विशेष तौर पर पहल की गई है। इससे न सिर्फ सामुदायिक–स्तर पर ज़िम्मेदारी की भावना विकसित हो सकेगी, बल्कि स्थानीय महिलाओं के सशक्तीकरण में भी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में इस तरह की पहल की गई हैं।

बेहतर ढंग से सड़क निर्माण सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है। लिहाजा, इस मामले में आम लोगों को शिकायत करने का भी अधिकार दिया गया है। कोई भी नागरिक ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से गुणवत्ता

और क्रियान्वयन को लेकर शिकायत कर सकता है। नागरिकों के जरिए प्रभावकारी और समयबद्ध निगरानी के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) बनाई गई है। केंद्र सरकार के स्तर पर, राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) शिकायतों की समीक्षा कर ज़रूरी कार्रवाई के लिए इसे संबंधित राज्य को आगे भेजती है। नागरिकों की निगरानी का दायरा बढ़ाने के लिए 2015 में 'मेरी सड़क' एप भी लांच किया गया। लोग इस एप पर जाकर फोटो के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लोग शिकायत करने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से भाषा का चुनाव कर सकते हैं।

नई पहल

ऑनलाइन मॉनीटरिंग

इस योजना के तहत बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी और प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वेब–आधारित पैकेज के तहत ज़मीन पर काम करने वाले कर्मचारियों और राज्य इकाइयों द्वारा जरूरी आंकड़ा उपलब्ध कराया जाता है। विस्तार से आंकड़े www.omms.nic.in और www.pmgsy.nic.in पर उपलब्ध हैं।

ई–मार्ग की शुरुआत

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों में 'पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी' (ई–मार्ग) योजना की शुरुआत की है। इसे 2019 में शुरू किया गया। ई–मार्ग, सूचना प्रौद्योगिकी का एक बेहतर उपयोग है जो हर विभाग के डेटा को जोड़ते हुए ग्रामीण सड़कों की निगरानी करने के साथ–साथ ज़रूरी कार्रवाई के बारे में भी सुझाव देता है।

हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सड़कों के निर्माण के लिए नई सामग्री/अपशिष्ट सामग्री/स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री के इस्तेमाल के बारे में खास निर्देश जारी किए गए हैं। हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी ने 2013 में प्रौद्योगिकी संबंधी पहल से जुड़े दिशा–निर्देश' जारी किए थे। दिसंबर 2020 तक इस योजना के तहत कुल 84,875 सड़क निर्माण को मंज़ूरी दी गई थी और इनमें से 46,064 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था।

वित्तीय प्रोत्साहन

साल 2016–17 से इस मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका लाभ पाने वाले राज्य इस फंड का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित होने वाली सड़कों के रखरखाव में करते हैं।

सारणी 1: पीएमजीएसवाई के तहत प्रगति और उपलब्धियां

साल	खर्च (करोड़ रुपये में)	प्रस्ताव मंजूर हुए	गांवों को जोड़ा गया	लंबाई (जुड़ाव) (किलोमीटर)
2004–05	3091.38	1833.2	17602	66975
2005–06	4100.39	9203.9	25804	89866
2006–07	7304.27	19384.67	36605	120576
2007–08	10619.26	24374.5	47941	161807
2008–09	15161.98	37762.95	62416	214212
2009–10	18832.92	6590	70293	274329
2010–11	14910.98	6768.33	77877	319438
2011–12	10949.41	9188.46	84414	350501
2012–13	8386.75	27013	91278	374663
2013–14	13095.29	31746.74	97838	399979
2014–15	17144.06	2355.77	108668	436316
2015–16	16542.9	3307.36	116310	472695
2016–17	16093	30532.94	124709	504727
2017–18	17307.4	30857.02	137877	550601
2018–19	23363	28562.29	171469	598857
2019–20	14292.59	15816.44	175560	626101

स्रोतः सालाना रिपोर्ट (2004 – 2020), राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

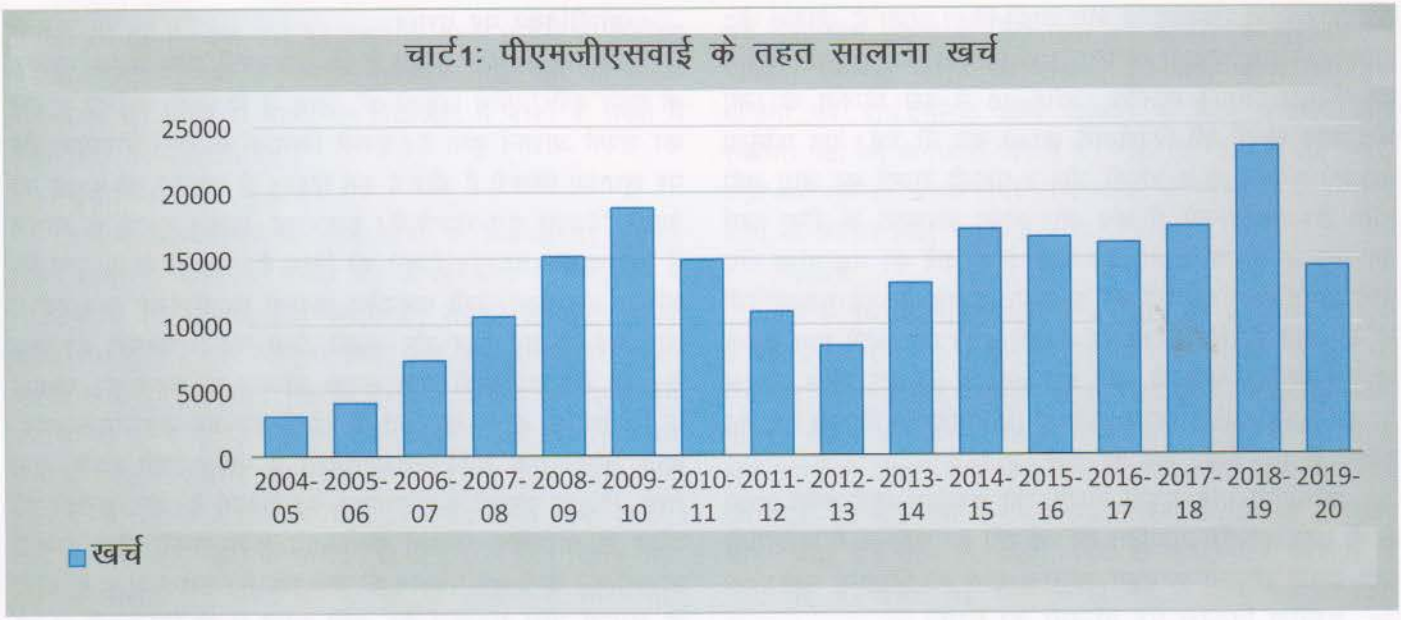

डेटा स्रोतः सालाना रिपोर्ट 2020, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विकास

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–II

केंद्र सरकार ने मई 2013 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–II की शुरुआत की। इसका मकसद मौजूदा ग्रामीण नेटवर्क को बेहतर बनाकर लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही को सुगम बनाना है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण भारत की आर्थिक संभावना को बेहतर बनाना और आवाजाही की सुगमता के जरिए ग्रामीण आर्थिक केंद्र स्थापित करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–II में कई मौजूदा ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने पर ज़ोर है। इन सड़कों का चुनाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने और वस्तुओं व सेवाओं के बाज़ार के लिए बेहतर संपर्क में उनकी भूमिका के आधार पर किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–II में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय खर्च साझा करने का मॉडल तैयार किया गया था। इसके तहत 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सड़कों को बेहतर बनाने का प्रस्ताव था। मैदानी राज्यों में ऐसी परियोजना का 75 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था। विशेष इलाकों के लिए यह अनुपात 90:10 था। बाद में मैदानी राज्यों के लिए खर्च का अनुपात बदलकर 60:40 हो गया, जबकि विशेष श्रेणी वाले और पहाड़ी राज्यों के लिए यह 90:10 ही रहा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III

भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III की शुरुआत की थी। इसका मकसद ग्रामीण सड़कों के जरिए गांवों और बस्तियों को ग्रामीण बाज़ारों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि से जोड़ना था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III के नियोजन और क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जियो–पीएमजीएसवाई एप के जरिए ग्रामीण–स्तर पर मौजूद सुविधाओं की जियो–टैविंग और जियो रेफ्रेन्सिग (Geo referencing and geo&tagging) की जाती है। साथ ही, 'ट्रेस मैप' तैयार किए जाते हैं, जिनकी मदद से गांवों और आसपास में मौजूद अहम सुविधाओं और उनसे जुड़ने के लिए कम दूरी वाले रास्तों और सड़कों की पहचान कर उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III के तहत बेहतर बनाया जाता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उपलब्धियां

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–I के तहत दिसंबर 2020 तक नए जुड़ाव और सुधार के लिए कुल 6,44,915 किलोमीटर लंबी सड़क से जुड़े प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। इनमें से 5,98,232 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हो चुका है। इस सिलसिले में हर साल के आधार पर जानकारी सारणी–1 में दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–II के तहत सुधार के लिए कुल 50,000 किलोमीटर सड़क का लक्ष्य तय किया गया। इनमें से 49,714 किलोमीटर सड़क के लिए मंज़ूरी दी गई और दिसंबर 2020 तक 38,883 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III के तहत, 2025 तक कुल 1,25,000 किलोमीटर सड़क के लिए लक्ष्य तय किया गया है। हालांकि 12 राज्यों को पहले ही 32,928 किलोमीटर सड़क के लिए मंजूरी दे दी गई है और दिसंबर 2020 तक 1,886 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हुआ है।

वित्तपोषण और खर्च

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना थी। हालांकि, ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है, लेकिन माना गया कि बड़े पैमाने पर इस योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। आमतौर पर, इस तरह का खर्च

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 100 प्रतिशत फंड उपलब्ध कराने का फैसला किया। हालांकि, 2015–16 में इस योजना के लिए केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 60:40 कर दी गई। यह फॉर्मूला (60:40) पूर्वोत्तर के 8 राज्यों और 3 पहाड़ी राज्यों पर लागू नहीं होता है। इन राज्यो में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए खर्च का अनुपात क्रमशः 90:10 है। खर्च के बंटवारे का यह ढांचा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाने से जुड़े मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की सिफारिशों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए फंड के स्रोत इस तरह हैं (i) हाई स्पीड डीज़ल पर सेस (कर) (ii) बजटीय सहायता (iii) एशियाई विकास बैंक का कर्ज़ और (iv) विश्व बैंक का कर्ज़

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरुआत यानी साल 2000 से ही बड़ी धनराशि आवंटित की जा रही है। चार्ट–1 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सालाना खर्च की दिखाया गया।

ग्रामीण विकास पर योजना का प्रभाव

ग्रामीण सड़कें आधारभूत संरचना की बुनियादी ज़रूरत हैं और ग्रामीण समुदाय के सामाजिक–आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभाती हैं। ये सड़कें आसपास के गांवों या प्रमुख बाज़ारों में वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर ग्रामीण विकास में अहम योगदान करती हैं।

आय और गरीबी पर असर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने से गांवों में गरीबों की ज़िंदगी में अहम बदलाव हुआ है। यह पाया गया कि 2005 से 2009 के दौरान इस योजना की वजह से गांवों में गरीबी में 1.4 प्रतिशत की कमी देखने को मिली। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के निर्माण से रोज़गार और कारोबार के नए अवसर भी पैदा हुए। इन सड़कों की वजह से संपर्क बेहतर हुआ है और इससे लोगों को यात्रा करने में अब कम समय लगता है। साथ ही, यह पाया गया है कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण से लोगों की आय का मुख्य साधन भी बदला है। सड़कें बनने की वजह से, सिर्फ कृषि पर निर्भर कई लोग अन्य कार्यों से भी जुड़े।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर हुआ संपर्क

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांवों का संपर्क बेहतर किया है। अध्ययन में पाया गया कि इस योजना के मुताबिक, एक तय आबादी के आधार पर नई सड़कों के निर्माण से उन क्षेत्रों में आवाजाही काफी सुगम हुई है। हालांकि, जिन क्षेत्रों में आबादी का घनत्व ज़्यादा है, वहां इसका असर ज़्यादा देखने को मिला है। यह भी पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने परिवहन के पारंपरिक साधनों के बजाय ज़्यादा तेज़ परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद की है और सड़कें बनने से आसपास की ज़मीन की कीमत भी बढ़ी है।

आजीविका पर प्रभाव

अध्ययन से पता चलता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों की वजह से किसानों के लिए बाज़ार का संपर्क आसान हुआ है। इससे किसानों के पास नियमित तौर पर सूचनाएं मिलती हैं और वे इस हिसाब से फसलों की बुआई का बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह, फसल बुआई के मामले में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। यह भी पाया गया कि अनाज और दाल जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम हुई है और कई किसान फल और सब्जी जैसी नकदी फसलों का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुए सड़कों के निर्माण की वजह से गांवों के लोगों को अब रसायनिक खाद, बीज, कीटनाशक आदि की खरीदारी में भी आसानी होगी। इस तरह, मौजूदा फसलों का उत्पादन बढ़ सकता है। इन सड़कों की वजह से पारंपरिक फसलों के बजाय फल–सब्जी जैसी नकदी फसलों की खेती का प्रचलन भी बढ़ रहा है। इसके अलावा, खेती के अलावा लोग अकुशल गैर–कृषि कार्यों में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। पशुपालन और आधुनिक कृषि उपकरणों का इस्तेमाल जैसी गतिविधियों से ग्रामीण लोगों की आय बेहतर हुई है और रोज़गार के अवसर में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण के कारण 2005 से 2009 के दौरान कृषि से जुड़ा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 164 अरब रुपये से बढकर 656 अरब रुपये हो गया। नई तरह की फसलों की बुआई और संबंधित अन्य गतिविधियों की वजह से रोज़गार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध हुए हैं और गैर–कृषि रोज़गार के अवसरों का भी दायरा व्यापक हुआ है।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव

सड़कों के निर्माण की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भी बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को आसान बनाया है। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने में अब कम वक्त लगता है, प्रसव के लिए आवागमन सुगम हुआ है और गांवों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आना–जाना बढ़ा है। इन चीजों की वजह से ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार हुआ है। ग्रामीण सड़कें स्थानीय लोगों के लिए मद्दगार साबित हुई हैं। सड़कों के निर्माण के साथ बीमारों के जल्द इलाज की संभावना बेहतर हुई है। सड़कों ने परिवारों की घरेलू आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका अदा की है, जिससे महिलाओं को बेहतर शिक्षा और पोषण सुनिश्चित हुआ है। इस तरह, लड़कियों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने में यह सहायक साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए स्कूलों की पहुंच को सुगम बनाया है। यह भी पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभार्थी गांवों के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। सड़कों के निर्माण से मध्य विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश की संख्या

में बढ़ोत्तरी हुई है। इस स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने का जोखिम ज़्यादा रहता है। एक अनुमान के मुताबिक, गांवों को नई सड़क से जोड़ने की वजह से माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश में 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

चुनौतियां और सुझाव

ग्रामीण सड़कों का न सिर्फ गांवों के विकास पर व्यापक असर होता है, बल्कि ये गरीबों का जीवन–स्तर बेहतर करने में भी उत्प्रेरक की भूमिका अदा करती हैं। सड़कों से बेहतर संपर्क सुनिश्चित होता है और स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में भी मदद मिलती है। इस योजना के तहत गांवों का चुनाव करने के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया है जिसकी अक्सर आलोचना होती है। यह कहा जाता है कि हाल के आंकड़ों के आधार पर गांवों का चुनाव किया जाना चाहिए। कम आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए विशेष पहल की जा सकती है। गांवों को सड़कों से जोड़ने के साथ–साथ मौजूदा सड़कों का रखरखाव भी चुनौती है, इसलिए सड़कों की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि लंबे समय तक इनका इस्तेमाल किया जा सके।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के व्यापक असर के लिए सिर्फ सड़कों का निर्माण पर्याप्त नहीं है। गांवों में सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध होने पर ही ऐसा हो सकेगा। ग्रामीण सड़कों का पूरा–पूरा लाभ उठाने के लिए गांवों को सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। आम लोगों तक इस योजना का दीर्घकालिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन और संबंधित पक्षों की भागीदारी जरूरी है। साथ ही, गांवों से सटे शहरी केंद्रों की भूमिका अहम होगी जहां गांवों के लोगों को गैर–कृषि कार्य के अवसर मिल सकते हैं।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू हुए 20 साल हो चुके हैं और इस दौरान यह ग्रामीण विकास की अहम योजना के तौर पर उभरकर सामने आई है। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने में इसकी अहम भूमिका रही है और इस वजह से आजीविका, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के जीवन–स्तर जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। बीते वर्षों में यह प्रमुख योजना के तौर पर उभरकर सामने आई है। साथ ही, इसमें समय के साथ–साथ बदलाव भी किए गए है। इसमें नई चीजें जोड़ी गई हैं और सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए बेहतर तकनीक को अपनाया गया है, ताकि ग्रामीण भारत में लोगों की ज़िंदगी बदलने में यह विकास का इंजन साबित हो सके।

(लेखक चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनसे debabrata@cimp.ac.in पर संपर्क किया जा सकता है। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

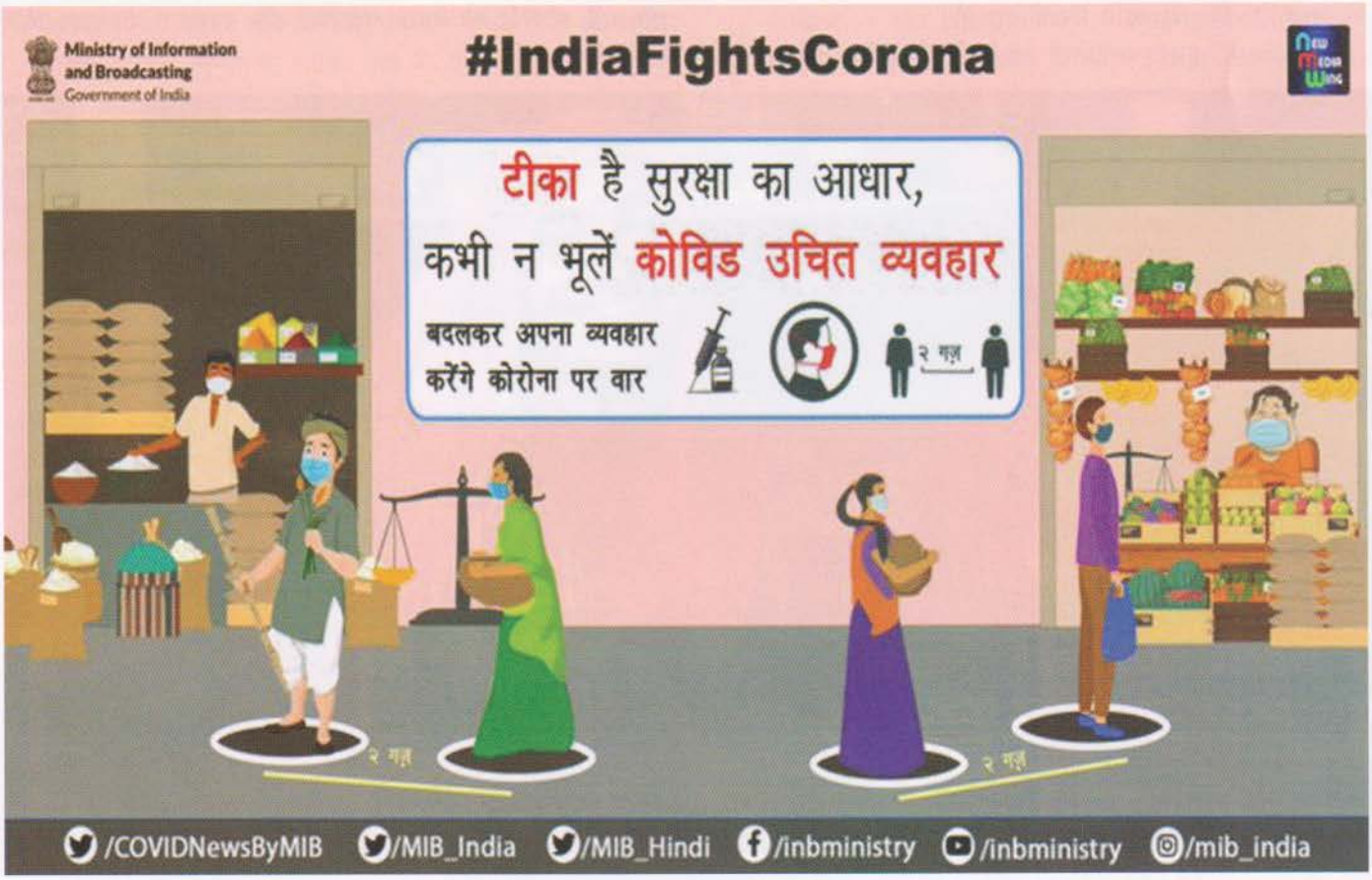

ग्रामीण भारत की मज़बूत होती बुनियाद

–देविका चावला

केंद्र सरकार 'नए भारत' के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ग्रामीण भारत के दीर्घकालिक विकास हेतु ठोस नतीजे हासिल करने के लिए काम कर रही है। लंबे अर्से तक हमारे देश के गांव सिर्फ 'दर्शक' की भूमिका में रहे और आर्थिक बदलाव का लाभ पाने में शहरों के मुकाबले पीछे छूटते रहे। अतः अब समय आ गया है कि विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण भारत भी न केवल सक्रिय भागीदार की भूमिका में नज़र आएं बल्कि आने वाले वर्षों में भारत के उत्थान के दारोमदार बनें।

ज़्यादातर लोग इस बात को समझते हैं कि देश के गांव हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हालांकि, इस बारे में जागरूकता कम है कि गांवों के विकास से ही, आने वाले वर्षों में विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी इस अर्थव्यवस्था को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इस लेख में ऐसे ही तमाम पहलुओं पर बात की गई है। लेख में पिछले सात वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सतत और समावेशी ग्रामीण विकास की दिशा में किए गए कार्यों का भी विश्लेषण किया गया है। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही, कृषि–आधारित क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों पर काम करने की रणनीति अपनाई गई है जो सभी के लिए समृद्धि, विकास आदि पर केंद्रित हो।

दरअसल, इन रणनीतियों के जरिए ग्रामीण आबादी को प्राकृतिक गैस, पीने के पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का काम लगातार जारी रखना है, ताकि समाज के सबसे अहम तबके को ज़रूरी सुविधाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री के 'स्वच्छ भारत मिशन' में भी यह बात नज़र आती है, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। यह मोदी सरकार की सबसे पहली गांवों पर केंद्रित देशव्यापी योजना थी। योजना के शुरू होने के सात साल बाद इसके उल्लेखनीय नतीजे देखने को मिले हैं।

साल 2014 में देशभर में 38 प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा थी और अब यह आंकड़ा 100 प्रतिशत तक पहुंच गया है। देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से में तकरीबन 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। इस तरह, तकरीबन 6,00,000 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जिससे देश की बड़ी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता का लाभ मिल सका है।

इसके अलावा, पांच साल पहले शुरू की गई योजना 'उज्ज्वला योजना' का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य के साथ–साथ ऊर्जा की सुरक्षा और बेहतर जीवन–स्तर प्रदान करना है। इस योजना के तहत 2016 से अब तक तकरीबन रसोई गैस के 8 करोड़ सिलेंडर का वितरण किया जा चुका है।

जीवन की मौलिक आवश्यकताओं में घर भी शामिल हैं। गांवों में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं हैं या फिर कच्चा मकान है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की शुरुआत की, ताकि समाज के सबसे गरीब तबके को भी पक्का मकान उपलब्ध हो सके। इस योजना के तहत, अब तक कुल 1.5 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है, जिससे लोगों की गरीबी दूर करने में भी मदद मिली है।

ग्रामीण आबादी का जीवन बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अहम योजना 'आयुष्मान भारत योजना' की शुरुआत की है। 'आयुष्मान भारत योजना' दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इससे 2 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिला है, जिनकी आय बेहद कम है और पैसे की कमी की वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा के व्यापक दायरे के जरिए ग्रामीण लोगों के लिए एक न्यूनतम जीवन–स्तर सुनिश्चित करने के अलावा ग्रामीण भारत की आर्थिक बुनियाद मज़बूत करना भी जरूरी है, ताकि सभी के लिए बेहतर जीवन–स्तर उपलब्ध हो सके। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर और विविधतापूर्ण बनाने की दिशा में सरकार ने काफी प्रयास किया है, ताकि देश के बड़े आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में सहूलियत हो सके।

इसके तहत, केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण अभियान चलाया, ताकि हर गांव में बिजली पहुंच सके। इसके बाद 'उजाला योजना' पेश की गई, जिसके तहत 36 करोड़ से भी ज़्यादा एलईडी बल्ब का वितरण किया गया। इस तरह, लंबे समय से अंधेरे में रहने को मजबूर गांवों तक बिजली की रोशनी पहुंचाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सड़कें बनाकर सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण काम किया है। पिछले सात सालों में 2.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। इन सड़कों के जरिए देश के 97 प्रतिशत गांवों को बाकी हिस्से से जोड़ा गया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों का अहम योगदान होता है, लिहाज़ा किसानों की आय में बढ़ोत्तरी, मिट्टी की बेहतर सेहत का ध्यान रखना और ग्रामीण इलाके के कृषि क्षेत्रों में विविधता की गुंजाइश बनाना आदि बेहद जरूरी हैं। ये तमाम गतिविधियां न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में उच्च आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा के मामले में वैश्विक–स्तर पर भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी इनकी भूमिका अहम है। जन–धन–आधार–मोबाइल (जेएएम), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई–राष्ट्रीय कृषि बाज़ार, प्रधानमंत्री–किसान सम्मान निधि योजना (पीएम–किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रमों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी गतिविधि को पूरी तरह से बदलने में मदद मिली है। कार्यक्रमों में डिजिटल मीडिया की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। जेएएम और डीबीटी की वजह से सरकारी फंडों की बर्बादी रोकने में मदद मिली है। इससे सरकारी खजाने को अरबों डॉलर की बचत हुई और इस रकम का बेहतर आवंटन सुनिश्चित हो पाया। इसके अलावा, भारतनेट कार्यक्रम के जरिए ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा के आधार पर देश की 1.6 लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल तरीके से जोड़ा गया है। इस तरह, हाल के वर्षों में ग्रामीण इलाकों में खपत और मांग को भी बढ़ावा मिला है। भारत में मोबाइल डेटा और कॉल की दरें काफी सस्ती होने के कारण आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ी है। सरकार की सेवा प्रदाता इकाई कॉमन सर्विस सेंटर (आम सेवा केंद्र) के बढ़ते नेटवर्क के चलते भी ग्रामीण इलाकों में स्थिति बेहतर हुई है। लंबे समय तक हमारे गांव पूरी तरह कृषि पर आधारित रहे। हालांकि, हाल के दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कृषि के ज़रूरत से ज़्यादा बोझ को थोड़ा कम किया जा सके और कृषि से अलग गतिविधियों मसलन उद्यमिता, माइक्रो फाइनेंस, हथकरघा, स्थानीय उद्योग–धंधों के विकल्पों को बढ़ावा दिया जा सके।

सरकार ने मुद्रा योजना, वन धन योजना, एक ज़िला–एक उत्पाद, स्किल इंडिया (कौशल भारत), कौशल विकास योजना और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए ग्रामीण–स्तर पर उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत लक्ष्यों का सम्मिलन किया है। ज़्यादा उत्पादन क्षमता, युवा आबादी और कुशल मानव संसाधन जैसी खूबियों की वजह से ग्रामीण आर्थिक गतिवधि के लिए जबर्दस्त संभावनाएं हैं और इसका लाभ उठाया जाना अभी बाकी है।

इन तमाम कदमों के आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार 'नए भारत' के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ग्रामीण भारत के दीर्घकालिक विकास हेतु ठोस नतीजे हासिल करने के लिए काम कर रही है। लंबे अर्से तक हमारे देश के गांव सिर्फ 'दर्शक' की भूमिका में रहे और आर्थिक बदलाव का लाभ पाने में शहरों के मुकाबले पीछे छूटते रहे। सरकार ने बार–बार यह दिखाया है कि गांवों के विकास के बिना भारत में कोई आर्थिक या सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। अतः अब समय आ गया है कि विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण भारत भी न केवल सक्रिय भागीदार की भूमिका में नज़र आएं बल्कि आने वाले वर्षों में भारत के उत्थान के दारोमदार बनें। ग्रामीण भारत के लिए शायद इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।

(लेखिका इनवेस्ट इंडिया की रणनीतिक निवेश शोध इकाई में शोधकर्ता हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों का निशुल्क टीकाकरण : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून, 2021 को राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। इस महामारी को पिछले सौ वर्षों में सबसे बड़ी आपदा बताते हुए, उन्होंने इसे एक ऐसी महामारी के रूप में चिन्हित किया जिसे आधुनिक दुनिया में न तो देखा गया और न ही अनुभव किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस महामारी से कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी।

श्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। टीकाकरण की रणनीति पर पुनर्विचार करने और 1 मई से पहले की व्यवस्था को वापस लाने की कई राज्यों की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि राज्यों के ज़िम्मे जो 25 प्रतिशत टीकाकरण था, उसे अब भारत सरकार द्वारा करने का निर्णय लिया गया है।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आगामी 21 जून से भारत सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त टीका प्रदान करेगी। भारत सरकार टीके के उत्पादकों के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त मुहैया कराएगी। किसी भी राज्य सरकार को टीकों के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक करोड़ों लोगों को मुफ्त टीका मिल चुका है, अब इसमें 18 वर्ष वाले आयु वर्ग को जोड़ा जाएगा।

श्री मोदी ने बताया कि निजी अस्पतालों द्वारा 25 प्रतिशत टीकों की सीधी खरीद की व्यवस्था जारी रहेगी। राज्य सरकारें इस बात की निगरानी करेंगी कि निजी अस्पतालों द्वारा टीकों की निर्धारित कीमत पर केवल 150 रुपये का सर्विस चार्ज लिया जाए।

एक अन्य बड़ी घोषणा के तहत, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक बढ़ाने के निर्णय से अवगत कराया। यानी नवंबर तक, 80 करोड़ लोगों को हर महीने निर्धारित मात्रा में मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी के दौरान सरकार गरीबों के साथ उनकी सभी ज़रूरतों के लिए उनके दोस्त के रूप में खड़ी है।

अप्रैल और मई के महीनों के दौरान इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के सभी तंत्रों को तैनात करके इस चुनौती से युद्धस्तर पर निपटा गया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी मांग पहले कभी नहीं महसूस की गई थी।

श्री मोदी ने कहा कि हमने मिशन मोड में काम करते हुए 5–6 वर्षों में टीकाकरण कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने न सिर्फ टीकाकरण की गति बढ़ाई, बल्कि उसका दायरा भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार भारत ने सभी आशंकाओं को दूर कर दिया और साफ इरादों, स्पष्ट नीति और निरंतर कड़ी मेहनत के जरिए भारत में कोविड के लिए न केवल एक, बल्कि भारत में निर्मित दो टीके लांच किए गए। हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता साबित की।

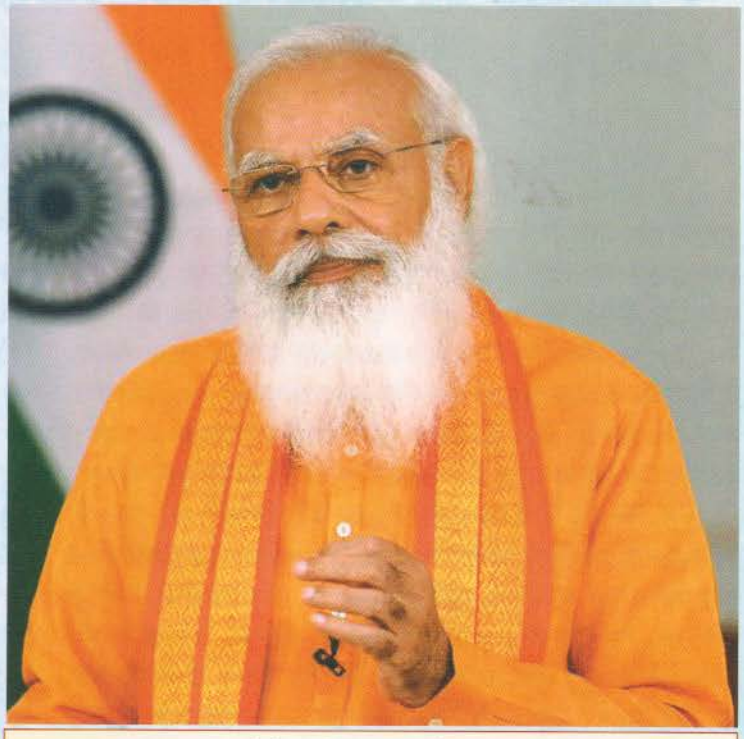

- भारत सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराएगी;
- राज्यों के ज़िम्मे जो 25 प्रतिशत टीकाकरण था, उसे अब भारत सरकार द्वारा किया जाएगा;
- भारत सरकार टीके के उत्पादकों के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त मुहैया कराएगी
- आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री ने याद किया कि वैक्सीन टास्कफोर्स का गठन उस समय किया गया था जब कोविड–19 के केवल कुछ हजार मामले ही थे और टीका बनाने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तपोषण में हर संभव तरीके से सहयोग दिया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के कारण आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति बढ़ने वाली है। उन्होंने बताया कि आज सात कंपनियां अलग–अलग तरह के टीके तैयार कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि तीन और टीकों का परीक्षण अग्रिम चरण में है। प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए दो टीकों और एक 'नाक के जरिए दिए जाने वाले टीके' के परीक्षण के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों के बारे में आगाह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे तत्व लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं और इनके खिलाफ सतर्क रहने की ज़रूरत है। ❑

21 जून 2021

सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भर में महामारी से लड़ने में योग ने लोगों को आत्मविश्वास और शक्ति दी उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषयवस्तु– "आरोग्य के लिए योग" ने लोगों का मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने हर देश, समाज और लोगों के स्वास्थ्य की कामना की और आशा व्यक्त की कि हम एक–दूसरे के साथ मिलकर सबको शक्तिशाली बनाएंगे। वे सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बोल रहे थे।

प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान योग की भूमिका पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि योग ने साबित कर दिया है कि संकट की घड़ी में योग से लोगों को शक्ति और शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि देशों के लिए यह आसान था कि महामारी के दौरान योग दिवस को भूल जाएं, क्योंकि ये उनकी संस्कृति से नहीं जुड़ा है। लेकिन ऐसा होने के बजाय दुनिया भर में योग के प्रति उत्साह बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने याद करते हुए कहा कि किस तरह अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं ने योग को अपना कवच बनाया और योग के जरिए खुद को मजबूत किया। लोगों, डॉक्टरों और नर्सों ने योग के सहारे वायरस के दुष्प्रभावों का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ आज प्राणायाम और अनुलोम–विलोम जैसी सांस की कसरतों के महत्व की पैरवी कर रहे हैं, ताकि हमारा श्वसन–तंत्र मजबूत हो सके।

महान तमिल संत थिरूवल्लुवर का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग, रोग की जड़ तक पहुंचता है और उपचार में महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि दुनिया भर में योग की उपचार क्षमताओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग के जरिए शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति पर अध्ययन तथा ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान बच्चों द्वारा योग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना से लड़ने के लिए बच्चे तैयार हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने योग की आमूल प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी देखभाल करता है। योग के जरिए हम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं और खुद को हर तरह की नकारात्मकता से बचाते हैं।

एम–योग मोबाइल एप लांच

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान 'एम–योग' एप लांच किया। इसे आधुनिक तकनीक और प्राचीन विज्ञान के मेल का एक बेहतरीन उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि एम–योग एप, योग को दुनिया भर में फैलाने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा यह मोबाइल एप दुनिया भर के लोगों के बीच, विशेष रूप से इस महामारी के दौरान, योग और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने में बेहद मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कोविड–19 से ठीक हो चुके कोविड रोगियों के स्वास्थ्य के पुनः पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह एप विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साझेदारी में आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। यह एप संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं में से फिलहाल दो भाषाओं यानी अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) का सातवां संस्करण दुनिया भर में पूरी एकजुटता के साथ सीमित कार्यक्रमों और लोगों के घरों में, जहां कोविड प्रतिबंध लागू हैं, दोनों तरह से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गतिविधियां इस अवसर पर एक लाख से अधिक गांवों में भी पहुंचीं।

इस अवसर पर आज एक और उल्लेखनीय बात है कि आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से एक लाख से अधिक गांवों में आईडीवाई का अनुसरण किया गया। आरोग्य फाउंडेशन आईडीवाई के लिए मई से अपने स्वयंसेवकों को समूहों में प्रशिक्षित कर रहा था और आज उन्होंने देश भर में एकल विद्यालयों के व्यापक नेटवर्क की मदद से यह उपलब्धि हासिल की है। ❑

मनरेगा से गांवों का कायाकल्प

–अरविंद कुमार सिंह

समय के साथ मनरेगा एक बड़ी ताकत बन चुका है। केवल रोज़गार सृजन में ही नहीं परिसंपत्तियों के निर्माण और ग्रामीण कायाकल्प में भी। जहां ग्रामीण नेतृत्व जितना दूरदर्शी है, उसने योजना को अपने गांव के हित में उतना ही उपयोगी बनाया है। विश्व बैंक भी इसे ग्रामीण क्षेत्रों में 'क्रांति' लाने वाला कार्यक्रम मान चुका है और कई सरकारी और स्वतंत्र अध्ययनों में इसकी खूबियों पर काफी चर्चा हुई है। मनरेगा से लाभान्वित होने वालों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों की है। खासतौर पर अविकसित और आदिवासी इलाकों में मनरेगा और प्रभावी रहा।

देश की करीब 70 फीसदी आबादी और श्रमशक्ति गांवों में ही रहती है। हमारी खाद्य सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय आय में भी ग्रामीण क्षेत्र अहम योगदान देता है। ग्रामीण भारत का आधार खेतीबाड़ी, पशुपालन, मछलीपालन, वानिकी, छोटे और मध्यम उद्यम और ग्रामोद्योग आदि हैं। विशाल राष्ट्र और भौगोलिक जटिलताओं के नाते भारत की ग्रामीण संस्कृति में अनूठी विविधता देखने को मिलती है, जो राष्ट्र की एक बड़ी ताकत भी है। लेकिन छोटे और सीमांत किसानों की बढ़ती संख्या और आजीविका के सीमित मौकों के साथ प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण ग्रामीण भारत के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं।

ग्रामीण भारत के विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की कई योजनाएं चल रही हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना या मनरेगा। मौजूदा कोरोना संकट में भी ग्रामीण भारत के लिए जो योजना वरदान बनी, वह भी 'मनरेगा' ही है। शहरों से पलायन कर गांवों में लौटे लाखों मजदूरों को इसने जीवनयापन के लिए राह दिखाई और साथ ही, गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियां का सृजन भी इसके माध्यम से हुआ।

समय के साथ मनरेगा एक बड़ी ताकत बन चुका है। केवल रोज़गार सृजन में ही नहीं परिसंपत्तियों के निर्माण और ग्रामीण कायाकल्प में भी। जहां ग्रामीण नेतृत्व जितना दूरदर्शी है, उसने योजना को अपने गांव के हित में उतना ही उपयोगी बनाया है। विश्व बैंक भी इसे ग्रामीण क्षेत्रों में 'क्रांति' लाने वाला कार्यक्रम मान चुका है और कई सरकारी और स्वतंत्र अध्ययनों में इसकी खूबियों पर काफी चर्चा हुई है। मनरेगा से लाभान्वित होने वालों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों की है। खासतौर पर अविकसित और आदिवासी इलाकों में मनरेगा और प्रभावी रहा। मनरेगा के तहत सरकार ने कुल 262 कामों को मंजूरी दी हुई है जिसमें से 164 कृषि से संबंधित हैं। बाकी अधिकतर कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के हैं, जिसके व्यापक सामाजिक–आर्थिक असर देखने को मिले हैं। आरंभ से ही इस पर ज़ोर दिया गया है कि ज़िला–स्तर पर लागत के मामले में कम से कम 60 फीसदी काम कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए होगा। इसमें

रोज़गार सृजन के साथ ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए तालाब से लेकर सड़कों तक के निर्माण में मनरेगा ने अहम योगदान दिया। बेहद पिछड़े इलाकों में इसका सबसे अधिक फायदा दिखा। इससे हर साल औसतन तीस लाख परिसंपत्तियां बनती हैं। 2020–21 में मनरेगा के तहत हुए कुल कामों में 68.3 फीसदी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर हुआ।

जल संरचनाओं का निर्माण भी शामिल है।

2020–21 में मनरेगा के तहत हुए कुल कामों में 68.3 फीसदी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर हुआ। इसके तहत 3.28 लाख जल–संरक्षण के काम हुए। इसकी 4.24 करोड़ परिसंपत्तियों को जियो टैग किया गया, जिससे पारदर्शिता और बढ़ी है। इसके प्राथमिकता के कामों में जल संरक्षण, सूखारोधी उपाय और वृक्षारोपण, लघु सिंचाई, बागवानी, भूमि सुधार, बाढ़ नियंत्रण, बारहमासी सड़कें, गांव पंचायत भवन, खेल मैदान, स्वच्छता सुविधा शामिल है। बीते साल भर में प्रवासी श्रमिकों के गांव लौटने के कारण मनरेगा के तहत काम की मांग बढ़ी और रोज़गार पैदा करने के साथ तमाम नई परिसंपत्तियों का सृजन हुआ।

मनरेगा ने कोरोना संकट के दौरान रोज़गार और परिसंपत्तियों के सृजन में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2020–21 में प्रवासी श्रमिकों की समस्या के कारण अतिरिक्त निधियां आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिलीं। वर्ष 2020–21 में मनरेगा का बजट अनुमान 61,500 करोड़ रुपये था लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा कर 1,11,500 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया। 13 फरवरी, 2021 तक मनरेगा से 333.66 करोड़ लोगों के लिए श्रम दिवस रोज़गार सृजन हुआ। सबसे अधिक 7.13 करोड़ परिवारों को काम मिला और सबसे अधिक जॉब कार्ड भी बने। पिछले साल के बजट अनुमान की तुलना में 11,500 करोड़ रुपये या 18.69 फीसदी की वृद्धि के साथ 2021–22 में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने पर कई सांसदों ने आपत्तियां दर्ज की और इसे बढ़ाने की मांग की। संसद में सरकार ने आश्वासन दिया कि ज़रूरत पड़ने पर सरकार धन की कमी नहीं होने देगी।

रोज़गार सृजन के साथ ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए तालाब से लेकर सड़कों तक के निर्माण में मनरेगा ने अहम योगदान दिया। बेहद पिछड़े इलाकों में इसका सबसे अधिक फायदा दिखा। इससे हर साल औसतन तीस लाख परिसंपत्तियां बनती हैं। गांवों में कौन–सी टिकाऊ परिसंपत्तियां बनानी हैं, यह ग्रामसभा तय करती है और उसके क्रियान्वयन का ज़िम्मा भी उस पर ही है। कई तरह की आलोचनाओं और फिर सुधारात्मक कदमों से नाते इसे लगातार ताकतवर बनाया है अभी भी सुधार की गुंजाइश कई इलाकों में है। हाल में संसद की ग्रामीण विकास संबधी स्थायी समिति ने सिफारिश की कि इसके तहत आवारा और जंगली पशुओं से किसानों की फसलों को बचाने के लिए फेंसिंग को भी मंज़ूरी देनी चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना को 5 सितंबर, 2005 को संसद की मंज़ूरी मिली और यह 2 फरवरी, 2006 से लागू है। वर्ष 2009–10 में संशोधन कर इसे राष्ट्रपित महात्मा गांधी को समर्पित किया गया। आरंभ में 200 ज़िलों से शुरू यह योजना एक अप्रैल, 2008 से पूरे देश में लागू हुई। इसे लेकर आरंभ में कई दिक्कतें रहीं। लेकिन समय के साथ इसमें सुधार होते रहे। समय पर मजदूरी का भुगतान न होना, खेती के पीक सीज़न में मजदूरों की किल्लत, घटिया और कमज़ोर परिसंपत्तियां, बिना अनुमति के मशीनों का उपयोग जैसी शिकायतें दूर होती रहीं। 2013 में सीएजी ने अपनी विस्तृत पड़ताल में स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन के मुद्दे पर सिफारिश की थी कि मंत्रालय सख्ती से निर्धारित मजदूरी लागत 60 फीसदी और सामग्री लागत 40 फीसदी के अनुपात की निगरानी करे।

देश में ढाई लाख पंचायतों के 31.88 लाख चुने हुए जन प्रतिनिधियों में 14.54 लाख महिलाएं हैं। काफी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी हैं। मनरेगा में व्यापक जन भागीदारी का तत्व है, इस नाते गांवों में जो परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ, उससे सामाजिक–आर्थिक विकास के साथ महिलाओं को शक्ति–संपन्न बनाने में मदद मिली। मनरेगा की मदद से ज़मीन में जैविक तत्वों की मात्रा बढ़ी है और भूजल–स्तर में सुधार हुआ है। हालांकि यह भी देखा गया है कि तकनीकी मामलों में पंचायतें कमज़ोर रहीं जिस कारण कई जगह अपेक्षित गुणवत्ता के काम नहीं हुए थे। लेकिन धीरे–धीरे इसमें सुधार होता रहा।

मनरेगा को सामान्यतया पहली नज़र में बहुत से लोग रोज़गार कार्यक्रम ही मानते हैं। लेकिन इससे केवल ग्रामीण श्रमिकों को ही मदद नहीं मिली है बल्कि चुनौतियों से घिरे छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी काफी फायदा पहुंचा। देश में ऐसे किसानों की संख्या सबसे अधिक और 86 फीसदी तक बनती है। उनके पास सिर्फ एक से दो हेक्टेयर ज़मीन है। कुछ किसानों के पास तो इतनी कम ज़मीन है कि जीवनयापन कठिन है। लेकिन मनरेगा के तहत 261 स्वीकृति योग्य कार्यों में 164 प्रकार के कार्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित होने के नाते इनके लिए काफी मददगार रहे हैं।

आर्थिक समीक्षा 2018–19 में माना गया कि मनरेगा के तहत सूखाग्रस्त ब्लॉकों में जबर्दस्त 44 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि गैर–सूखा प्रभावित ब्लॉकों में हुई वृद्धि से दुगुनी से अधिक है। मनरेगा को 2015 में और सुचारू बनाया गया था लेकिन समीक्षा में कहा गया है कि इस योजना की दक्षता में वृद्धि करने के लिए इसके तहत 'कार्य' की परिभाषा की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यकताओं के अनुसार उसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

कोरोना संकट के दौरान ग्रामीण भारत की अलग चिंताएं थीं। गांवों में पलायन करके जा रहे भारी संख्या में मजदूरों के परिवारों को अलग चिंता थी कि संकट में इनका पालन–पोषण कैसे होगा!

लेकिन कोरोना की दोनों लहर के दौरान मनरेगा ने न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दी बल्कि उनकी आजीविका का प्रमुख साधन बनी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई 2021 में जितना काम मनरेगा के तहत मांगा और दिया गया, वह पंद्रह वर्षों का एक अलग रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम जैसे राज्यों में मनरेगा के कार्यदिवसों की संख्या काफी बढ़ी। कोरोना संकट के पहले चरण में ज़िला–स्तर पर श्रमिकों एवं कामगार मजदूरों को पात्रता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। साथ ही, पंचायतों ने भी स्थायी परिसंपत्तियों के लिए उसी हिसाब से तैयारी की।

मनरेगा से लाभकारी परिसंपत्तियां बनाने के लिए मजदूरी और सामग्री अनुपात तय है ताकि एक संतुलन बना रहे तथा आय सृजित करने वाली टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके। इस योजना के आरंभ से जुलाई 2019 तक 5,35,390 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय ग्रामीण भारत में हुआ और 2885.81 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए जो विश्व इतिहास का अनूठा उदाहरण है। हाल के सालों में मनरेगा के चलते ग्रामीण इलाकों में अब तक करीब 50 लाख हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाया गया है। ज़मीनी अनुभवों और कमज़ोरियों एवं खामियों को समय से दूर करते रहने के साथ मनरेगा में होने वाले सतत बदलावों के कारण यह योजना बेहद कारगर साबित हुई।

मनरेगा से छोटे और सीमांत किसानों के साथ कमज़ोर तबकों की निजी भूमि पर जो काम हुए, उससे उनकी खेती की लागत कम करने के साथ आर्थिक सुरक्षा में मदद मिली। आज मनरेगा का कार्यक्षेत्र परिसंपत्तियों के मामले में काफी विस्तृत है। इसके द्वारा कृषि उत्पादों के लिए सामूहिक भंडारण सुविधाएं, गांवों में ही जैविक उर्वरक तैयार करना, ऊबड़–खाबड़ ज़मीनों का उपचार, गरीबों के लिए मकान का निर्माण, स्वच्छता अभियान, आपदा से बचाने या आपदा के बाद सार्वजनिक अवसंरचना खड़ी करना, स्वयंसहायता समूहों के लिए भवन आदि भी इसका हिस्सा हैं। समग्र रूप से देखें तो इसमें ग्रामीण संपर्कता के विस्तार, कृषि संबंधी कामों, पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए ज़रूरी आधार तैयार करने से लेकर ग्रामीण पेयजल और आंगनवाड़ी केंद्र और खेल के मैदान तक का निर्माण शामिल है। इस समय विभिन्न राज्यों में 1346 ग्रामीण कृषि मंडियों के विकास और उन्नयन का काम भी मनरेगा के तहत हो रहा है जिसमें से 750 मंडियों का काम पूरा हो चुका है। 2016 में हर पंचायत में कुल सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के बाबत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता हुआ था। इसके बाद कामों की गुणवत्ता में व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है।

मनरेगा ही एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो कि ग्रामीण युवाओं को उनके मूल स्थानों के निकट रोज़गार देता है साथ ही, व्यक्तिगत लाभार्थी संपत्तियों का निर्माण भी इससे होता है। इस श्रेणी में प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण में 90 से 95 दिन का काम और कई दूसरे कामों से वंचितों को वैकल्पिक स्थायी आजीविका में मदद मिली है। साथ ही, गरीबों के लिए मददगार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के तहत मनरेगा से आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी गति पकड़ सकता है। कृषि, बागवानी, मात्स्यिकी, रेशम कीटपालन, पशुपालन, सिंचाई, विद्यालय शिक्षा आदि से तालमेल ने इसे और प्रभावी बनाया है। मनरेगा की अनुसूची–1 में प्राथमिकता के आधार पर जिन कामों को सूचीबद्ध किया गया है उसमें जल संरक्षण, सूखारोधी उपाय और वृक्षारोपण प्रमुख हैं। इसके तहत लघु सिंचाई, बागवानी, भूमि सुधार, बाढ़ नियंत्रण, बारहमासी सड़कें, गांव पंचायत भवन, खेल मैदान, स्वच्छता सुविधा के साथ कई और प्रावधान हैं।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में ग्रामीण रूपांतरण में उत्प्रेरक माना गया है मनरेगा को गरीबी कम करने में मनरेगा का व्यापक सहयोग रहा है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी ग्रामीण इलाकों की आधी आबादी खेतिहर मजदूर है लेकिन पहले उनको केवल फसली मौसम में ही काम मिलता था। हर तीन में एक परिवार भूमिहीन है। गांवों में करीब 29.43 फीसदी परिवार अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित है। इन पर ही गरीबी की सबसे अधिक मार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में पड़ती रही है। इनको काफी मदद मनरेगा से मिली और इनका जीवन–स्तर बेहतर हुआ। कृषि श्रमिकों की दशा बदलने के साथ मनरेगा ने ग्रामीण आजीविका को मज़बूत किया है।

विशाल जनशक्ति के भरण–पोषण की चुनौती के साथ भारत को दुनिया में कई सुयोग भी हासिल हैं। हमारी कुल भूमि का 52 फीसदी खेती योग्य है, जबकि दुनिया में ऐसी भूमि का औसत 11 फीसदी बनता है। हमें दुनिया की सभी प्रमुख जलवायु स्थितियों का वरदान मिला है। दुनिया की मिट्टी की 60 किस्मों में से भारत के हिस्से में 46 किस्में आती हैं। लेकिन आज भी हमारी खेती मुख्यतया मानसून पर निर्भर है। कृषि के लिए उपलब्ध सिंचाई के साधनों में व्यापक सुधार में मनरेगा भी एक अहम कारक बनी है। आर्थिक समीक्षा 2018–19 में कहा गया है कि सिंचाई के मौजूदा चलन की वजह से भूजल निरंतर नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है, जोकि चिंता का विषय है।

आकलन है कि देश के निवल बोए गए क्षेत्र में से 68 मिलियन हेक्टेयर यानी 48 फीसदी सिंचित और 72 मिलियन हेक्टेयर यानी 52 फीसदी वर्षासिंचित है। वर्षा सिंचित बड़े राज्यों कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और केरल में सूखा या सूखे जैसी परिस्थितियां आती रहती हैं। लेकिन वर्षा–सिंचित इलाकों का हमारे कुल अन्न उत्पादन में 40 फीसदी का योगदान है और 60 फीसदी पशुधन वहीं हैं। वहीं सबसे अधिक मोटा अनाज और दालें पैदा होती हैं। लेकिन इन इलाकों की तस्वीर बदलने में मनरेगा ने खास भूमिका निभाई है।

2015–16 में जब देश के कई इलाके भयावह सूखे की चपेट

में थे तो मनरेगा से जल संरक्षण और जल प्रबंधन में अनूठा काम हुआ। बड़ी संख्या में तालाब, कुएं खुदे और चेकडैम बने। टिकाऊ जल संरक्षण संपत्तियों के निर्माण से उत्पादकता, क्षेत्रफल, आय और जलस्तर में सुधार हुआ है। हर राज्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार जल संरक्षण कार्य किया और 2156 नदी संरक्षण योजनाओं को गति दी। इससे कई इलाके की कृषि भी पुनर्जीवित हो गई। मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन संबधी कामों की विस्तृत सूची है। अलग–अलग इलाके की चुनौतियों के लिहाज़ से मिट्टी के बांध से लेकर चेकडैम, लघु सिंचाई, वनीकरण से लेकर सामान्य भूमि के विकास कार्य इसमें शामिल हैं। जल की कमी वाले ब्लॉकों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सबंधी कामों के लिए विशेष प्राथमिकता दी गई है।

प्राकृतिक संसाधन और सामुदायिक परिसंपत्तियों में गांव की अहम ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया है। लेकिन कुछ चुनिंदा कमज़ोर तबकों की ज़मीनों पर हुए काम सार्वजनिक संपत्तियों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं क्योंकि उसकी देख–रेख और रखरखाव का एक स्थायी–तंत्र मौजूद रहता है। फिर भी इन प्रयासों से गांवों में भूजल–स्तर में बढ़ोत्तरी हुई है, पानी की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे काफी बंजर ज़मीनों को खेती लायक बनाने में मदद मिली और खेती की उत्पादकता बढ़ने के साथ फसल विविधीकरण की दिशा में भी छोटे किसान अग्रसर हुए हैं। आर्थिक वृद्धि संस्थान, नई दिल्ली ने तीस ज़िलों में दो सालों तक किए गए अध्ययन में पाया कि मनरेगा ने फसल गहनता और विविधीकरण में मदद की है; परिवारों की आय बढ़ी है और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ जल संसाधनों में बढ़ोत्तरी हुई है।

हाल के वर्षों में मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी केंद्र, खेत तालाब, ग्रामीण आवास और कई तरह की सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है। देश के कई हिस्सों में भयावह सूखे में भी सबसे अधिक मददगार मनरेगा रहा। इसकी सबसे बड़ी सफलता प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है। आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली ने 2017 के अंत में किए गए एक अध्ययन में पाया कि इससे परिवारों की आमदनी में करीब 11 फीसदी, अनाज उत्पादन में 11.5 फीसदी, सब्जी उत्पादकता में 32.3 फीसदी की वृद्धि हुई। जल–स्तर में हुई वृद्धि से करीब 78 फीसदी परिवार लाभान्वित हुए। जल संरक्षण के कारण छोटे और सीमांत किसानों को अपने पशुओं के लिए चारे की विश्वसनीय उपलब्धता संभव हो सकी। खेत, तालाब और कुएं बनने से उनकी खेतीबाड़ी को नई ताकत मिली और उनके जीवन–स्तर में भी सुधार हुआ है। इस तरह देखें तो मनरेगा का कृषि उत्पादकता पर सकारात्मक असर पड़ा। साथ ही, खेती और उससे संबद्ध कार्यकलापों से जुड़ी उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन संभव हुआ है।

मनरेगा ने ग्रामीण भारत के लिए ज़रूरी परिसंपत्तियों के सृजन में जो भूमिका निभाई है, वह ऐतिहासिक है। लेकिन तकनीकी मामलों में ग्राम पंचायतें कमज़ोर है, यह भी एक अहम पक्ष है। इस तरफ खास ध्यान देने की ज़रूरत है। निसंदेह भविष्य में मनरेगा की उपयोगिता और उपादेयता बनी रहेगी। इस कार्यक्रम की मदद से जिन क्षेत्रों में व्यापक सफलता मिली है, उनके अनुभवों के साझा करने के साथ राज्यों को भी कुछ नए विचारों के साथ मनरेगा के क्रियान्वयन पक्ष पर लगातार काम करते रहने की ज़रूरत है।

(लेखक राज्यसभा टीवी में संसदीय और कृषि मामलों के संपादक रह चुके हैं। कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित श्री सिंह कई पुस्तकों के लेखक हैं। इनकी रचना एनसीईआरटी के आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल है।)

ई–मेल : arvindksingh.rtsv@gmail.com

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का विस्तार

–समीरा सौरभ

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की पहुंच, सामर्थ्य और जवाबदेही देश के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अपेक्षित है। महामारी के दौरान भारत में टेलीमेडिसिन की प्रभावशाली वृद्धि का अनुमान ई–संजीवनी ओपीडी (मरीज से डॉक्टर की टेली–परामर्श प्रणाली) से लगाया जा सकता है, जो अप्रैल 2020 में शुरू होने के बाद से लगभग दस लाख रोगियों को चिकित्सा परामर्श दे चुकी है। वर्तमान कोविड–19 वैश्विक महामारी एक ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति की आवश्यकता उज़ागर करती है, जिसमें महामारी विज्ञान, विशेष रूप से महामारी के कारणों की समझ और उससे निपटने के लिए जनसंख्या आधारित उपयुक्त व्यवहार और शैक्षिक कार्यक्रमों की पहचान पर बल दिया गया हो।

भारत पिछले दशक में व्यक्तियों और आबादी तक गुणवत्तापूर्ण, मुफ्त और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने और ग्रामीण–शहरी तथा अमीर–गरीब के बीच की खाई को कम करने में काफी सफल रहा है। हालांकि ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है चूंकि देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसे स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य सेवा हेतु बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव नीति योजनाकारों के लिए, विशेष रूप से महामारी की पृष्ठभूमि में, बड़ी प्राथमिकता है।

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की पहुंच, सामर्थ्य और जवाबदेही देश के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अपेक्षित है। महामारी के दौरान भारत में टेलीमेडिसिन की प्रभावशाली वृद्धि का अनुमान ई–संजीवनी ओपीडी (मरीज से डॉक्टर की टेली–परामर्श प्रणाली) से लगाया जा सकता है, जो अप्रैल 2020 में शुरू होने के बाद से लगभग दस लाख रोगियों को चिकित्सा परामर्श दे चुकी है। किसी भी राज्य में इंटरनेट की पहुंच का टेलीमेडिसिन परामर्श के साथ गहरा रिश्ता है, इसलिए किसी राज्य में अधिक इंटरनेट के प्रयोग से टेलीमेडिसिन के इस्तेमाल में भी बढ़ोत्तरी होगी और स्वास्थ्य देखभाल सेवा के उपयोग में भौगोलिक असमानता कम करने में मदद मिलेगी।

वर्तमान कोविड–19 वैश्विक महामारी एक ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति की आवश्यकता उज़ागर करती है, जिसमें महामारी विज्ञान, विशेष रूप से महामारी के कारणों की समझ और उससे निपटने के लिए जनसंख्या आधारित उपयुक्त व्यवहार और शैक्षिक कार्यक्रमों की पहचान पर बल दिया गया हो। यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि महामारी की शुरुआत चाहे विकसित देशों में हुई परंतु, वायरस अमीर–गरीब या ग्रामीण–शहरी के रूप में अंतर नहीं करता है। यह विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए एक खतरा है, जहां 68–70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और जहां वैश्विक–स्तर पर महामारी का बोझ भी सबसे अधिक है।

भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली[1]

2022 तक स्वास्थ्य सेवा बाज़ार में लगभग तीन गुना वृद्धि होने की उम्मीद है, परन्तु, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है और नीति–स्तरीय उपायों पर ध्यान केंद्रित 'करने की आवश्यकता है। सरकारी अस्पतालों में

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रुरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स 2019–20

ग्रामीण क्षेत्रों में त्रि–स्तरीय स्वास्थ्य सेवा ढांचा

केंद्र	जनसंख्या मानदंड*	
	मैदानी इलाके	पर्वतीय / जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र
उपकेंद्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	30000	20000
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	120000	80000

*संबद्ध सेवा के तहत आने वाले व्यक्तियों की संख्या (उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र)

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है क्योंकि खराब सेवाएं अनेक लोगों को प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करने के लिए मज़बूर करती हैं। समग्र स्वास्थ्य देखभाल उपयोग भी कम है, क्योंकि भारतीय माताओं में से केवल आधी (52 प्रतिशत) ही तीन या अधिक प्रसव–पूर्व जांच कराती हैं और भारत में केवल 43.5 प्रतिशत बच्चों को ही सभी टीके प्राप्त होते हैं। एक ओर, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उपयोग कम किया जाता है जबकि दूसरी तरफ, हमारी तृतीयक और माध्यमिक (ज़िला) स्तर की सुविधाएं अक्सर ऐसे कार्यों से ओवरलोड रहती हैं, जो निचले केंद्रों पर किए जा सकते हैं। परिणामस्वरूप गुणवत्ता की अनदेखी होती है।

भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और प्रणालियों का विकास जारी है और कार्यबल की कमी, बुनियादी ढांचे और देखभाल की गुणवत्ता के मामले में आवश्यक सुधार की गुंजाइश है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सरकार की प्रतिबद्धता के बावजूद, पर्याप्त और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।

कोविड–19 जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को तैयार करना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड–19 का फैलाव रोकने के उपाय करने होंगे। नई महामारी के साथ ही, अभी तक बचे हुए तपेदिक जैसे संचारी रोगों का उन्मूलन और समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने सहित, सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से आगे आने वाली समस्याएं बढ़ रही हैं। परीक्षण सेवाओं की धीमी गति और निगरानी प्रणाली में खामियों को देखते हुए कोविड–19 ने एक विशेष ढांचागत अंतराल पैदा कर दिया है।

शहरी बनाम ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल

भारत में, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे का 75 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है जहां कुल भारतीय आबादी का केवल 27 प्रतिशत हिस्सा ही रह रहा है। निजी स्वास्थ्य सेवा में लगातार वृद्धि देखी जा रही है जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता या बुनियादी ढांचे की गंभीर आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम लोगों को टीके की पहली डोज़ मिली है। यह ध्यान देने योग्य है कि वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट दूर करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। प्रौद्योगिकी चुनौती एक अन्य कारक है जिसे उजागर नहीं किया गया है। को–विन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग इस प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी दवा की आपूर्ति अनियमित है। उचित मूल्य की दुकानें (पीपीपी मॉडल) तृतीयक देखभाल और मध्यवर्ती देखभाल अस्पतालों में स्थित हैं। ये उचित मूल्य की दुकानें अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग शुल्क भी ले सकती हैं।

कुल मिलाकर, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय 2015–16 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 2020–21 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 में कहा गया कि बजट में स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने की दृष्टि से 189 देशों में भारत 179वें स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों को प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य सेवा वितरण में बढ़ोत्तरी करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारत में स्वास्थ्य सेवा ढांचे को भौतिक बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले मानव संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है।

भौतिक अवसंरचना

अपेक्षित देखभाल के स्तर के आधार पर, भारत में स्वास्थ्य देखभाल को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण में प्राथमिक देखभाल (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदान की जाती है), माध्यमिक देखभाल (ज़िला अस्पतालों में प्रदान की जाती है), और तृतीयक देखभाल संस्थान (एम्स जैसे विशेष अस्पतालों में प्रदान की जाती है) शामिल हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ढांचा स्वास्थ्य पेशेवरों और आबादी के बीच संपर्क का पहला स्तर प्रदान करता है।

मोटे तौर पर, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाने वाली आबादी और प्रदत्त सेवाओं के प्रकार के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में त्रि–स्तरीय प्रणाली होती है। इसमें उप–केंद्र (एससी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शामिल हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी उच्चस्तरीय समूह (2019) और आयुष्मान भारत पर 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में यह महसूस किया गया है कि स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और शीघ्र प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने से तृतीयक स्तर पर प्रदान की जाने वाली जटिल विशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। इसने सिफारिश की कि देश में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रावधान करते समय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

वित्तमंत्री ने घोषणा की कि छह वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में निम्नांकित पर ध्यान केंद्रित किया

जाएगाः (i) प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करना, (ii) मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मज़बूत करना, और (iii) नई बीमारियों का पता लगाने और इलाज के लिए नए संस्थान बनाना।

सरकार की योजना 2022 तक 1.5 लाख उप–स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य वेलनेस सेंटरों (एचडब्ल्यूसीज) में बदलने की है। एचडब्ल्यूसी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से परे विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करेंगे। इन सेवाओं में निम्नांकित सेवाएं शामिल होंगीः (i) गैर–संचारी रोगों की देखभाल, (ii) पुनर्वास देखभाल, (iii) मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, (iv) आपात स्थिति और आघात के लिए प्रथम स्तर की देखभाल, और (v) मुफ्त आवश्यक दवाएं और नैदानिक सेवाएं।

इसके अलावा, उच्चस्तरीय समूह ने उल्लेख किया कि भारत में प्रति 1,000 लोगों पर एक बिस्तर उपलब्ध है, जो वैश्विक औसत 2.9 बिस्तरों से काफी कम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में इसे बढ़ाकर प्रति 1,000 लोगों पर 2 बिस्तर करने की योजना है। 2025 तक 200 बिस्तरों वाले 3,000 से 5,000 अस्पताल बनाकर इसे हासिल किया जा सकता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन

आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 में कहा गया कि स्वास्थ्यकर्मियों का कुल घनत्व 23 प्रति 10,000 जनसंख्या है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने के लिए अनुशंसित प्रति 10,000 जनसंख्या पर 44.5 स्वास्थ्यकर्मिक की तुलना में बहुत कम है। 2019 तक, प्रति 1,511 लोगों पर एक डॉक्टर और प्रति 670 लोगों पर एक नर्स है, जो प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर और प्रति 300 लोगों पर एक नर्स के डब्ल्यूएचओ मानक से कम है।

स्वास्थ्यकर्मियों की कुल संख्या में वृद्धि के बावजूद डॉक्टरों, विशेषज्ञों और सर्जनों की कमी है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला) (सहायक नर्स दाइयों सहित) की संख्या वर्ष 2005 में 1,33,194 से बढ़कर 2018 में 2,19,326 हो गई है। वर्ष 2018 तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 11 प्रतिशत पद खाली हैं, और केवल कुल अपेक्षित विशेषज्ञों में से 60 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्ति के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

जिन प्रमुख क्षेत्रों में मानव संसाधनों की अधिक तैनाती की आवश्यकता है, वे हैं ज़मीनी–स्तर पर निगरानी गतिविधियां, नियंत्रित संचालन का पर्यवेक्षय प्रबंधन, प्रयोगशाला परीक्षण, संग्रह, डेटा का संग्रह और प्रसार, जोखिम संचार और नैदानिक प्रबंधन।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)

आयुष्मान भारत कार्यक्रम –पीएमजेएवाई सितंबर 2018–19 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 10.7 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना में दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल हैं।

लाभः यह योजना माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह योजना सर्जरी, दवाओं की लागत, डे केयर उपचार और निदान जैसे 1,350 चिकित्सा पैकेज प्रदान करती है। इसके अलावा, यह योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों का प्रावधान करती है।

आवंटनः 2021–22 में, पीएमजेएवाई के लिए 6,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो दो साल पहले (2019–20 में 3,200 करोड़ रुपये) के वास्तविक खर्च से दोगुना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबद्ध स्थायी समिति (2018) और 15वें वित्त आयोग (2019) की एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया था कि पीएमजेएवाई आरएसबीवाई का सिर्फ एक विस्तार है जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000 रुपये तक की कवरेज प्रदान करता है। इसलिए, योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, आरएसबीवाई की विफलताओं और अपर्याप्तताओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यह देखा जाएगा कि क्या (i) आरएसबीवाई ने सभी संभावित लाभार्थियों को कवर किया, (ii) योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने की दरों में वृद्धि हुई, और (iii) बीमा कंपनियां इस योजना के तहत लाभदायक थीं। आरएसबीवाई के कार्यान्वयन में पहचानी गई प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैंः (i) लाभार्थियों के नामांकन की कम दर, (ii) जेब से खर्च में वृद्धि, और (iii) स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पैनल संबंधी मुद्दे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबद्ध स्थायी समिति (2020) के अनुसार पीएमजेएवाई को विभिन्न कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैंः (i) लाभार्थियों की पहचान, (ii) कई पात्र लोगों को शामिल न करना, (iii) स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का पैनल, और (iv) अस्पताल लेन–देन प्रणाली।

कार्यान्वयनः आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 में कहा गया है कि पीएमजेएवाई से स्वास्थ्य बीमा कवरेज में बढ़ोत्तरी हुई है।

आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन की स्थिति – पीएमजेएवाई (सितंबर 2020 तक[2])

संकेतक	अखिल भारतीय
लाभार्थी परिवार लाभान्वित (करोड़ में)	13.13
कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित की गई निधि (करोड़ में)	5,474
अस्पताल में कुल दाखिले, अधिकृत (करोड़ में)	1.24 से अधिक#
स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र	59,307*

नोटः #इसमें कोविड–19 के परीक्षण और उपचार के लिए अस्पताल में 5.13 लाख दाखिले शामिल हैं;
*10 फरवरी, 2021 तक।

2. स्रोतः प्रेस सूचना ब्यूरो (23 सितंबर, 2020) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2081, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 23 सितंबर, 2020 को उत्तर दिया; एचडब्ल्यूसी पोर्टल, आयुष्मान भारत; पीआरएस।

पीएमजेएवाई को लागू करने वाले राज्यों में स्वास्थ्य बीमाकृत परिवारों के अनुपात में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसे लागू नहीं करने वाले राज्यों के लिए 10 प्रतिशत की कमी आई। कार्यान्वयन के साथ राज्यों में शिशु मृत्युदर में भी 20 प्रतिशत की कमी आई है जबकि कार्यान्वयन के बिना राज्यों में मृत्युदर में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है।

बजट 2021–22 में एक नई केंद्रीय योजना **प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना** की घोषणा की गई। इस योजना में निम्नांकित बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगाः (i) प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करना, (ii) मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मज़बूत बनाना, और (iii) नई बीमारियों का पता लगाने और इलाज के लिए नए संस्थान बनाना। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अगले 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जाएगा।

उपभोक्ता व्यय : उपभोक्ता खर्च व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य सेवा के उस बिंदु पर किया गया भुगतान है जहां स्वास्थ्य देखभाल सेवा की पूरी लागत किसी भी वित्तीय सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं होती है। पीएमजेएवाई कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा के माध्यमिक और तृतीयक स्तरों के लिए कवरेज प्रदान करता है, जबकि उपभोक्ताओं द्वारा किए गए अधिकांश खर्च औषधियों (47 प्रतिशत), निजी सामान्य अस्पतालों (31 प्रतिशत), सरकारी सामान्य अस्पतालों (8 प्रतिशत), चिकित्सा और निदान (7 प्रतिशत), और रोगी परिवहन और आपातकालीन बचाव (7 प्रतिशत) से संबंधित होते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 में कहा गया है कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर पारिवारिक खर्च सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च का 60 प्रतिशत है (जोकि दुनिया में सबसे अधिक है)। सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च को जीडीपी के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर जीडीपी के 2.5–3 प्रतिशत करने से पारिवारिक खर्च को 60 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) 2003 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्यः (i) सस्ती और विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना, और (ii) देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना था। इसमें एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकारों के कुछ अस्पतालों को अपग्रेड करना शामिल है। इन वर्षों में, इस योजना का विस्तार करते हुए इसमें 20 नए एम्स की स्थापना और राज्य सरकारों के 71 अस्पतालों का उन्नयन कार्य शामिल किया गया। स्वास्थ्य सेवा का भविष्य सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की हमारी क्षमता में निहित है। भारत की स्वास्थ्य नीति को महामारी से झटका लगने के बावजूद दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।

- पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्य आपातकालीन कार्रवाई टीमों का निर्माण करके और जिला–स्तर पर समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित करके संचारी रोगों से प्रभावी ढंग से निपटना होगा।
- भारत में प्रचलित गैर–संचारी रोगों को आंशिक रूप से स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जागरूकता अभियानों के माध्यम से नियंत्रित करना होगा।
- पर्याप्त मानव संसाधन और उपकरणों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मज़बूत बनाना होगा।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना और आयुष्मान भारत के पीएमजेएवाई और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का व्यापक प्रचार और उपयोग करना।
- ऐसी सेवाओं के बेंचमार्क के लिए अस्पतालों, चिकित्सकों और बीमा कंपनियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पर गुणवत्तापूर्ण रिर्पोटिंग के लिए एक मानकीकृत प्रणाली बेहद ज़रूरी है।
- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सूचना विषमता से निपटने के लिए सिस्टम से 'झोलाछाप' को जड़ से खत्म करना होगा। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में और अधिक मज़बूती से विनियमन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता है जैसे एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नियामक।

अंततः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान उपचार की वहनीयता और नैदानिक लागत पर निर्भर करता है। चिकित्सा उपकरणों, दवाओं, शल्य चिकित्सा और निदान के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, अस्पतालों, अनुसंधान संस्थानों में जैव चिकित्सा वैज्ञानिक एकजुट हो सकते हैं और अपने ज्ञान को किफायती चिकित्सा उत्पादों में अंतरित कर सकते हैं। यह प्रधानमंत्री की 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा को पूरा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा जिससे आयात लागत में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती चिकित्सा देखभाल संभव हो सकेगी।

संक्षेप में, महामारी का प्रभाव, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में लॉकडाउन की रणनीति बहुआयामी है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार हो रहा है और कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार भी हुए है हालांकि नई तकनीकों के इस्तेमाल से और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और उपयोग बढ़ने, उच्च स्वास्थ्य व्यय में कमी लाने; स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता में असमानता से निपटने; स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन के लिए बजट आवंटन बढ़ाने से परिणाम और बेहतर होंगे। स्वास्थ्य सेवा के आपूर्ति और मांग संबद्ध पक्षों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भौतिक बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन के मामले में स्वास्थ्य क्षेत्र के आपूर्ति पक्ष में काफी बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है।

(लेखिका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ईमेल : Sameera.saurabh@gmail.com

मानव संसाधन विकास

–विजय प्रकाश श्रीवास्तव

मानव संसाधन विकास में पूर्वाग्रहों के लिए स्थान नहीं है। यह खुद वैज्ञानिक सोच पर आधारित है तथा इसका एक ध्येय लोगों में भी वैज्ञानिक सोच का विकास करना है। ग्रामीण जनसंख्या के लिए इस तरह की सोच बेहद ज़रूरी है। ऐसी सोच के साथ ही लोग अपने में यह विश्वास उत्पन्न कर पाते हैं कि शिक्षा प्राप्त कर, परिश्रम एवं प्रयासों से अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।

मानव संसाधन विकास अध्ययन का एक प्रमुख विषय है। यह एक बहुचर्चित पद भी है। मानव संसाधन विकास का उल्लेख ज़्यादातर सांगठनिक परिप्रेक्ष्य में होता रहा है। यह सर्वविदित है कि संगठन लोगों से मिल कर बनता है। इसी प्रकार किसी राष्ट्र का निर्माण भी इसके लोगों से ही होता है। अतः मानव संसाधन विकास की भूमिका राष्ट्रों के लिए भी है। राष्ट्र का विकास इसके निवासियों के विकास पर निर्भर है। वास्तव में देखा जाए तो लगभग सभी राष्ट्रों, जिन्हें विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है, की प्रगति का मुख्य आधार मानव संसाधन विकास ही रहा है। जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, उनमें से कई देशों ने अपने मानव संसाधन में निवेश कर विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।

मानव संसाधन विकास एक अवधारणा है तथा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया भी। इसका दायरा विस्तृत है। यह एक आवश्यकता है तथा संगठन हो या राष्ट्र, दोनों के लिए भरपूर संभावनाएं उपलब्ध कराती है। मानव संसाधन विकास की अवधारणा के अनुसार यदि किसी संगठन अथवा राष्ट्र में लोग ज़्यादा योग्य कुशल एवं अभिप्रेरित हैं तो संगठन या राष्ट्र का प्रदर्शन भी बेहतर होगा। संगठन के संदर्भ में यह प्रदर्शन लाभ एवं उत्पादकता के रूप में प्रकट होता है। यदि राष्ट्र की बात करें तो यह अन्य बातों के साथ–साथ सकल घरेलू उत्पाद एवं जीवन की गुणवत्ता में दिख सकता है। सकल घरेलू उत्पाद एक देश में निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यदि दो राष्ट्र सभी मामलों अर्थात् जनसंख्या, क्षेत्रफल, प्राकृतिक संसाधनों आदि के मामले में पूरी तरह समान हो तो भी उस राष्ट्र की समग्र स्थिति बेहतर होगी जिसका मानव संसाधन अधिक गुणवत्तायुक्त है।

मानव संसाधन विकास व्यक्तियों पर केंद्रित होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके जरिए समाज में लोगों की शिक्षा,उनके कौशल एवं उत्साह, उत्पादकता का उन्नयन कर बेहतर परिणाम हासिल किए जाते हैं। दरअसल मानव संसाधन विकास में शिक्षण, प्रशिक्षण

एवं रोज़गार को प्रमुखता से शामिल किया जाता है। शिक्षा के मामले में ज़ोर इस पर होता है कि संपूर्ण आबादी को साक्षर होना चाहिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के भरपूर अवसर होने चाहिए तथा योग्य विद्यार्थियों के मामले में अर्थाभाव को उच्च शिक्षा में आड़े नहीं आना चाहिए। प्रशिक्षण, शिक्षण से भिन्न है हालांकि इन दोनों के बीच कुछ बातें समान भी हैं। प्रशिक्षण ज्ञान,कौशल एवं रुझान के विकास पर केंद्रित होता है। लोगों को प्रशिक्षित इसलिए किया जाता है कि वे प्रशिक्षण का उपयोग उत्पादक कार्यों में कर सकें, आत्मनिर्भर बनें तथा अपनी क्षमताओं एवं कुशलताओं का लाभ समाज एवं देश को भी दे सकें। लोगों को उनकी योग्यतानुसार रोज़गार उपलब्ध कराना भी मानव संसाधन विकास की प्राथमिकताओं में शामिल है।

व्यवहार विज्ञानी मानते हैं कि संभावनाएं सभी व्यक्तियों में होती हैं। इन संभावनाओं को मूर्त रूप देना मानव संसाधन विकास के जरिए संभव होता है। विकास की इस रणनीति का लाभ व्यक्तियों को तो होता ही है, समाज,समुदाय एवं राष्ट्र भी लाभान्वित होते हैं और कुल मिला कर विश्व का भी एक बेहतर स्वरूप उपस्थित होता है।

ग्रामीण भारत एवं ग्रामीण आबादी का स्वरूप

भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हम प्राकृतिक संसाधनों से भी सुसंपन्न है। इसके बावजूद भारत की गिनती अभी विकासशील देशों में होती है। इसका सीधा अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि मानव संसाधन विकास के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत में ग्रामीण आबादी का बाहुल्य अभी भी बना हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश की 83.3 करोड़ अर्थात् 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। भारत की एक विशेषता इसका एक कृषि प्रधान देश होना है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 19.9 प्रतिशत है जबकि कृषि व सम्बद्ध कार्यों में देश की करीब 50 प्रतिशत आबादी नियोजित है।

विगत दशकों में ग्रामीण आबादी के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है, आवागमन सुधरा है तथा दूरसंचार सुविधाओं, जिनमें मोबाइल फोन तथा इंटरनेट की सुविधाएं शामिल हैं, के विस्तार से ग्रामीण जन अब बाहरी दुनिया तथा इसमें हो रहे बदलावों से ज़्यादा अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस वर्ग की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं तथा यह अपनी सीमित दुनिया से बाहर आने को तत्पर हैं। इसे एक अच्छे संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। वैसे भी हमारे देश में कृषि में नियोजित लोगों की संख्या आवश्यकता से अधिक रही है। इससे निकल कर कुछ लोग यदि अन्य उत्पादक कार्यों में नियोजित किए जा सकें तो इसका अनुकूल परिणाम हमारे सकल घरेलू उत्पाद में दिखेगा। आंकड़े बताते हैं कि विगत वर्षों में कृषि में नियोजित व्यक्तियों की संख्या में कमी होने के बावजूद कृषि उत्पादन बढ़ा है। कृषि कार्यकलापों की आवश्यकता सभी देशों में होती है। कृषि को और उन्नत बना कर, इसमें प्रौद्योगिकी, भंडारण तथा प्रसंस्करण का ज़्यादा एवं बेहतर उपयोग कर देश अपने निर्यातों को बढ़ा सकेगा जिसका लाभ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव संसाधन विकास में मिलेगा। अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी तथा रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।

1947 में स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् देश ने निश्चित रूप से काफी प्रगति की है, पर गांवों तथा शहरों के बीच अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है। समस्याएं शहरों तथा गांवों दोनों में हैं, पर भारत में ग्रामीण आबादी के पास सुविधाओं की ज़्यादा कमी है तथा विकास के लिए इसे उतने अवसर उपलब्ध नहीं हैं जितने कि होने चाहिए। शिक्षा, रोज़गार, अवसंरचना तथा स्वास्थ्य सुविधाओं सभी में हमारे गांव पिछड़े हुए हैं। देश का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए गांवों पर हमें और ज़्यादा ध्यान देना होगा तथा ग्रामीण जनसंख्या हेतु मानव संसाधन विकास की रणनीतियों को ज़ोर–शोर से लागू करना होगा।

> देश में वित्तीय समावेशन तथा समावेशी विकास की नीतियों को लागू हुए कई वर्ष हो गए जिनके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिले हैं। पर इसके साथ यह भी सच है कि देश में ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अभी भी हाशिये पर है तथा खुद को मुख्यधारा से कटा हुआ महसूस करता है। यह ज़रूरी है इस जनसंख्या वर्ग के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएं ताकि देश में मानव संसाधन को पूर्णता प्राप्त हो सके।

ग्रामीण भारत के समक्ष प्रमुख मुद्दों में गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराना, कुपोषण से छुटकारा तथा शिक्षा एवं सुविधाओं को उन्नत बनाना शामिल है। इन सभी का संबंध मानव संसाधन विकास से है।

भारत की जनसंख्या तथा जनसंख्या लाभ

भारत की बड़ी जनसंख्या को कुछ लोग देश की प्रगति में एक समस्या के रूप में देखते हैं। पर यदि हम इस जनसंख्या के स्वरूप पर नज़र डालें तो हमें इसमें अवसर भी दिखेंगे। जनसंख्या लाभ अर्थात् डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो अनुकूल स्थिति भारत में देखने को मिलती है, वह दुनिया के किसी और देश में नहीं। इसकी चर्चा विश्व आर्थिक मंच पर भी होती रही है।

संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार जनसंख्या लाभ, जनसंख्या के आयु ढांचे में बदलाव के कारण आर्थिक विकास की मौजूद संभावना है जो तब उत्पन्न होती है जब आबादी में कार्यशील लोगों का हिस्सा गैर–कार्यशील लोगों के हिस्से से ज़्यादा होता है। लेकिन लोगों का कार्यशील होना मात्र पर्याप्त नहीं है, उनके लिए उत्पादक, अर्थपूर्ण नियोजन भी उपलब्ध होना चाहिए।

दुनिया के अधिकांश देशों में वृद्धों (60 वर्ष की आयु से अधिक) की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके विपरीत, भारत की

आबादी में युवाओं का बाहुल्य है। युवाओं को नई सोच, ऊर्जा एवं उत्साह का प्रतीक माना जाता है। उनकी उत्पादकता भी अधिक आंकी जाती है। इस दृष्टि से हम मज़बूत स्थिति में हैं पर हमें इस स्थिति का पूरा लाभ लेने हेतु ठोस एवं केंद्रित प्रयास करने होंगे। जब युवा अधिक संख्या में हैं तो उन्हें नियोजित करने हेतु रोज़गार तथा उद्यमिता के अवसरों की आवश्यकता भी अधिक होगी। यह आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। यदि युवा शक्ति का रचनात्मक उपयोग न हो तो इसके दो परिणाम होते हैं–एक तो हम उनकी क्षमताओं तथा कुशलताओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं; दूसरे, यह शक्ति नकारात्मक कार्यों की तरफ उन्मुख हो सकती है। कुंठित व निराश युवा पीढ़ी की बजाय आशावादी, उत्साही एवं जज्बे से भरपूर युवा किसी भी देश के लिए अधिक उपयोगी हैं।

हमारे देश की करीब 135 करोड़ की आबादी विश्व आबादी का कुल 17 प्रतिशत है। हमारी आबादी की मध्य आयु 30 वर्ष है तथा इसमें 62 प्रतिशत लोग 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में हैं जिसे उत्पादक आयु वर्ग माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों में 18 से 34 वर्ष के युवाओं की संख्या 69 प्रतिशत है। इससे हम ग्रामीण भारत के लिए मानव संसाधन विकास की उपयोगिता समझ सकते हैं।

जनसंख्या लाभ देश के सभी राज्यों में एक समान नहीं है। अतः यह आवश्यक होगा कि जिन राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों में युवा अधिक हैं, उन्हें अन्य क्षेत्रों में आने–जाने, कार्य, व्यवसाय करने की पूरी छूट हो तथा इस मामले में प्रांतीयता आदि की भावना से उठ कर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। ध्यान रखने की बात यह भी है कि जनसंख्या लाभ की यह स्थिति हमेशा नहीं बनी रहने वाली, अतः जब तक यह मौजूद है, इसका पूरा–पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। अभी के हिसाब से जनसंख्या लाभ हमें आगामी दो दशकों के लिए तो निश्चित रूप से उपलब्ध है।

जनसंख्या लाभ को हम हाथ से न जाने दें, इसके लिए ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान देना होगा।

रोज़गार एवं कौशल विकास की सरकारी योजनाएं

गरीबी उन्मूलन तथा रोज़गार के नए अवसरों का सृजन देश के सामने एक बड़ी चुनौती रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए विगत तीन दशकों में कई योजनाएं लागू की जा चुकी हैं जिन्हें मानव संसाधन विकास के एक उपाय के रूप में देखा जा सकता है। इन योजनाओं में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (1999), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (1999), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (1995), रोज़गार आश्वासन योजना (1993), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2000), महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (2005) के नाम गिनाए जा सकते हैं।

कौशल विकास योजनाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है। यह योजना, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से लागू किया गया है, 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना की वेबसाइट के अनुसार अब तक इस योजना में 6139950 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अंग है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना तथा ग्रामीण युवाओं की करियर महत्वाकांक्षाओं को पंख देना है। यह योजना कुशल भारत अभियान का हिस्सा भी है। योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाएं बाज़ार संबद्ध हैं तथा निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी की पद्धति अपनाते हुए लागू की गई हैं। योजना सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों, कौशल विकास संगठनों तथा विनियामक संगठनों के सम्मिलित प्रयासों द्वारा संचालित है। योजना में वर्तमान समय की रोज़गार एवं कौशल ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया है। इसमें अब तक 11,09,688 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और योजनाएं भी लागू की गई हैं।

उक्त योजनाओं से काफी लोग लाभान्वित हुए हैं पर हमारे देश में मानव संसाधन विकास के लिए इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है।

कौशल विकास एवं उद्यमिता पर 2015 की राष्ट्रीय नीति में बताया गया है कि 24 प्रमुख क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक 10.97 करोड़ कुशल लोगों की कमी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान दिए बिना इस अंतर को पाटना मुश्किल होगा चूंकि कौशल विकास तथा मानव संसाधन विकास एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु समन्वित मानव संसाधन विकास रणनीति की विशेष आवश्यकता

कई अध्ययनों में यह बताया गया है कि प्रतिभा गांव एवं शहर में भेद नहीं करती। शिक्षकों एवं कार्मिक प्रबंधकों के हवाले से यह दृढ़ता से कहा जाता रहा है कि ग्रामीण इलाकों से आने वाले विद्यार्थी, श्रमिक अथवा कर्मचारी उतने ही प्रतिभावान हैं जितने कि शहरों के। इसलिए उनके बीच भेद करने का कोई कारण नहीं बनता। हां, हमारी मौजूदा व्यवस्था में ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए अवसरों की उपलब्धता में कमी ज़रूर देखी जाती है। इस विसंगति को दूर करके ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मानव संसाधन विकास के उद्देश्य हासिल किए जा सकते हैं।

देश में वित्तीय समावेशन तथा समावेशी विकास की नीतियों को लागू हुए कई वर्ष हो गए जिनके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिले हैं। पर इसके साथ यह भी सच है कि देश में ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अभी भी हाशिये पर है तथा खुद को मुख्यधारा से कटा हुआ महसूस करता है। यह ज़रूरी है इस जनसंख्या वर्ग के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएं ताकि देश में मानव संसाधन को पूर्णता प्राप्त हो सके।

यदि सरलीकृत दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानव संसाधन

विकास में जिन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, वे हैं– प्रारम्भिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अवसंरचना विकास, रोज़गार निर्माण, उद्यमिता विकास एवं ऐसे वातावरण की उपलब्धता जिसमें लोगों को अपनी योग्यताओं तथा कुशलताओं को विकसित करने का पर्याप्त अवसर मिले। करीब से देखा जाए तो इन सभी मानकों पर हमारे गांव शहरों से पीछे हैं। यह तर्क दिया जा सकता है कि ग्रामीण स्तर पर बिलकुल शहरों जैसी स्थिति तैयार नहीं की जा सकती पर अवसरों में वृद्धि कर एवं बेहतरी लाकर काफी सुधार ज़रूर लाया जा सकता है। ग्रामीण भारत के स्तर पर इस क्रमिक सुधार की गति तेज़ करना देश में मानव संसाधन विकास की एक प्रमुख आवश्यकता है। उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में प्रतिभाशाली ग्रामीण युवाओं की भागीदारी बढ़ने से सरकारी व निजी सेवाओं तथा कारपोरेट जगत में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन विकास की प्राथमिक ज़िम्मेदारी सरकार की मानी जाती है। यह कार्य बहुत बड़ा है विशेषकर भारत जैसे देश में। इसलिए इसमें सरकार के साथ–साथ अन्य संस्थाओं को भी जुटना होगा। आज सरकार व निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा अपनी जनशक्ति अर्थात् मानव संसाधन के विकास पर गंभीरता से ध्यान देना सामान्य बात है। सच तो यह है कि तमाम कंपनियों ने अपनी व्यावसायिक रणनीतियों में मानव संसाधन विकास को अपना सर्वोपरि लक्ष्य बनाया है जो इस विश्वास पर आधारित है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना उन्हें उत्पादकता एवं लाभप्रदता के लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा।

राष्ट्र हेतु मानव संसाधन विकास नीतियों को लागू करने में कारपोरेट क्षेत्र के अनुभव सहायक हो सकते हैं। इसके साथ कारपोरेट जगत ग्रामीण भारत के मानव संसाधन विकास के लिए अन्य प्रकार से भी मदद कर सकता है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत थोड़ी मदद पहले मिलती रही है। एक तो इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है दूसरे, कुछ नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। कंपनियां प्रतिभाशाली ग्रामीण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान कर सकती हैं, उनकी उच्च शिक्षा का खर्च उठा सकती हैं और चाहें तो बाद में उन्हें अपने यहां रोज़गार देकर इस व्यय को वसूल भी सकती हैं। इसी प्रकार इंटर्नशिप के अवसरों में भी ग्रामीण युवाओं को शामिल किया जाए या ग्रामीण युवाओं के लिए अलग से इंटर्नशिप योजना शुरू की जाए। इंटर्नशिप में प्रदर्शन के आधार पर चुने गए युवाओं को ये कंपनियां स्थायी रोज़गार प्रदान कर सकती हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं शोध के नए केंद्र सघन ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाएं तो स्थानीय युवा इनका अधिक लाभ उठा सकेंगे।

मानव संसाधन विकास में पूर्वाग्रहों के लिए स्थान नहीं है। यह खुद वैज्ञानिक सोच पर आधारित है तथा इसका एक ध्येय लोगों में भी वैज्ञानिक सोच का विकास करना है। ग्रामीण जनसंख्या के लिए इस तरह की सोच बेहद ज़रूरी है। ऐसी सोच के साथ ही लोग अपने में यह विश्वास उत्पन्न कर पाते हैं कि शिक्षा प्राप्त कर, परिश्रम एवं प्रयासों से अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। अपने मानव संसाधन को उन्नति एवं विकास की राह दिखाना, इसके लिए माहौल तैयार करना संगठनों एवं राष्ट्रों की नैतिक ज़िम्मेदारी है। हमारे देश में लागू की गई योजनाएं सरकार द्वारा इस ज़िम्मेदारी को स्वीकार किए जाने की परिचायक हैं। इन योजनाओं का विस्तार कर, नई योजनाएं लागू कर देश में मानव संसाधन विकास को और मज़बूती प्रदान किए जाने की ज़रूरत है जिसमें ग्रामीण भारत का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। मानव संसाधन विकास एक ऐसा निवेश है जिसका प्रतिफल राष्ट्रों को लंबे समय तक मिलता है।

मानव संसाधन विकास का उद्देश्य शिक्षित एवं कौशलयुक्त समुदाय निर्मित करना तो है ही, अन्य तरीकों से भी मानव संसाधन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इन तरीकों में लोगों में जिज्ञासा जगाना, उनमें तार्किक एवं प्रगतिशील सोच विकसित करना, प्रयोग करने तथा जोखिम उठाने के लिए तत्पर बनाना तथा भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उन्हें इन आवश्यकताओं के लिए तैयार करना शामिल है। ग्रामीण आबादी विशेषकर युवा जनसंख्या के लिए इन विषयों को शामिल करने वाले संक्षिप्त पाठ्यक्रम अलग से चलाए जा सकते हैं। ग्रामीण विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षित किए जाने की विशेष आवश्यकता हो सकती है। मानव संसाधन विकास में ऐसा वातावरण निर्मित करना भी शामिल है जिसमें लोगों को सीखने, अपनी क्षमताओं तथा कुशलताओं में वृद्धि करने, नए प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर हों तथा लोगों में मौजूद संभावनाएं बाहर निकल कर सामने आएं।

लैंगिक समानता स्थापित करना भी आवश्यक रूप से मानव संसाधन विकास रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। निसंदेह लैंगिक असमानता के उदाहरण शहरों से अधिक गांवों में देखने को मिलते हैं। जब भी ग्रामीण बालिकाओं तथा युवतियों को अवसर मिला है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा चाहे वह पढ़ाई–लिखाई में हो या खेलकूद में, वे किसी प्रकार कमतर नहीं हैं। देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। अर्थव्यवस्था एवं विकास में जब तक उनकी सहभागिता इस अनुपात तक नहीं पहुंचती, तब तक मानव संसाधन विकास का ध्येय समग्रता में पूरा हुआ नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार मानव संसाधन विकास में ग्रामीण आबादी के कमज़ोर वर्गों तथा दिव्यांग जनों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(लेखक मानव संसाधन विकास विशेषज्ञ हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : v2j25@yahoo.in

ग्रामीण अवसंरचना विकास हेतु समावेशी मॉडल

–डॉ. श्याम सुन्दर प्रसाद

किसी राष्ट्र के विकास की कुंजी पूरी तरह से अवसंरचना के विकास के साथ–साथ ग्रामीण विकास के सही संतुलन पर निर्भर करती है। इसीलिए सभी सार्वजनिक नीति निर्माताओं के लिए अवसंरचना विकास और ग्रामीण विकास अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए ज़रुरत है एक दीर्घकालिक, दूरगामी, व्यवस्थित समावेशी मॉडल और एकीकृत पहल की जो सभी क्षेत्रों से जुड़ी ग्रामीण अवसंरचना को विभिन्न विभागों की जगह एकीकृत विभाग और व्यवस्था के अंतर्गत ला सके ताकि ग्रामीण विकास की अनुरूपता, सही स्थिति, उपलब्धता, कमी और भविष्य की आवश्यकताओं का पता चल सके।

ग्रामीण विकास में ग्रामीण अवसंरचना या बुनियादी ढांचे की भूमिका को देखते हुए आज़ादी के बाद से ही सरकारें समय–समय पर विभिन्न नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिशा में कदम उठा रही हैं। सरकार बदलती है तो उनके कार्यक्रम, संकल्प और प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं और कई बार सामने आया है कि कुछ योजनाएं एवं परियोजनाएं सत्ता बदलने से अधर में चली जाती हैं जिससे विकास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए ज़रूरत है एक दीर्घकालिक, दूरगामी, व्यवस्थित समावेशी मॉडल और एकीकृत पहल की जो सभी क्षेत्रों से जुड़ी ग्रामीण अवसंरचना को विभिन्न विभागों की जगह एकीकृत विभाग और व्यवस्था के अंतर्गत ला सकें ताकि ग्रामीण विकास की अनुरूपता, सही स्थिति, उपलब्धता, कमी और भविष्य की आवश्यकताओं का पता चल सके।

अवसंरचना किसी भी देश की रीढ़ होती है। यह राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में भारत की 69 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए ग्रामीण आबादी को नागरिक सेवाएं और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना को विकसित करने की आवश्यकता है। इससे उनके जीवन–स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर हम देश में ग्रामीण अवसंरचना की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि उद्योगों, गरीबी उन्मूलन और बाज़ारों तक बेहतर पहुंच और रोज़गार के अवसरों के दृष्टिकोण से इसका विकास महत्वपूर्ण हो जाता हैं।

ग्रामीण अवसंरचनाः अर्थ और अवधारणा

सामान्य तौर पर अवसंरचना को "सामाजिक जीवन स्थितियों को सक्षम बनाए रखने या बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तुओं और

सेवाओं को प्रदान करने वाली परस्पर संबंधित प्रणालियों के भौतिक घटकों" और आसपास के वातावरण को बनाए रखने के रूप में परिभाषित किया गया है। संपूर्णता में अवसंरचना को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है– पहला, आर्थिक अवसंरचना– यह बुनियादी सुविधाओं का संयोजन है जो अर्थव्यवस्था और व्यवसाय के आर्थिक विकास में सहायक होती हैं। जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के कार्य करने के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं शामिल होती हैं जैसे– सड़कें, रेलवे, परिवहन, संचार और बैंकिंग इत्यादि। दूसरा, सामाजिक अवसंरचना– यह बुनियादी सुविधाओं का संयोजन है जो शैक्षणिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था (जैसे स्कूल, अस्पताल) स्वच्छता, पेयजल इत्यादि से संबंधित होती हैं और जिससे मानव विकास संभव है। ग्रामीण अवसंरचना सार्वजनिक और निजी भौतिक संरचनाओं जैसे सड़कों, रेलवे, पुलों, सुरंगों, जलापूर्ति, सीवर, विद्युतग्रिड और दूरसंचार (इंटरनेट कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड एक्सेस सहित) से बनी है। मूल रूप से, ग्रामीण अवसंरचना में लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता है जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं।

ग्रामीण अवसंरचना ग्रामीण विकास की कुंजी है और दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। ग्रामीण विकास से तात्पर्य मूल रूप से तीन प्रमुख मुद्दों/क्षेत्रों से है–

1. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिजली तथा पेयजल जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना।

2. व्याप्त गरीबी को दूर करने हेतु रोज़गार के समुचित अवसर पैदा करना तथा

3. देश के शासन/गवर्नेंस में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनमें जागरूकता और चेतना का संचार करना।

इन तीनों प्रमुख मुद्दों/क्षेत्रों की अच्छी व्यवस्था से ही ग्रामीण लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेज़ी लाई जा सकती है और इन्हें ग्रामीण अवसंरचना की संरचना, दर्शन और प्रवृत्तियां ही परिवर्तित कर सकती हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के विषय को ध्यान में रखते हुए कई विशिष्ट योजनाएं शुरू की गई हैं जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो पाई है। परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास के रास्ते खुले हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत हुई है।

ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र और महत्त्व

ग्रामीण भारत की ग्रामीण अवसंरचना और शहरी सेवाओं के उन्नयन और विकास की आवश्यकता और मौजूदा ग्रामीण आबादी की मांग को पूरा किए बिना देश को समग्र विकास और आर्थिक विकास तथा समृद्धि के पथ पर लाना मुश्किल है। गांवों, पंचायतों, प्रखंडों और ज़िलावार क्षेत्रीय–स्तर पर बेहतर योजना बनाकर तथा सुविधाओं और सेवा मानकों के दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव पर ध्यान देकर इसे पूरा किया जा सकता है।

ग्रामीण अवसंरचना में सुधार के लिए हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र हैं: कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार, आवास, सड़क संपर्क, परिवहन, ऊर्जा और संचार आदि। इसके अलावा, सीवेज, जल निकासी और जल आपूर्ति, बिजली वितरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन और थाना तथा सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे पार्क, खेल के मैदान और विरासत परिसरों का संरक्षण आदि भी ज़रुरी है। ग्रामीण आबादी को विकास के रोडमैप पर लाने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्क सफलता की कुंजी है। यूं तो सभी क्षेत्रों में ग्रामीण अवसंरचना में सुधार का महत्व है लेकिन सड़क संपर्क अन्य बुनियादी सुधारों का मार्ग सुगम्य बनाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र और उनके महत्व का विवरण संक्षेप में यहां दिया जा रहा है–

कृषि अवसंरचना : हमारे देश में कृषि अवसंरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है क्योंकि भारत मुख्य रूप से कृषि–आधारित देश है और देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का पांचवां हिस्सा कृषि गतिविधियों से आता है। इसके अंतर्गत कृषि सलाह केंद्र, बीज केंद्र, कृषि रोज़गार, अन्न गोदाम, बाज़ार, सिंचाई आदि जैसी अवसंरचना विकसित हो सकती हैं।

ग्रामीण सड़कें : यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गतिशीलता और संपर्क प्रदान करती हैं। यह किसानों को पानी, बीज और अन्य कच्चा माल उपलब्ध कराकर कृषि गतिविधियों को बहुत आवश्यक बढ़ावा देती हैं। कनेक्टिविटी में सुधार कर, ग्रामीण सड़कें गैर–कृषि क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के लिए रोज़गार के अवसरों को भी बढ़ाती हैं। ग्रामीण सड़कें यह भी सुनिश्चित करती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सार्वजनिक सेवाएं हों और राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभ दूरदराज के क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचें। वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी प्रदान करती हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण : यह मूल रूप से कृषि और सिंचाई पंपसेट, लघु और मध्यम उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, शीत भंडारण शृंखला, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित अन्य गतिविधियों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा करती है।

ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली : ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना समग्र स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी ग्रामीण परिवारों को स्थायी रूप से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार के अनेक प्रयासों के परिणामस्वरूप स्रोत और उपलब्धता दोनों से पीने के पानी की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है। यह प्रणालियों और स्रोतों की

राष्ट्रीय–स्तर पर पूरे किए गए कार्यों की रिपोर्ट 2020

ग्रामीण विकास मंत्रालय का कुल लक्ष्य	पूर्ण हुए कार्य	पूर्ण कार्यों का प्रतिशत
20863993	14287124	68.48

(स्रोत: https://rhreporting.nic.in/netiay/homereports/Home Cumulative DataReport.aspx?type=4)

स्थिरता का नेतृत्व कर सकती हैं और पानी की गुणवत्ता की समस्या से निपट सकती हैं जिससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है।

ग्रामीण आवास : ग्रामीण आवास ग्रामीण विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए आवास मूलभूत आवश्यकता है।

ग्रामीण स्वास्थ्य : ग्रामीण जनता के लिए चिकित्सा सेवाओं को सरकार ने उपकेंद्र (एससी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खोल कर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। इसमें लोगों के जीवन–स्तर में सुधार करने की क्षमता है।

उपरोक्त सभी कारकों/अवयवों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी); प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई); जल जीवन मिशन (जीजेएम); दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना– सौभाग्य, उज्ज्वला योजना और हर घर नल में जल योजना इत्यादि। इन ग्रामीण योजनाओं ने ग्रामीण भारत में लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास किया है और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं।

अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना उपलब्ध हो तो निवेश के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, ग्रामीण बिजली, सिंचाई, पानी, स्वच्छता और सड़क के अवसंरचना के विकास से उत्पादकता, बचत, आय और पर्यटन में वृद्धि हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों को बेहतर रोज़गार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं।

ग्रामीण अवसंरचना: मुख्य मुद्दे और चुनौतियां

ग्रामीण अवसंरचना विकास सरकार की प्राथमिकता रही है और बेहतर अवसंरचना के निर्माण की दिशा में कई पहल की गई हैं। फिर भी ग्रामीण अवसंरचना के विकास की काफी गुंजाइश है। अर्थात् वर्तमान में ग्रामीण अवसंरचना अपर्याप्त है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध अवसंरचना में अंतर के अलावा, ग्रामीण अवसंरचना में सुधार और रखरखाव के लिए उपलब्ध धन की एक बड़ी कमी है। पारंपरिक संस्थागत ढांचे में कमियों के कारण सरकारी बजटीय सहायता की अपर्याप्तता को देखते हुए इन क्षेत्रों के निवेश में भारी गिरावट आई है। चल रही परियोजनाओं की ज़्यादा संख्या और परियोजना विकास तथा प्रबंधन कौशल की कमी के कारण संसाधनों का सही से उपयोग नहीं हुआ है।

ऐसे कई अन्य कारक/आयाम हैं जिन्होंने ग्रामीण अवसंरचना विकास को चुनौती दी है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि आधारित उद्योगों और आवास के लिए भूमि के अधिग्रहण/आपूर्ति की अनुपलब्धता,
- ग्रामीण आबादी के लिए आय के औपचारिक व स्थिर स्रोत का अभाव के कारण अपर्याप्त वित्तपोषण,
- सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी अड़चनें

चार स्तरीय ग्रामीण अवसंरचना विकास व्यवस्था

गांव	पंचायत	प्रखंड	ज़िला
• प्राथमिक स्कूल	• माध्यमिक स्कूल	• हाई स्कूल	• कॉलेज
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	• उप स्वास्थ्य केंद्र	• सामुदायिक स्वास्थ्य	• रेफरल अस्पताल
• सामुदायिक भवन	• पंचायत भवन	• इंटरमीडिएट स्कूल	• विश्वविद्यालय
• मनोरंजन केंद्र	• बैंक	• अग्निशमन केंद्र	• ज़िला कोर्ट
• पॉवर हाउस	• कृषि सुविधा केंद्र	• बस टर्मिनल	• आपदा प्रबंधन केंद्र
• संचार टॉवर	• पुलिस बूथ	• ब्लॉक	• समाहरणालय
• उप डाकघर	• जन शौचालय	• उप रजिस्टरार ऑफिस	• रोज़गार प्रशिक्षण
• एटीएम	• गैस वितरण गोदाम	• पुलिस थाना	• पब्लिक टॉयलेट
• मिल्क डेयरी	• पब्लिक लाइब्रेरी	• पेट्रोल पम्प	• विभिन्न ऑफिस
• श्मशानघाट/कब्रिस्तान	• बिजली घर	• सिविल कोर्ट	• प्रधान डाकघर
• वॉटर टंकी	• जन सुविधा केंद्र	• कुटीर उद्योग	• फैक्ट्री/कम्पनियां/मेडिकल कॉलेज

तथा निजी भूमि पर स्पष्ट स्वामित्व का अभाव,

- ग्रामीण सड़क नेटवर्क तथा दूरदराज के क्षेत्रों से संपर्क की खराब स्थिति,
- सीमित जवाबदेही और संस्थागत क्षमता की कमी,
- ग्रामीण अवसंरचना में सुधार को कम प्राथमिकता और धन की कमी और
- सीमित भुगतान क्षमता के कारण कम परियोजना व्यवहार्यता आदि।

एक सर्वे के अनुसार, 100 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में से लगभग 40 प्रतिशत ही कृषि उत्पादन जैसे कार्यों से जुड़े हैं, शेष मज़दूरी, वेतनभोगी रोज़गार, गैर–कृषि व्यवसाय और अन्य स्रोतों में लगे हैं। शिक्षा और कौशल की कमी के कारण अधिकांश ग्रामीण लोग खेती के अलावा कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं पर अवैतनिक काम का बोझ होता है जो औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनके योगदान में बाधा डालता है। उदारीकरण के बाद के वर्षों से महिला श्रमशक्ति भागीदारी में गिरावट आई है। इनकी आय को बढ़ाने के लिए महिला अनुकूल रोज़गारपरक व्यवस्था की घोर कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से कम हैं। साथ ही कक्षाओं की संख्या, सुरक्षित पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता, शौचालय की सुविधा, स्वच्छता, शिक्षण कर्मचारी आदि के मामले में भी कमियां व्याप्त हैं। भारत के कई ग्रामीण और अर्ध–शहरी हिस्से बैंकिंग और बीमा जैसी आवश्यक सेवाओं से वंचित हैं।

इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के आधारभूत ढांचे के विकास की अपार संभावनाएं हैं। वास्तव में, ग्रामीण अवसंरचना के संभावित क्षेत्रों को जितनी जल्दी हो सके, चिन्हित करने की आवश्यकता है ताकि देश में पुनर्वितरण विकास प्राप्त किया जा सके और गरीबी को कम किया जा सके।

ग्रामीण अवसंरचना विकास मॉडल : एक एकीकृत समावेशी दृष्टिकोण

बेहतर ग्रामीण अवसंरचना के माध्यम से ग्रामीणों के लिए सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने नागरिकों के जीवन को बदलने और राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में एक लंबा सफर तय किया है। फिर भी 75 साल के उपरांत, भारत की कुल आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले दस में से सात भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार एक कठिन चुनौती बनी हुई है। इसलिए चाहे वह अवसंरचना हो, नौकरी हो या कौशल, ग्रामीण भारत को नीति और दृष्टिकोण में आमूलचूल बदलाव की ज़रूरत है। दशकों से, ग्रामीण पंचायत, ग्रामीण ब्लॉक और ज़िले को विकास की इकाइयों के रूप में केंद्रित करते हुए, कई कार्यक्रम और रणनीतियां शुरू की गई हैं। कुछ का प्रभाव पड़ा है, लेकिन समग्र प्रगति के अध्ययन से पता चलता है कि आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करके और अवसंरचना को विकसित करके स्थायी और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने का सपना अभी भी पूरा किया जाना है।

अब समय है ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु टिकाऊ सार्वजनिक संपत्ति और गुणवत्ता–उन्मुख सेवाओं के निर्माण पर बल देने का। अतः ग्रामीण सतत विकास के लिए पीपीपी मॉडल के तहत निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी होंगी। अवसंरचना में निवेश बढ़ेगा तो निश्चित ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे जिससे रोज़गार सृजित होंगे, नागरिकों का जीवन सुगम होगा। इसी लोक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की कड़ी में ग्रामीण पर्यटन स्थली का निर्माण किया जा सकता है। ग्रामीण कला–आधारित पर्यटन विकास समुदायों, संस्कृतियों और परंपराओं के संरक्षण और प्रवर्धन के साथ–साथ रोज़गार का सशक्त माध्यम बन सकता है। इस प्रक्रिया में 'विरासत' आजीविका और सशक्तीकरण का साधन बन जाएंगी। वास्तव में, ग्रामीण पर्यटन उद्योग में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बढ़ते अंतर को कम करने की क्षमता भी है। ग्रामीण पर्यटन की प्रगति से ग्रामीणों की कृषि आय पर निर्भरता कम हो सकती है और उन्हें पहचान, अवसंरचना और विकास क्षमता भी प्राप्त होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कृषि और घरेलू काम दोनों के अलावा कमाई के साधन में भारतीय महिलाओं की भूमिका को मान्यता देनी होगी।

उपरोक्त संदर्भ में यह तभी संभव होगा, जब केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता स्मार्ट या आदर्श गांव, स्मार्ट/आदर्श पंचायत, स्मार्ट/आदर्श प्रखंड और स्मार्ट/आदर्श ज़िला निर्माण होगा। इनसे न केवल बेहतर नागरिक सुविधाओं या बेहतर अवसंरचना के साथ शहरों का निर्माण होगा, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के जीवन को बदलने के उद्देश्य से समावेशी और सहयोगी वातावरण सृजित होगा।

चार–स्तरीय ग्रामीण अवसंरचना विकास व्यवस्था: ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए चार स्तरीय व्यवस्था गांव, पंचायत, प्रखंड और ज़िला को ध्यान में रखकर कुछ स्थायी परिसम्पतियों या बुनियादी सुविधाओं के विकसित करने की ज़रुरत है।

इन उपरोक्त बुनियादी सुविधाओं के एकीकृत विकास पर ज़ोर देना होगा। ग्रामीण अवसंरचना मूल रूप से गांव, पंचायत और प्रखंड हो सकते हैं। ज़िला जो शहरी क्षेत्र में आता है लेकिन इन स्तरों के विकास में पूरक के रूप में योगदान देगा।

ग्रामीण अवसंरचना विभाजन : ग्रामीण अवसंरचना को दो भागों में विभाजित कर देखना पड़ेगा और दोनों को साथ–साथ एकीकृत रूप से विकास करना होगा।

1. ग्रामीण अवसंरचना– व्यक्तिगत
2. ग्रामीण अवसंरचना– सामुदायिक

अधिकांशः योजनाओं या कार्यक्रमों में ग्रामीण अवसंरचना– व्यक्तिगत जैसे– शौचालय, आवास इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन ग्रामीण अवसंरचना– सामुदायिक जैसे– स्कूल, अस्पताल, थाना, अग्निशमन केंद, सड़क, वॉटर टंकी, कृषि केंद्र, परिवहन आदि के लिए सर्वांगीण रूप से एक विभाग या योजना के तहत कार्य नहीं हुआ है। यह कार्य अलग–अलग विभागों के द्वारा सम्पन्न हो रहे हैं। अगर ग्रामीण विकास के लिए एक विभाग को प्रोजेक्ट बनाने, क्रियान्वित करने, देखभाल करने आदि का ज़िम्मा मिले तो शायद ग्रामीण अवसंरचना की रूपरेखा कुछ और हो।

त्रि–स्तरीय ग्रामीण अवसंरचना विकास रणनीतिः ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए त्रि–स्तरीय रणनीति स्थायी अवसंरचना निर्माण, रोज़गार सृजन तथा सुविधा–सम्पन्न स्मार्ट स्वरूप में विकास पर कार्य करना होगा।

पहले स्तर पर : स्थायी अवसंरचना निर्माण जैसे– भवन, संस्थान, केंद्र, अस्पताल, विद्यालय, आवास, उद्योग और सड़क आदि स्थायी एवं प्राथमिक ढांचा हो जिस पर अन्य पूरक सेवाएं निर्भर करती हो। यह समस्या का स्थायी समाधान दे सकता है जबकि सब्सिडी, अनुदान, खाद्य आपूर्ति या अन्य तरह के लाभ या सहायता क्षणिक स्वरूप के होते हैं।

दूसरे स्तर पर : रोज़गार सृजन जैसे– कुटीर और मध्यम उद्योग, रोज़गारपरक योजना व कार्यक्रम, पशुपालन, मत्स्यपालन तथा मुर्गीपालन आदि जिससे गरीबी उन्मूलन, जीवन–स्तर सुधार और प्रवास में कमी लाई जा सके।

तीसरे स्तर पर : स्मार्ट गांव, पंचायत, प्रखंड और ज़िला को विकसित करना जैसे– संचार एवं परिवहन तथा सभी आधुनिक तकनीकी और सुविधासंपन्न चीज़ों की उपलब्धता हो जिससे ग्रामीण शासन के नए प्रतिमानों को विकसित करके और ग्रामीण क्षेत्र को सुधार कर बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग : ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक विभाग के रूप में **'ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग'** को लाने की आवश्यकता है जो विभिन्न विभागों या क्षेत्रों की कार्ययोजनाओं पर नहीं बल्कि केवल और केवल संपूर्णता के साथ ग्रामीण अवसंरचना को मज़बूती प्रदान देने पर कार्य करे। ज़िला समाहरणालय जिसमें विभिन्न विभाग के प्रभाग/शाखा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य विभाग मौजूद होते है, ज़िला–स्तर पर इन विभागों के कार्यों के क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग का ज़िम्मा ज़िलाधिकारी के पास होता है।

ज़िला–स्तर पर बने 'ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग' के प्रभाग में विभिन्न शाखा/अनुभाग हो, जो समस्त अवसंरचना से जुड़े कार्यों को, चाहे वह किसी विभाग या योजना या कार्यक्रम से हो, को विशेषज्ञता से क्रियान्वित करें। ज़िला–स्तर पर ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग की निम्न रूपरेखा प्रस्तावित है–

ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग/प्रभाग के कार्यों की पारदर्शिता के लिए ज़िला संसद के रूप में 'ज़िला अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन समिति' कार्य करेंगी। इसमें ज़िलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव के अलावा ज़िले के जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक, प्रमुख, मुखिया, राजनीतिक दल के अध्यक्ष, स्थानीय मीडिया और सम्मानित लोग सदस्य होंगे जो अपनी–अपनी मांगों को आवश्यकतानुसार रखेंगे और सवाल–जवाब करेंगे।

ग्रामीण अवसंरचना निर्माण निधि : ग्रामीण अवसंरचना विभाग के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए राज्य–स्तर पर 'ग्रामीण अवसंरचना निर्माण निधि' बनाई जाए। इन निधि में प्रत्येक वितीय वर्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि भेजे। राशि के आवंटन के लिए पारदर्शी और स्थायी फार्मूला हो जिससे केंद्र और राज्यों के बीच आरोप–प्रत्यारोप की नौबत ही नहीं आए।

एकल खिड़की वैधानिक विशेषज्ञ एजेंसी : ज़िला–स्तर पर निर्माण कार्य करने और देखरेख के लिए एकल खिड़की वैधानिक 'विशेषज्ञ एजेंसी' हो जो संबंधित विभागों के नियमानुसार

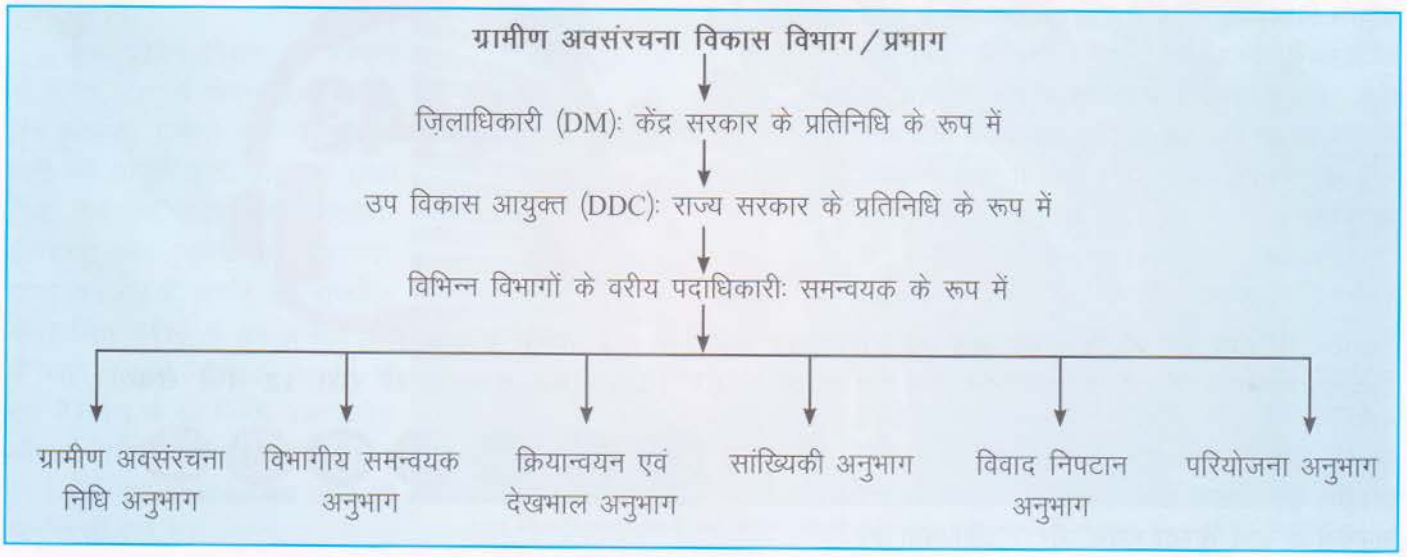

और परामर्श से कार्य करें। चूंकि इन सभी गतिविधियों में भ्रष्टाचार से इंकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए परियोजना की समाप्ति के बाद ज़िलाधिकारी, उप विकास आयुक्त या संबद्ध अधिकारी के द्वारा काम की गुणवत्ता और निष्पक्षता का शपथपत्र देना और ज़िम्मेवारी लेना सुनिश्चित किया जाए।

सुदृढ़ वित्तीय ढ़ांचा एवं संवर्धन–पीपीपी मॉडल : तेज़ी से अवसंरचना निर्माण से निधि में कमी आ सकती है और ग्रामीण अवसंरचना के वित्तपोषण में पूंजी बाज़ार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए कुछ क्षेत्रों में निजी निवेश को भी लोक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर शामिल किया जा सकता है। ज़िला और प्रखंड–स्तर पर कुटीर एवं लघु उद्योग के निर्माण, पर्यटन स्थल विकसित करने, कम्पनियां या फैक्ट्री खोलने, कृषि को व्यवसाय में परिणत करने इत्यादि कोई भी पहल जिससे स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण और रोज़गार सृजित होता हो, उसमें निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार की साख बची रहे। प्राइवेट निवेशक की मंशा लाभ आधारित होती है इसलिए सरकार को वित्तीय पहलू को अपने हाथ में रखना चाहिए।

मानव संसाधन विकास एकेडमी या केंद्र : ज़िला के विभिन्न स्तरों/क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्टाफ और कर्मचारियों की कमी को दूर करने तथा युवाओं एवं महिलाओं को रोज़गार मुहैया करने हेतु ज़िला–स्तर पर एक 'मानव संसाधन विकास अकादमी या केंद्र' स्थापित किया जाए। यह अकादमी थिंक टैंक के साथ बहुआयामी प्रवृत्ति की होंगी। इसमें बाज़ार की मांग के अनुरूप कार्यबल (कुशल, अर्धकुशल, अकुशल) तैयार करने एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ लघु अवधि पाठ्यक्रम, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेस आदि शोधकर्ताओं, एकेडमिशियनस के साथ–साथ बाहरी प्रोफेशनल संस्थाओं और उद्यमियों के परामर्श और सहयोग से सम्पन्न होंगे। इस संस्थान की स्थापना एवं फंडिंग कौशल विकास कार्यक्रम से हो। इस एकेडमी से प्राप्त कौशलधारी युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रिक्त पड़े पदों पर योग्यतानुसार सम्मानित मासिक मानदेय पर रिटायरमेंट की उम्र तक के लिए भर्ती किया जाए और यदि वे सरकारी परीक्षा पास करें तो उन्हें सरकारी वेतन मिले।

इकाईवार मास्टर प्लान : वर्तमान में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए चल रही व्यवस्था लक्ष्यवार नहीं दिखती है। कोई डेटाबेस या सर्वे उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि क्या हुआ है और क्या करना बाकी है? इसलिए यथार्थ, वास्तविकता और दूरगामी दृष्टिकोण को अपनाते हुए ग्रामीण क्षेत्र को इकाई में विभक्त कर संपूर्णता के साथ 'मास्टर प्लान' और 'रोडमैप' बना कर मिशन मोड में कार्य को अंजाम देना होगा। ऐसा देखा गया है कि कई ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्र जैसे– बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा और कृषि विपणन केंद्र आदि गांव स्तर पर विकसित करना ज़्यादा खर्चीला होता है। इन स्थितियों में बेहतर डिलीवरी व्यवस्था कायम करने हेतु इनोवेटिव आईडिया और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाए। प्रत्येक गांव के लिए वैकल्पिक रूप में संबंधित सेवाओं हेतु एक प्रतिनिधि नियुक्त हो जो कार्यों को डिजिटल रूप में सम्पन्न करें।

उपरोक्त प्रस्तावित व्यवस्था के साथ–साथ सरकार की परंपरागत ढ़ंग से चल रही योजना, परियोजना, कार्यक्रम और मिशन वाली व्यवस्था भी चलती रहेंगी। इस तरह लगभग 10–15 वर्षों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त ग्रामीण अवसंरचना निर्माण हो चुका होगा। इससे विकास की एक स्पष्ट तस्वीर दिखाई देगी और साथ ही यह भी पता चल पाएगा कि क्या हुआ है और क्या करना बाकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण अवसंरचना विकास से सारी चीजें पटरी पर जल्दी आ जाती हैं और सरकारों को जो योजना लागू करनी हो या किसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना हो, वह बिना किसी बाधा के कर सकती हैं। इस व्यवस्था और प्रकिया को भविष्य में आत्मसात कर आगे बढ़ने से गांव और शहर के बीच की खाई मिटती नज़र आएगी और देश की स्वर्णिम तस्वीर सामने आएगी।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : shyamzrd@gmail.com

2022 तक उत्तर-पश्चिम भारत में सभी घरों में नल से जल

पांच उत्तर–पश्चिमी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन शीघ्रता से किया जाएगा और यहां के सभी ग्रामीण घरों को 2024 की बजाय 2022 तक नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। हर घर में पेयजल की आपूर्ति से इन क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के जीवन में सुधार होगा।

पांच उत्तर–पश्चिमी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन शीघ्रता से किया जाएगा और यहां के सभी ग्रामीण घरों को 2024 की बजाय 2022 तक नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इस लक्ष्य को 2022 तक हासिल करने के लिए 2021–22 में 8,216.25 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन को मंज़ूरी दी गई है। यह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 2020–21 में दिए आवंटन से 4 गुना ज़्यादा है। हर घर में पेयजल की आपूर्ति से इन क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के जीवन में सुधार होगा। आवंटन में इस भारी वृद्धि और कार्यान्वयन की गति से, ये 5 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से दो साल पहले ही, 2022 तक 'हर घर जल' का दर्ज़ा हासिल कर लेंगे।

15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा की। सभी घरों में 2024 तक नल से पानी की आपूर्ति के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए, पिछले 21 महीनों में, कोविड–19 महामारी के चलते बार–बार आ रही बाधाओं और लॉकडाउन के बावजूद, 4.25 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, देश में केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति होती थी। इस समय गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और पुडुचेरी 'हर घर जल' राज्य बन गए हैं अर्थात् इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हर ग्रामीण घर के पास नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। देश के 62 ज़िलों, 746 ब्लॉक और 91 हजार से ज़्यादा गांवों में अब हर घर में नल से पीने योग्य पानी की आपूर्ति हो रही है।

प्रधानमंत्री के विज़न को साकार करने के लिए जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, जल आपूर्ति प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ काम कर रहा है ताकि हर घर के लिए पानी वाले नल कनेक्शन का प्रावधान किया जा सके।

हरियाणा

हरियाणा में, जल जीवन मिशन की घोषणा से पहले, 31.03 लाख घरों में से केवल 17.67 लाख (57 प्रतिशत) घरों के पास पाइप से पानी का कनेक्शन था। जेजेएम के तहत 21 महीनों में 10.24 लाख ग्रामीण घरों को नल से पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए। साथ ही, हरियाणा में नल से पानी के कनेक्शन की संख्या 33 प्रतिशत बढ़ गई, अब 28.34 लाख (91.32 प्रतिशत) ग्रामीण घरों को नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। राज्य में 5,150 गांव, 68 ब्लॉक और 8 ज़िलों में 'हर घर जल' की आपूर्ति की जा रही है तथा 8 और ज़िलों में 90 प्रतिशत से अधिक घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है।

हरियाणा ने 2021–22 तक 2.61 लाख घरों को और शेष 1.48 लाख घरों को 2022–23 में नल से पानी का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। सरकार का लक्ष्य है कि गांवों

100 दिवसीय अभियान का असरः स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल की सप्लाई

में 'कोई भी नहीं छूटना चाहिए' और गांवों को 100 प्रतिशत कवर किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 1,119.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि 2020–21 से चार गुना ज़्यादा है और 256.81 करोड़ रुपये राज्य के लिए जारी कर दिए गए हैं। इस आवंटन के साथ, राज्य ने 2,304.38 करोड़ रुपये निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की है जिसमें 2021–22 में राज्य का हिस्सा और अव्यय राशि शामिल है।

हिमाचल प्रदेश

जल जीवन मिशन की शुरुआत में, हिमाचल प्रदेश में 17.03 लाख घरों में से केवल 7.62 लाख (45 प्रतिशत) घरों में नल से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था थी। इन 21 महीनों में, 5.45 लाख (32 प्रतिशत) घरों को नल से पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया। अब, हिमाचल प्रदेश में 13.08 लाख (76.7 प्रतिशत) घरों को नल से पानी की आपूर्ति हो रही है और हिमाचल प्रदेश में 3 ज़िले, 11 ब्लॉक और 8,638 गांव 'हर घर जल' का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं।

2020–21 में कोविड–19 महामारी के बावजूद, हिमाचल प्रदेश में 3.80 लाख ग्रामीण घरों को नल से पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश ने 2.08 लाख घरों को 2021–22 में और शेष 1.94 लाख घरों को 2022 में नल से पानी का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। राज्य ने सभी 18,079 गांवों के प्रत्येक ग्रामीण घर को 2022 तक नल से पानी की आपूर्ति देने की योजना बनाई है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य की मदद के लिए, 2021–22 में हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 1,262.78 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो कि 2020–21 में 326.2 करोड़ रुपये था और इसमें से 315.7 करोड़ रुपये राज्य के लिए जारी कर दिए गए हैं।

पंजाब

जल जीवन मिशन की शुरुआत में, पंजाब में केवल 16.78 लाख (48 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति होती थी। पिछले 21 महीनों में, 9.97 लाख ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके 28.7 प्रतिशत बढ़ने के साथ, पंजाब में अब 26.75 लाख (77 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति रही है। जेजेएम के तहत 2021–22 में 8.87 लाख घरों को नल से पानी की आपूर्ति की योजना बनाई गई है।

सभी ग्रामीण घरों को नल के पानी की उपलब्धता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1,656.39 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन

जल जीवन मिशन– हर घर जल

03.06.2021 को प्रगतिशील एफएचटीसी (1) कवरेज

क्र. सं.	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	कुल घर	15.08.2019 को नल कनेक्शन के साथ घर		3.06.21 को नल कनेक्शन के साथ घर		मिशन के शुरू होने के बाद से नल के पानी की आपूर्ति	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	हरियाणा	31,03,078	17,66,363	56.92	27,90,518	89.93	10,24,155	76.62
2.	हिमाचल प्रदेश	17,03,626	7,62,721	44.77	13,07,736	76.76	5,45,015	57.92
3.	पंजाब	34,73,254	16,78,558	48.33	26,73,721	76.98	9,95,163	55.45
4.	जम्मू और कश्मीर	18,15,909	5,75,466	31.69	10,05,520	55.37	4,30,054	34.67
5.	लद्दाख	4,4082	1,414	3.21	4,137	9.38	2,723	6.38
	भारत	19,19,63,738	3,23,62,838	16.86	7,46,57,108	38.89	4,22,94,270	26.50

स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रगतिशील नल कनेक्शन

क्र. सं.	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	स्कूलों की कुल संख्या	(3.06.21) की तारीख को स्कूलों में नल कनेक्शन		आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या	(3.06.21) की तारीख को आंगनवाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन	
			संख्या	प्रतिशत		संख्या	प्रतिशत
1.	लद्दाख	981	507	51.68	1,157	514	44.43
2.	जम्मू और कश्मीर	22,492	20,079	89.27	24,149	21,366	88.48
3.	हिमाचल प्रदेश	17,298	17,298	100.00	17,769	17,769	100.00
4.	पंजाब	22,415	22,415	100.00	21,954	21,954	100.00
5.	हरियाणा	12,991	12,991	100.00	21,795	21,795	100.00
	भारत	10,30,820	6,53,790	63.42	11,47,151	5,83,730	50.89

को मंजूरी दी गई है, जो 2020–21 से 4.5 गुना अधिक है। वर्ष 2019–20 में, पंजाब के लिए केंद्रीय आवंटन 227.46 करोड़ रुपये था जिसे 2020–21 में 362.79 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया था। कम खर्च की वजह से, राज्य पिछले साल कोई केंद्रीय अनुदान नहीं ले सका और 362.79 करोड़ रुपये का संपूर्ण आवंटन वापस कर दिया। इस केंद्रीय आवंटन, बचे हुए धन और राज्य के हिस्से को मिलाकर, राज्य के पास जल जीवन मिशन के लिए 3,533.5 करोड़ रुपये हैं। 2022 तक सभी ग्रामीण घरों को नल का पानी प्रदान करने हेतु जल आपूर्ति परियोजना पूरी करने के लिए राज्य के पास वित्त की कोई कमी नहीं है।

जम्मू और कश्मीर

जल जीवन मिशन की घोषणा से पहले, जम्मू और कश्मीर के 18.16 लाख ग्रामीण घरों में से केवल 5.75 लाख (31 प्रतिशत) घरों के पास पाइप के पानी की आपूर्ति होती थी। इन 21 महीनों में, कोविड–19 महामारी, लॉकडाउन और बाधाओं के बावजूद, 4.30 लाख (23.69 प्रतिशत) घरों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया। जम्मू और कश्मीर में अब 10.05 लाख (55.7 प्रतिशत) ग्रामीण घरों को नल के पानी की आपूर्ति होती है।

जम्मू और कश्मीर ने 4.91 लाख घरों को 2021–22 में और 3.27 लाख घरों को 2022–23 में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। सभी ग्रामीण घरों को 2022 से पहले नल के पानी की उपलब्धता में इस केंद्रशासित प्रदेश की मदद के लिए केंद्रीय अनुदान को बढ़ाकर 2,747.17 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो 2020–21 से चार गुना ज़्यादा है।

लद्दाख

जल जीवन मिशन की शुरुआत में लद्दाख में केवल 1,414 (3.2 प्रतिशत) घरों के पास नल के पानी की आपूर्ति की सुविधा थी। जेजेएम के तहत 21 महीनों में 2,760 (6.4 प्रतिशत) घरों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।

कठिन क्षेत्र, प्रतिकूल मौसम और दूर–दूर बसी बस्तियों जैसी चुनौतियों के बावजूद भी, लद्दाख ने 28,788 घरों को 2021–22 में और 11,568 घरों को 2022–23 में नल के पानी का कनेक्शन देने की योजना बनाई है। अपने घर में नियमित तौर पर नल के सुरक्षित पानी की आपूर्ति की लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय आवंटन को 1,429.96 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है जो 2020–21 के मुकाबले चार गुना ज़्यादा है।

जल जीवन मिशन के तहत 21 महीनों में, इन पांच उत्तर–पश्चिम राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 29.28 लाख से ज़्यादा नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए। 15 अगस्त, 2019 को जेजेएम की घोषणा के वक्त, इन राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में केवल 47.84 लाख ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति होती थी। टेबल से दिखाया गया हैं कि कैसे इन उत्तर–पश्चिम भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन ने लाखों लोगों, खासकर मांओं, बहनों और बेटियों की ज़िंदगी बेहतर की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास' पर ज़ोर दिया है। गांव के सभी घरों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित के प्रयास वाला जल जीवन मिशन इस सिद्धांत के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। 2022 में, जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का जश्न मनाएगा, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सभी घरों को नल के सुरक्षित पानी की आपूर्ति का विज़न हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में सच हो जाएगा। राष्ट्र द्वारा 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' का जश्न मनाने वाले साल में इस क्षेत्र की लाखों महिलाओं और लड़कियों को यह बेहतरीन उपहार होगा।

आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का सुरक्षित पानी सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक 100 दिवसीय अभियान की घोषणा की थी जिसे 2 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यमंत्री श्री रतन लाल कटारिया द्वारा लांच किया गया। उत्तर–पश्चिम भारत में तीनों राज्य– हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए हैं। आशा है कि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख भी इस लक्ष्य को जल्द ही पूरा कर लेंगे। ❑

मिशन बीसी सखी : हर घर तक बैंक सुविधा

–अभिषेक आनंद

बैंकिंग सेवा को घर–घर पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा बिज़नेस कोरेस्पोंडेंस एजेंट की अवधारणा को लाया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से एक तरफ जहां ग्रामीण परिवार की निर्धन महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से संगठित करने का कार्य किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर, उनको बिज़नेस कोरेस्पोंडेंस सखी (बीसी सखी) के रूप में ग्राम पंचायतों में तैनात करके उनकी आजीविका में भी योगदान किया जा रहा है।

आधुनिक विश्व के निर्माण में निरंतर बदलती तकनीकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की तरह बैंकिंग क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। वित्तीय लेनदेन के लिए बैंक में लगने वाली लंबी–लंबी लाइन को जहां एटीएम ने आकर कम कर दिया तो वहीं डिजिटल पेमेंट के माध्यम से लोग अब घर बैठे लेनदेन कर रहे हैं। इन सुविधाओं ने आज हमारा जीवन काफी सहज एवं सरल बना दिया है। मानव संसाधन की भारी कमी से जूझ रहे भारतीय बैंकों के लिए तो ये एक वरदान साबित हो रहा है क्योंकि आज एक बहुत बड़ा तबका डिजिटल बैंकिंग का उपयोग कर रहा है और बैंक की भीड़ को कम करने में कुछ तो योगदान ज़रूर कर रहा है। डिजिटल बैंकिंग का लाभ कहीं–न–कहीं देश के एक शिक्षित तबके तक ही सीमित रह जाता है जबकि हम जानते हैं कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गांवों में रहता है और साक्षर नहीं है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ना वर्तमान में संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। हां, ये बात ज़रूर है कि आज देश में युवाओं का आकर्षण इस ओर काफी बढ़ चुका है और उसका मुख्य कारण नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई जैसी सेवाओं का सहजता से उपलब्ध होना है।

आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे तेज़ी से विकास कर रहे देशों में होती है लेकिन कोई भी विकास तब तक अधूरा है, जब तक उसका लाभ समाज के हर वर्ग तक न पहुंच जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए समाज के हर वर्ग तक वित्तीय सुविधा पहुंचाने हेतु सरकार निरंतर नए कदम उठा रही है। बैंकिंग सेवा को घर–घर पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा बिज़नेस कोरेस्पोंडेंस एजेंट की अवधारणा को लाया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से एक तरफ जहां ग्रामीण परिवार की निर्धन महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से संगठित करने का कार्य किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर, उनको बिज़नेस कोरेस्पोंडेंस सखी (बीसी सखी) के रूप में ग्राम पंचायतों में तैनात करके उनकी आजीविका में भी योगदान किया जा रहा है।

ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान में बीसी सखी का प्रशिक्षण लेती स्वयंसहायता समूह की सदस्य

मिशन वन जीपी वन बीसी

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मिशन वन जीपी वन बीसी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वयंसहायता समूह की महिला को बीसी सखी के रूप में पदस्थापित करना है। ये महिला उक्त ग्राम पंचायत में बीसी सखी के रूप में अपनी सेवा देगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेन–देन को बढ़ावा मिलेगा और बैंक में लगने वाली लंबी लाइनों से भी आम जनता को राहत मिलेगी।

बीसी सखी का उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसहायता समूहों एवं बैंकों के मध्य एक संपर्क–सूत्र स्थापित करना है। ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वियत योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को बैंक के स्थान पर बीसी सखी के माध्यम से मिल सके, इसलिए यह 'बैंक जनता के द्वार' की परिकल्पना को साकार करने में मदद करेंगे। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ग्रामीण परिवारों एवं स्वयंसहायता समूहों में डिजिटल लेनदेन बढ़ाने का तथा वंचित परिवारों के वित्तीय समावेशन के लिए यह एक सशक्त माध्यम होगा।

इसके मुख्य उद्देश्य हैं–

- बिज़नेस कोरेस्पोंडेंस का विस्तार हर गांव तक किया जा सके;
- स्वयंसहायता समूहों के बीच वित्तीय लेनदेन को बढ़ाया जा सके;
- स्वयंसहायता समूह के साथ–साथ उनके उच्च संगठन यथा ग्राम संगठन, संकुल–स्तरीय संघ, उत्पादक समूह आदि में डिजिटल प्लेटफार्म पर लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके।
- एसएचजी सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य ग्रामीण परिवारों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा उत्पाद को प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को कम करना।
- स्वयंसहायता समूह के सदस्यों को बीसी सखी के रूप में प्रोत्साहित करके उनके लिए आजीविका का एक साधन उपलब्ध करवाना।

चयन, प्रशिक्षण तथा सर्टिफिकेशन

बीसी सखी के रूप में कार्य करने हेतु स्वयंसहायता समूह की महिलाओं को कम–से–कम दसवीं पास होना आवश्यक होता है। यह प्रयास किया जाता है कि संबंधित महिला पहले से ही स्वयंसहायता समूह हेतु एक कैडर का कार्य कर रही हो। इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान रखा जाता है कि महिला बैंक की डिफाल्टर न हो तथा एंड्राइड मोबाइल चलाना आता हो। अभ्यर्थी का ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संसथान (आर–सेटी) के माध्यम से 6–8 दिन का प्रशिक्षण करवाया जाता है।

प्रशिक्षण के उपरांत भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है तथा सफल होने पर स्वयंसहायता समूह की सदस्य को प्रमाणपत्र दिया जाता है। चयनित बीसी सखी को कंप्यूटर तथा अन्य ज़रूरी उपकरण की खरीदारी करने हेतु 75,000 रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। प्रारंभिक दौर में बीसी सखी को छह माह तक सहयोग राशि के रूप में प्रति माह चार हजार रुपये का भुगतान संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जाना है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तो पूरे प्रदेश में एक साथ 58000 बीसी सखी को ग्राम पंचायतों में स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। बिहार सरकार भी जीविका के माध्यम से इस मिशन पर अच्छा कार्य कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब बिहार में बीसी सखियों द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है। जब पूरे देश के लोग लॉकडाउन में अपने–अपने घर में थे तब ये बीसी सखी घर–घर बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहीं थीं। झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भी बीसी सखी योजना पर कार्य कर रहा है।

(लेखक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में ज़िला मिशन प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं।)

ई–मेल : abhishekaami@gmail.com

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक

अगस्त, 2021 – भारत : कृषि का पॉवरहाउस

शीघ्र प्रकाशित

ग्रामीण मार्केटिंग

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2021-23
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2021-23
01 जुलाई, 2021 को प्रकाशित एवं 5-6 जुलाई, 2021 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2021-23
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

अब उपलब्ध है...

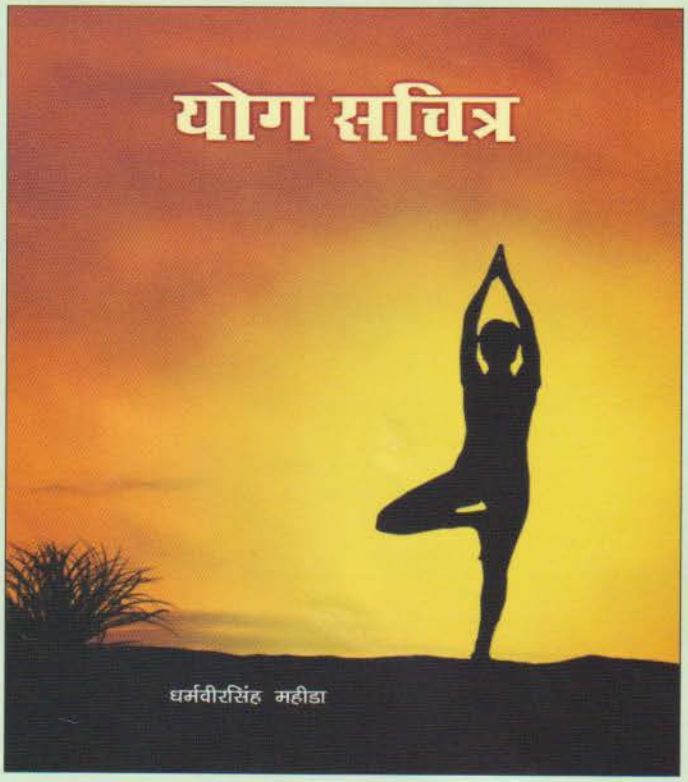

योग सचित्र

मूल्य - ₹ 355/-

आज ही नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से खरीदें

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24365609
ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

ट्विटर पर फोलो करें @DPD_India

प्रकाशक और मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना